लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र / Third Session]

[खंड 9 में अंक 21 से 27 तक हैं / Vol, 9 contains Nos. 21 to 27]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1977/25 अग्रहायण 1899 (शक)

No. 23, Friday, December 16, 1977/Agrahayana 25, 1899 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1- 11
तारांकित प्रश्न संख्या 446, 452 से 454 और 456	*Starred Question Nos. 446, 452 to 454 and 456	
एग्रो-एक्सपो 77 के समापन समारोह में बैठने की व्यवस्था के बारे में वक्तव्य	Statement re: Seating Arrangements made at the Closing Ceremony of Agro-Expo 1977	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	11—143
तारांकित प्रश्न संख्या 447 से 451, 455 और 457 से 466	Starred Questions Nos. 447 to 451 455 and 457 to 466	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4167 से 4212, 4214 से 4291, 4293 से 4320 और 4322 से 4366	Unstarred Question Nos 4167 to 4212, 4214 to 4291, 4293 to 4320 and 4322 to 4366	
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल हैदराबाद के कर्मचारी संघ के सचिव द्वारा भूख हड़ताल के बारे में	Re. Hunger Strike by General Secretary of Workers' Union of Bharat Heavy Electricals, Hyderabad.	143—144
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	144—147
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	147
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	147—149
आनन्द मार्ग की आतंकवादी गतिविधियों में गत एक वर्ष में हुई वृद्धि	Increase in the terrorist Activities of Anand Marg during the last one year	147—149
श्री रामानन्द तिवारी	Shri Ramanand Tiwari	147
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	147
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	149
20वां तथा 54वां प्रतिवेदन	Twentieth and Fifty-fourth Report	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Schedule Castes and Scheduled Tribes	149—150
पहला तथा सातवां प्रतिवेदन	First and Seventh Reports	
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	150
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	
मूल्य समिति की सिफारिशों सम्बन्धी सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य	Statement *re*. Government decisions on recommendations of Oil Prices Committee	150
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	150—152
मेसर्स बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध ग्रहण के बारे	Statement *re*. take-over management of Messrs. Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Ltd. Calcutta	153—154
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	153
सभा का कार्य	Business of the House	154—157
ब्याज विधेयक—पुर:स्थापित	Interest Bill—Introduced	157

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign (†) marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—पुर:-स्थापित	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill—Introduced	157—160
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 377—	160—162
(एक) भारतीय और पूर्वी समाचारपत्र सोसायटी और भारतीय भाषा समाचारपत्र संघ द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतन बोर्डों का बहिष्कार	(1) Boycott of Wage Boards of Working journalists and Non-journalists employees by I.E.N.S. and Indian Languages Newspapers Association	160
(दो) "स्ट्रेप्टोमाइसिन" औषधि का उपलब्ध न होना	2) Non-availability of Streptomycin medicine	161
(तीन) कोटा के आणविक शक्ति केन्द्र में हड़ताल	(3) Strike at Atomic Power Station in Kota	161
(चार) महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित हड़ताल	(4) Indefinite strike by Maharashtra Government employees	162
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक	Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill	162—166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	162
डा० वी० ए० सईद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	163
श्री गंगा सिंह	Shri Ganga Singh	164
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chaterjee	164
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagesan	165
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश	National Holiday on Netaji Subhash Chandra Bose Birthday Bill	166—173
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	166
श्री दुर्गा चन्द	Shri Durga Chand	169
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	169
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narain Nayak	169
श्री सुशील कुमार धारा	Shri Sushil Kumar Dhara	170
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	170
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	171
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	171
आधे घन्ट की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	173—176
चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	173
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	174
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh	176

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 16 दिसम्बर 1977/25 अग्रहायण, 1899 (शक)

Friday, December 16, 1977/*Agrahayana* 25, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वर्ष 1976-77 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलनों में सम्भावित घाटा

*446. **श्री आर० वेंकटरामन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलनों में कितने घाटे की संभावना थी और 1976–77 को समाप्त हुए वर्ष के लिये वस्तुतः कितना घाटा हुआ;

(ख) यह अन्तर होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त घाटे को किस प्रकार पूरा किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1976–77 में संशोधित अनुमानों में 425 करोड़ रुपये के बजट संबंधी घाटे का अंदाजा लगाया गया था। इस वर्ष के लेखों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस वर्ष के बजट में काफी कम घाटा रहेगा।

(ख) घटबढ़ का पूरा विश्लेषण तभी किया जा सकता है जब इस वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिर भी, उपलब्ध विभागीय आंकड़ों से पता चलता है कि संशोधित अनुमानों में होने वाली घटबढ़ मुख्यतः कई अनुदानों के अधीन व्यय में कमी हो जाने से हुई थी।

(ग) घाटे की पूर्ति प्रारंभिक नकद शेष की राशि से लेकर की गई थी।

श्री आर० वेंकटरमन : माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। आम तौर पर लेखे बन्द करने के लिये कितने महीने बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। क्या वर्ष 1976 में कोई विलम्ब हुआ था? यदि हां तो क्या यह लेखों को लेखा परीक्षा से अलग करने के कारण हुआ था?

श्री एच० एम० पटेल : एक तरह से लेखों को लेखा परीक्षा से अलग करने के कारण विलम्ब हुआ था। सिविल विभागों के लेखों के विभागीकरण की योजना 1976–77 में आरम्भ हुई थी। कुछ मंत्रालय 1 अप्रैल से इसके अन्तर्गत आ गये और कुछ 1 जुलाई को और कुछ 1 अक्टूबर को। अतः महालेखा परीक्षक (केन्द्रीय राजस्व) वर्ष के लेखे तैयार करते रहे और इन्हें अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इनके अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही सही स्थिति सामने आएगी। ये लेखे फरवरी मार्च तक तैयार हो पाते हैं।

श्री आर० वेंकटारमन : पहले बजट चार भागों—समाप्त हुए वर्ष के लेखे, बजट प्राक्कलन पुनरीक्षित प्राक्कलन और आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन—में पेश किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गडबड़ी है। समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखों का विवरण नहीं है और पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वास्तविक लेखों के बीच अन्तर के लिये कोई व्याख्या नहीं दी गई है। क्या वित्त मंत्री 1978-79 का बजट पेश करते समय पुरानी प्रथा को अपनाएंगे और समाप्त हुए वर्ष के लेखे प्रस्तुत करेंगे?

श्री एच० एम० पटेल : जो सही प्रथा होगी मैं उसे अपनाने की कोशिश करूंगा। पद्धति में कुछ परिवर्तन हुए थे। जब सभी बातें सामान्य हो जाएंगी तो हम पुरानी प्रथा को अपनाएंगे। पर कब तक अपनायेंगे इसके लिये मैं कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकता।

'एग्री एक्सपो-ए मैस्सिव नान-इवेन्ट"

*452. **श्री शिव सम्पत्ति राम**
श्री डी० जी० गवई } : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में "एग्री एक्सपो" मेले का 13 नवम्बर को उद्घाटन किया गया था जब कि वह पूर्ण नहीं था और विभिन्न मण्डपों में निर्माण कार्य चल रहा था;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 नवम्बर, 1977 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एग्रो एक्सपो—ए मैस्सिव नान-इवेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है:

विवरण

(क) से (ग) एक-दो मण्डपों को छोड़कर, जिसमें आखिरी फिनिश की जा रही थी, सभी मण्डप उद्घाटन के दिन तैयार थे। सरकार को प्रश्न में निर्दिष्ट समाचार का पता है।

समाचार में उठाई गई बातें तथ्यों से सिद्ध नहीं होतीं। एग्री एक्स्पो–77 का आयोजन इस इरादे से किया गया था कि कृषि क्षेत्र तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास का समेकित प्रदर्शन किया जाये।

उसका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कितनी प्रगति हो चुकी है, हाथ में कितने कार्यक्रम हैं, और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। प्रदर्शनी से यह प्रायोजना सिद्ध हुआ कि ग्राम क्षेत्रों से आये बहुत से लोगों ने इसमें शिक्षा ग्रहण की और हमारे समाज के शहरी वर्गों को ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धियों के विषय में पता लगा और हमारी आर्थिक समृद्धि में कृषि का कितना उच्च महत्व पूर्ण भाग है, इसका उन्हें अधिक ज्ञान हुआ। जैसा कि सभी मेलों में होता है, प्रतिदिन दर्शकों की संख्या मेले के उद्घाटन के बाद बढ़ती गई और वह 18,000 प्रतिदिन से बढ़कर मेले की समाप्ति तक लगभग 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गई। मेले की लोकप्रियता इस बात से पता लगी कि उसके समय बढ़ाने की लगातार मांग की जाती रही। परन्तु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण तथा मेला स्थल के विषय में पहले से ही वचनबद्धता थी। कुल मिलाकर 16 लाख व्यक्तियों ने मेला देखा जिनमें 2 लाख किसान तथा शिल्पी भी शामिल हैं जिनके लिये मुफ्त निवास तथा भोजन की व्यवस्था की गई थी। उन्हें बीजों की उच्च उपज किस्मों, उर्वरकों, नाशिकीट मार दवाइयों, पोधों के संरक्षण उपस्कर तथा कृषि में अपनाई जाने वाली आधुनिक विज्ञान तथा टैक्नोलोजी के विकास मे की गई प्रगति का भी ज्ञान हुआ। मेले को 75,000 से अधिक विद्यार्थियों तथा बड़ी संख्या में विदेशियों तथा विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने देखा।

SHRI SHIV SAMPATI RAM : May I know the number of fairs organised by us so for and when shall we able to attain the required maturity so as not to leave any loophols in such fairs ?

SHRI ARIF BEG : I don't have the exact figures of the fairs held so far. But it is not correct to say that we are not mature enough to organise such fairs. The Agri-Expo fair was the largest of all the fairs held so far. About 16,00,000 visitors came to see this fair. This proves that the Trade Fair Authority of India organised this fair with great maturity and it was liked by people of the country.

SHRI SHIV SAMPATI RAM : All the posters in the fair were written in English. The fair was meant for farmers. Will the Hon'ble Minister tell us how many farmers of India know and understand English.

SHRI ARIF BEG : The posters were written in Hindi as well and these were in regional languages in the pavillions of the respective States. Therefore, it is not correct to say that they were in English only.

SHRI SHARAD YADAV : I went round the fair and found that Hindi posters were there only in the U.S.S.R. pavillion and in most of the other pavillions, English knowing ladies were there, who were explaining things to the farmers. These ladies knew English only and knew not a word of Hindi. Why were arrangements not made for the use of the regional languages in the respective pavillions of the States and why was English used in all pavillions. The Hon'ble Minister should tell us as to why he committed such a mistake.

SHRI ARIF BEG : Every effort has been made and will be made in future for the use of the regional languages in all such fairs.

श्री सी० एन० विश्वनाथन : इन 16 लाख दर्शकों में से कितने गैर-हिन्दी भाषी लोग थे और ऐसे कितने किसान थे जो हिन्दी नहीं जानते थे ?

SHRI ARIF BEG : Out of these 16 lakh people, 2 lakh were farmers and most of these farmers were conversant with their respective regional languages only.

SHRI DURGA CHAND : How many States participated in the fair and set up their pavillions there ? Had Himachal Pradesh also set up their pavillion and if not, why not ? Had they applied for setting up pavillion.

SHRI ARIF BEG : We had give necessary information about the fair to Himachal Pradesh and Bihar well in time. But they had certain difficulties and did not participate in the fair.

श्री टी० ए० पाई : क्या विभाग ने इस मेले में हुई गलतियों का पता लगा लिया है और भविष्य में ऐसी गलतियां न हों इसके लिये उपाय कर लिये हैं ? मंत्री जी ने बताया है कि उनके विभाग को ऐसे मेले आयोजित करने का पर्याप्त अनुभव है ? लेकिन अन्य देशों में हमारी इस प्रकार की प्रदर्शनियां बहुत सफल नहीं रही हैं। या तो हमें गम्भीरतापूर्वक भाग लेना चाहिए या बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहिए। जब भी इस प्रकार के सुझाव दिए जाएं तो मंत्री महोदय को उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनसे लाभ उठाना चाहिए।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं मानता हूं कि सदस्यों द्वारा बताई गई गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए। हमने इस मामले में कार्रवाही शुरू कर दी है। कल मैंने व्यापार मेला प्राधिकरण के चैयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत की जिसमें कई सुझाव दिये गये। एक सुझाव यह था कि किसानों के लाभ के लिये हमें दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर भी इस तरह के मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए। यह सुझाव राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित हो सकता है। इस प्राधिकरण को और अधिक सक्षम बनाने के लिये कई सुझाव दिये गये थे। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों को स्वीकार करना चाहता हूं ताकि यह प्राधिकरण और अधिक सक्षम हो सके। और अपना काम सुचारू रूप में चला सके।

एग्रो एक्सपो-77 के समापन समारोह में बैठने की व्यवस्था के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : SEATING ARRANGEMENTS MADE AT THE CLOSING CEREMONY OF AGRI-EXPO 77

अध्यक्ष महोदय : संसद् सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री मोहन धारिया : उसके बारे में मैं एक वक्तव्य अलग से दूंगा। यदि आप चाहें तो मैं अभी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी दे सकते हैं।

एग्रो एक्सपो-77 के समापन समारोह में बैठने की व्यवस्था के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अध्यक्ष महोदय, एग्री एक्स्पो 77 के समापन पर आमंत्रित व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था के विषय में संक्षिप्त चर्चा के अन्त में आपने जो निदेश दिया था उसके अनुसरण में मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्रीमन् समापन समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था करते समय भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने हिदायतें जारी की थीं कि भारत सरकार के पूर्वता अधिपत्र (वारंट आफ प्रिसिडेंस) का पालन किया जाए। परन्तु ऐसा दिखाई देता है कि इन हिदायतों को पालन करने में कुछ चूक हो गई। इसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों ने जो पूर्वता अधिपत्र में संसद् सदस्यों से नीचे स्थान पर हैं कुछ माननीय संसद सदस्यों के आगे की सीटें घेर लीं। इस चूक के लिये मैं हार्दिक खेद प्रकट करना चाहता हूं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी भूल चूक दोबारा न हो, मैंने स्पष्ट हिदायतें जारी कर दी हैं कि सभी सार्वजनिक समारोहों में पूर्वता अधिपत्र का कठोरता से पालन किया जाये और माननीय संसद् सदस्यों की प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

हड्डी मिलों का बन्द होना

*453. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या देश में बहुत सी हड्डी मिलें बन्द हो गई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या विदेशी खरीदारों द्वारा हेरफेर करके मूल्य कम किए जाने के कारण उत्पादक इनके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग कर रहे हैं और यदि हां, तो इस संबंध में निर्यात नीति क्या है और मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जी नहीं। सरकार के पास इस समय जो जानकारी है उसके अनुसार देश में हड्डी चूरा मिलें बड़े पैमाने पर बन्द नहीं हुई हैं।

2. हड्डी चूरे के उत्पादक निर्यातों पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं और वास्तव में वे सरकार से निर्बाध निर्यातों की अनुमति देने का अनुरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर ओसीन और जिलेटिन निर्माता संघ ;जो हड्डी चूरे से ओसीन तथा जिलेटिन के मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करता है, बहुत समय से सरकार से यह अनुरोध करता रहा है कि हड्डी चूरे का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया जाये ताकि उन्हें अपना कच्चा माल मिलता रहे और इन मूल्य वर्धित उत्पादों का देश से अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सके। इन बातों पर विचार करके सरकार ने हड्डी चूरे के निर्यातों के लिये 1-10-1977 से उच्चतम सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या मंत्री महोदय, जिन्होंने कि आंकड़े नहीं दिये हैं, अब सदन को यह बताएंगे कि देश में हड्डियों का कुल कितना उत्पादन होता है, जिलेटिन तथा ओसीन का उत्पादन करने वालों द्वारा हड्डियों की कितनी मात्रा का उपयोग किया जाता है तथा इसके बाद निर्यात के लिये कितनी मात्रा बच रहती है ?

SHRI ARIF BEG : Sir, as the regards total quantity available in the country I want to submit that nearly 2 lakh tonnes of raw bones are available in the country out of which 1 lakh tone are used for crushed bones. The requirement of Orsein manufacturers is about 35, 40 thousand tonnes and then nearly 60 thousand bones are left with us which are our exportable surplus.

डा० वसन्त कुमार पंडित : इसे दृष्टिगत रखते हुए फिर सरकार ने निर्यात की अधिकतम सीमा क्यों निर्धारित की है ? सरकार तब तक ऐसा प्रतिबंध लगाने के लिये प्रतीक्षा क्यों नहीं करती जब तक कि देश में ओसीन तथा जिलेटीन के और एकक स्थापित हो जाएं ताकि उसके बाद हड्डियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सके ? विदेशी सौदागरों ने अपना एक ऐसा संघ बना लिया जिससे कि वह मूल्यों में फेर बदल करते रहते हैं। मंत्री महोदय हमें यही बताना चाहते हैं कि बढ़े हुए मूल्यों के कारण देश को निर्यात करने से अधिक दाम मिलते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा अन्य देशों ने संघ बना लिया है। तथा वह बढ़े हुए मूल्य के अन्य उत्पादन नहीं लेना चाहते परन्तु वह केवल हड्डियां लेना चाहते हैं। जहां तक फालतू हड्डियों के निर्यात का संबंध है, क्या सरकार उसके बारे में अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी तथा हड्डियों के निर्यात पर लगाई गई अधिकतम सीमा में ढील देगी ?

SHRI ARIF BEG : Sir, I want to inform the hon. Member that whatever surplus quota is with us that all is being exported. We had a target for export of 30 thousand tonnes of bones between 1st April, 1977 to 30th September, 1977 whereas we have exported 38 thousand tonnes, which means that our export is 8 thousand tonnes more. For rest of the days our target was for the export of 20 thousand tonnes quota.

I may also inform the hon. Member that we will not allow such a situation to crop up in our country when we may not be in a position to make bones available to bone mills in the country. It is our endevour that whatever product is exported from our country, that should value added product which should give us more profit and at the same time our bone mills which manufacture such products should also not face any difficulty.

प्रो० आर० के० अमीन : श्रीमान जी क्या हड्डियों के निर्यात के अधिकतम सीमा निर्धारित करने के साथ साथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अन्य देश हमारे देश से सामान का आयात करते रहेंगे। कहीं ऐसा न हो आप तो हड्डियों का निर्यात न करें तथा फिर इसके बाद उनसे बनाई गई वस्तुओं का आयात भी अन्य देशों द्वारा बन्द कर दिया जाए। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसके बारे में सरकार की क्या नीति होगी ?

SHRI ARIF BEG : Sir the present situation testifies that the maximum demand is that of orsein and relative. We are trying to ensure that maximum quantity of goods manufactured in our country should be exported. If a situation as stated by hon. Member comes up, we will reconsider the same.

श्री मोहन धारिया : अध्यक्ष महोदय सदन को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि हमारी सरकार की नीति देश के लिये अधिक से अधिक मूल्य दिलवाना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना ही सरकार की नीति है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का सरबन्ध है, सदन को यह जान कर खुशी होगी कि ओसीन की मांग में वृद्धि हो रही है। 1972-73 में केवल 500 टन का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 6 लाख रुपये था सदन को यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 1976-77 में हमने 5200 टन का निर्यात किया है जिनसे हमने लगभग 4.13 करोड़ रुपये के लगभग कमाए हैं।

SHRI SHIV SAMPATI RAM : Sir it has been stated by the Minister that there has been no large scale closure of crushed bone mills. I want to know how many crushed mills are there in the country and how many of them have been closed ?

SHRI ARIF BEG : There are nearly one hundred bone mills in the country and out of them the Government has no information about the closure of anyone of them so far.

SMUGGLED GOODS

*454. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN
SHRI O. P. TYAGI } : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have withheld confiscated smuggled goods without either selling or destroying them;

(b) if so, the items, quantity and the value of such goods withheld by Government at present and the reasons therefor;

(c) whether the sale proceeds of these goods go to the smugglers or to Government and who is likely to earn profit or incur loss as a result of sale or destruction of these goods; and

(d) the standing policy in regard to foreign goods seized by customs authorities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) & (b). In order to prevent malpractices and misuse, Government has taken a decision that smuggled goods which are confiscated should not be sold within India but should either be exported or destroyed. It had come to Government's notice that the sale of such goods was being used as a cover for further smuggling activities. Government is examining how best to give effect to this policy.

The sale of confiscated goods (other than perishable items) to the National Co-operative Consumers' Federation and others except military canteens has been suspended. Some items the list of which is laid on the Table of the House are being disposed of in accordance with the existing prescribed procedure. Government is examining ways and means of disposal of other confiscated items other than by sale within the country. This would include possibility of re-export outside India.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The sale proceeds of these goods, other than gold and silver which are deposited in the Mint, are credited to the Government. As the Government have not taken a final decision regarding destruction of such goods, the question of any loss does not arise.

Statement

(d) (a) Gold and silver;

(b) currency (Indian and foreign);

(c) trade goods;

(d) vessels and vehicles;

(e) precious and semi-precious stones other than diamonds;

(f) fire arms and ammunition;

(g) antiquities;

(h) goods of Indian origin;

(i) heterogeneous items seized in small lots in the confiscated baggage (other than those covered by the provisions of Chapter IVA and Section 123 of the Customs Act, 1962 and the notifications issued thereunder). These items may be disposed of through the retail shops run by the Department in the Custom House.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : I would like to know from hon. Minister that since how long these smuggled goods are lying as these are neither being exported to other countries nor these are being destroyed. I have also asked whether it is being destroyed ? Who gets the benefit of the smuggled goods ? Actually it is the Government who gets the benefit of it. So my submission is that it should not be destroyed but it should either be auctioned or that should be sent to other countries. Several goods are deteriorating. It has not been stated in the answer which goods are detorating; what is the value of the confiscated good and since how long those goods are lying ? What is the reason for the delay ?

SHRI SATISH AGGARWAL : At present goods worth Rs. 43 crores are lying there. A decision to retain these goods was taken by the Cabinet on 16th August, 1977 and an order for the implementation of the same was passed on 27th August, 1977. According to this order the sale of these goods to National Consumer Co-operative. Federation and other institutions except the Military Canteen should be totally stopped. Again on 7th November, 1977 through another order we restored the sale of (a) Gold and silver, (b) Currency (Indian and Foreign), (c) Trade, (d) Vessels and Vehicles, (e) Precious and semi-precious stones other than diamonds, (f) Fire arms and ammunition, (g) antiquities, (h) Goods of Indian Origin and other small goods confiscated in baggage as per the prevailing procedure. So these goods are being disposed off as their sale is continuing So we have issued this order on 7th November to which you may call an amendment or explanation. Gold and silver is being sent to Mint Trade goods; vessels and vehicles; precious and semi-precious stones other than diamonds are being sold out as per the existing procedure. The Government is yet to take its decision with regard to remaining items. At present we are having goods worth Rs. 43 crores.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : What are the items with regard to which decision has not been taken as yet and the difficulties which are coming in the way of taking an early decision. The depreciating value of the goods also causes a loss to the Government.

SHRI SATISH AGGARWAL : No restriction has been imposed on perishable items but several items, such as watches, synthetic yarns and metallised yarn fabrics, saris, alcoholic

liquors, cigars and cigarettes, manufactured tabacco, fountain-pens, ball points pens, perfumes, casmetics, transistors, radios, electrical appliances, hair-driens, liquidisens, automatic irons, electronic calculators, TV sets etc. which are not perishable are under considerable.

SHRI OM PARKASH TYAGI : We are at a loss to understand the stand and policy of the Government. On one hand watches worth Rs. 5 crores are being imported while on the other hand there is good stock of gold which the Government is not bring out. The smugglers are bringing gold from foreign countries. There is lot of difference between the price of gold in India and the gold being brought from foreign countries. This Government is deliberately encouraging the smugglers by its policies. It is now clear that they are having goods worth Rs. 43 crores with them. I have also got the information that Government wants to destroy the same. How strange it is. On the one hand our country starving and we need goods but if they do not want to use those goods. Let those goods be sent to foreign countries. May I know from the Minister if he is agreeable to the suggestion that a committee consisting of the Members of Parliament should be constituted who should ensure that instead of destroying these goods, these goods should be best utilized for the interests of the country. It is necessary to form such a Committee because smuggling cannot be totally stopped and such a Committee will help a lot for forming a permanent policy for the disposed of smuggled goods.

SHRI SATISH AGGARWAL : It is true that goods worth Rs. 43 crores are still lying with the Government but no decision has been taken to destroy the confiscated goods. This is still under the consideration of the Government whether to re-export these goods or these be destroyed.... (*Interruptions*)

SHRI O. P. TYAGI : Why these are being destroyed ? I want an assurance from the Minister that these will not be destroyed ?

श्री एच० एम० पटेल : अभी उन्हें नष्ट करने का प्रश्न नहीं। लेकिन यदि तस्करी की चीजों को बेचा या नीलाम किया जाये तो वे चलन में आ जाती हैं और जो माल पकड़ा नहीं गया है वह भी बाजार में आ जायेगा। इस पहलू पर हम पूरी तरह विचार कर रहे हैं।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I had asked about the constitution of Parliamentary Committee.

श्री एच० एम० पटेल : हम संसदीय समिति नहीं गठित कर रहे। लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो इस पर भी विचार हो सकता है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री वसन्त साठे : 43 करोड़ के माल में कितना खराब हो जाने वाला है। पनीर इत्यादि खराब हो जाएगा। ट्रांसिसटर में जंग आदि लग सकता है। आप आंकड़े बताएं। क्या सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से इन वस्तुओं के निर्यात पर विचार कर रही है?

श्री एच० एम० पटेल : अपने पास रख कर किसी चीज को भी नष्ट नहीं होने दिया जाएगा और कुछ सप्ताह में निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री वसंत साठे : 43 करोड़ के माल में से कितना नष्ट होने वाला है ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। मैं यह एकत्र करके बता सकता हूं।

श्री वसन्त साठे : महोदय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि खराब होने वाली चीजें नष्ट कर दी जाएंगी।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने नहीं कहा।

श्री वसंत साठे : यदि मंत्री जी ऐसा कहते हैं तो हमें जानने का अधिकार है कि कितने करोड़ का माल नष्ट होने वाला है ? वह सूचना की बात कैसे कर सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खराब होने वाली वस्तुएं कुछ एजेंसियों के जरिए वितरित की जाएंगी। उन्होंने सैनिक कैन्टीनों का नाम लिया।

श्री वसंत साठे : यह बात विवादास्पद है। अब वह सैनिक कैन्टीनों की बात करते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं उनके लिये अपने उत्तर का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ देता हूं। कदाचार और दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने तस्करी की पकड़ी हुई चीजें भारत में न बेची जा कर नष्ट कर दी जायें या उनका निर्यात किया जाए। सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इन चीजों की बिक्री की आड़ में अन्य तस्करी की गतिविधियां चालू होती हैं। सरकार इस नीति को प्रभावी रूप देने पर विचार कर रही है।

पकड़ी हुई चीजें (खराब होने वाली वस्तुओं को छोड़कर) की बिक्री नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फैडरेशन तथा सैनिक कैन्टीनों के सिवा अन्य किसी के माध्यम से करने पर रोक लगा दी गई है। कुछ वस्तुएं जिनकी सूची सभा पटल पर रखी है, निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बेची जा रही है। अन्य पकड़ी गई चीजों की बिक्री न करके उन्हें निपटाने पर भी विचार हो रहा है। इसमें भारत के बाहर वस्तुओं का निर्यात भी शामिल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 455।

श्री वसंत साठे : क्या खराब होने वाली चीजें नष्ट की जाएंगी। ऐसी वस्तुओं का मूल्य क्या है? (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी को सभा में आश्वासन देना चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : अभी कुछ नष्ट नहीं किया गया। खराब होने वाली वस्तुओं के बारे में लिया गया निर्णय सभा को बताया जाएगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है। आप भाषण न देना।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, Sh. Satish Aggarwal has said that perishable goods will either be exported or destroyed. You can not export goods worth Rs. 43 crores. It will be destroyed.

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री जी सभा को ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

SHRI MANI RAM BAGRI : Sir, My point of order is this that the reply should not be a vague one. You are guardian of the Question—Answer procedure. You should instruct the Ministers to come prepared. When Lok Sabha is in Session the Minister can not take the decision to destroy the goods.

SHRI SATISH AGGARWAL : I have not taken the decision to destroy them.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण के स्थलों का विकास

*456. श्री सुखेन्द्र सिंह
श्री शरद यादव } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना अवधि में पर्यटकों के आकर्षण के स्थलों के विकास के लिये कुछ सुझाव दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनको पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है तथा उन पर कितनी राशि खर्च होगी ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). Proposals received from the State Government in April/May 1977 included the development of tourist facilities at Khajuraho, Pachmadhi, Bhedaghat, Kanha, Mandu, Sanchi, Ujjain, Maheswar, Omkareshwar, Bhopal and Indore. These will be examined at the time of the Sixth Plan discussions.

SHRI SUKHENDRA SINGH : Sir, whether Chitrakoot, Ramban and Orcha have been included ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I understand that the question related to the development of sites in Madhya Pradesh. I have given information in regard to the scheme submitted to the Central Government ...(*Interruption*)

The scheme suggested by Madhya Pradesh included the development of Khajuraho, Pachmadhi, Bhedaghat, Kanha, Mandu, Sanchi, Ujjain, Maheswar, Omkareshwar, Bhopal and Indore.

SHRI SUKHENDRA SINGH : Sir, the names I have mentioned are important places. Thousands of tourists visit these places. The hon'ble Minister had also visited that place. These are natural sites and streams. So these should also be developed.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : No doubt I had gone there but without receiving detailed information from the State Government as to the number of tourists foreign and otherwise. Till such time we can not start work considering it a place of international importance. While on visit I had asked the Madhya Pradesh officials to furnish me figures. We will consider the matter during the 6th Plan.

SHRI SHARAD YADAV : Sir, I think no other State except Madhya Pradesh has so much tourist sites in India. But during the last 30 years a very meagre amount has been spent in that State. I can say that Bhedaghat is one of the most beautiful place in the world. So the Government should pay proper attention to this State.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I am not answerable to what happened during the last 30 years. The Janata Government from the very beginning have decided to devote equal attention to the development of all the natural sites and tourist spots with our limited means. In this connection we have urged all the States in the Conference of State Minister to send us the prepared prospective plan. Unfortunately we have not yet received these prospective plans from almost half the number of States.

I am aware of Bheraghat's importance. We can have a developed tourist centre during the 6th Plan.

SHRI NIRMAL CHANDER JAIN : Both Bheraghat and Kanhakisli the two places near Jaipur are important places. In Bheraghat, there should be provision for light, lifts and hotels and cars etc. Similarly air service should be provided for going to Kanhakisli. May I know the amount likely to be provided on these places during the 5th plan and when air service will be provided for Kanhakisli ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I can not say about expenditure during the 6th plan. We are considering the matter regarding Bheraghat but it all depends upon the Planning Commission. However I may tell you that construction of roads, provision of water etc is the task of State Government.

SHRI NIRMAL CHANDER JAIN : L have asked about hotels, motels, electricity, lift and aeroplane etc.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : The hon. Member should urge the State Government to provide electricity.

SHRI MANI RAM BAGRI : We have to talk to the Central Ministers.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : The Primary requirements should be provided by the States. We have provided them grant for this purpose.

The State Tourism Development Corporation has build a forest-lodge. Boating facilities are going to be provided by the Panchayat. We have arranged a tourist coach also. We have given money to the State Tourism Department for the provision of water. We are constantly trying to attract more tourists.

At present it is not possible to link Kanha with air-service. Jabalpur has air-service which is not very far from Kanha. With smooth road facilities traffic will increase.

अध्यक्ष महोदय : श्री के० लकप्पा।

SHRI Y P. SHASTRI: Sir, I have a point of order. (*Interruption*) The names mentioned by the hon. Minister are those where some development has already taken place.

अध्यक्ष महोदय : आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे। आप कृपया भाषण न दें। इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाए।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री**

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं उन्हें अनुमति न दूं वह प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्या किसी एक सदस्य के लिये अलग नियम है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये। मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था के प्रश्न पर उठे थे।

श्री के० लकप्पा : भारत पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश में पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये जा रहे हैं। क्या मंत्री जी राज्यों के प्रस्तावों पर विचार करेंगे या उनका मंत्रालय स्वयं प्रस्ताव तैयार करेगा देशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मूल सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। राज्यों द्वारा दिये गये कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और उन स्थानों के विकासार्थ कितना धन खर्च किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में है।

श्री के० लकप्पा : अनुपूरक प्रश्न से उत्पन्न बात के बारे में मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री ए० बाला पजनौर : मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों के प्रस्तावों पर वह गम्भीरता पूर्वक विचार (व्यवधान) कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा यूं ही लीपा पोती की जाती है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने पांडिचेरी में हवाई अड्डे का प्रस्ताव भेजा है। क्या मंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : It is correct that we have invited proposals from State Governments and we will consider them. We will not keep them to ourselves

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

But we will consider the development of places which are important from the point of international tourism. Financial allocation depends upon on the sanction by Planning Commission.

I have no information in regard to Pondicherry proposal. We have received perspective plans from 16 States only.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ऋण संबंधी परियोजना पर बातचीत

*447. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से जो विश्व बैंक से सम्बन्ध है, 20करोड़ डालर के ऋण के लिए अप्रैल, 1977 में द्वितीय कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ऋण संबंधी परियोजना पर बातचीत की थी ;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सरकार से प्रति वर्ष कितने प्रतिशत ब्याज दर तथा/ अथवा सेवा शुल्क वसूल करता है ;

(ग) सरकार कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम से प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत ब्याज दर वसूल करेगी ;

(घ) कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम विभिन्न विकास योजनाओं के लिए पुनर्वित्त पर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत ब्याज लगाएगी ; और

(ङ) भूमि विकास बैंक विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं के लिए अन्तिम उधारकर्त्ता से प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत ब्याज दर लेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हा ।

(ख) भारत सरकार को इस ऋण के अंतर्गत मूलधन की निकाली गई और समय-समय पर बकाया रकम पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से केवल सेवा प्रभार देना है ।

(ग) इस समय भारत सरकार द्वारा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से अधिक से अधिक 9 वर्ष के पुनर्वित्त के लिए 6.75 प्रतिशत वार्षिक और 9 से 15 वर्ष तक के पुनर्वित्त के संबंध में 7.25 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है ।

(घ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम राज्यों के भूमि विकास बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और राज्यों के सहकारी बैंकों से लघु सिंचाई और भूमि विकास योजनाओं के लिए दिए गए ऋणों पर इस समय 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से और अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए दिए गए ऋणों पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लेता है ।

(ङ) भूमि विकास बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्तिम ऋणकर्त्ता से लघु सिचाई और भूमि विकास योजनाओं के लिए कम से कम 10.5 प्रतिशत वार्षिक और अन्य योजनाओं के लिए कम से कम 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लें ।

FACILITIES TO FOREIGN TOURISTS

*448. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of TOURISM & CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether a survey was undertaken about the manner of spending by the visiting foreign tourists by Government; and

(b) if so, the salient feature thereof and the nature of facilities the Government propose to provide to the foreign tourists as a result of the survey made in this regard?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). The Department of Tourism had commissioned the Administrative Staff College of India, Hyderabad to undertake a Survey in 1976-77 of foreign tourists for eliciting information, among other things, on their expenditure and reaction patttern, duration of stay, etc. The final report of the Survey is yet to be received. Only after its receipt would it be possible to indicate its salient features and what action will be taken on the findings of the Survey.

छिपी आय की स्वैच्छिक घोषणा की योजना शुरू करना

*449. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छिपी आय की स्वैच्छिक घोषणा की योजना शुरू करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : छिपाई गई आय को स्वेच्छा से प्रकट करने के लिए किसी नई योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जो व्यक्ति छिपाई गई आय तथा धन को प्रकट करने के इच्छुक हैं, वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 273-क की उप-धारा (1) तथा धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18-ख की उप-धारा (1) के उपबंधों का फायदा उठा सकते हैं, जो उनमें की गयी व्यवस्था के अनुसार, आयकर आयुक्त तथा धनकर आयुक्त को ब्याज और / अथवा अर्थ-दण्ड की रकम को कम करने अथवा माफ करने की इजाजत देते हैं।

कोई निर्धारिती, जिस के विरुद्ध आय-कर सम्बन्धी अथवा धनकर सम्बन्धी कोई कार्यवाही विचाराधीन हो, समझौता आयोग (आयकर तथा धन-कर) को अपने मामले में निर्णय के लिये उस स्थिति में आवेदन भी कर सकता है यदि आयकर आयुक्त तथा धन-कर आयुक्त का इस बात से समाधान हो कि आय तथा धन को छिपाने अथवा जालसाजी करने का मामला किसी भी आय-कर तथा धनकर अधिकारी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है अथवा उसे सिद्ध किये जाने की सम्भावना नहीं है।

सरकार द्वारा सोने की बिक्री

*450. **श्री अनन्त दवे :**
श्री शंकरसिंहजी बाघेला } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजार में सोने का मूल्य बहुत बढ़ गया है और यदि हां, तो सोने का वर्तमान मूल्य क्या है ;

(ख) सरकार के पास इस समय सोने की कितनी मात्रा है;

(ग) क्या सरकार बाजार में सोने का मूल मूल्य कम करने के लिये विगत कुछ समय से देश में अर्जित किये गये सोने को रिलीज करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इसे कब बेचने का है, कितना सोना बेचने का विचार है और यह किस दर पर बेचा जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां। इस वर्ष जून के महीने से सोने की कीमतें बराबर बढ़ती रही हैं ; 20 नवम्बर, 1977 को इसकी अब तक सबसे ऊंची कीमत 706 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। किन्तु उसके बाद कीमतें कम होती गई और 8 दिसम्बर, को इसका बन्द भाव 677 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

(ख) सरकार के पास सोने की मात्रा 1-10-1977 को लगभग 8.5 करोड़ फाइन ग्राम थी।

(ग) जी, नहीं :

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुनाफे

*451. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुनाफों में बहुत कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) गत छः महीनों से ये मुनाफे कितने कम हुए हैं ;

(घ) प्रत्येक बैंक को हुई हानि का ब्यौरा क्या हैं ;

(ड़) गत छः महीनों के दौरान इन बैंकों में कुल कितनी हड़तालें हुई और इनके फलस्वरूप उन्हें कितनी हानि हुई ; और

(च) इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में गत छः महीनों के दौरान बैंक कर्मचारियों को कितना समयोपरि–भत्ता दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) चौदहों राष्ट्रीकृत बैंकों का कुल प्रकाशित लाभ पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बैंकिंग कम्पनी (उपकरणों का अग्रिहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को वार्षिक रूप से अपने खातों की बन्द करते हैं और उनका अधिशेष (बैलेंस) निकालते हैं। तथा इसलिये उनका 6 महीनों का लाभ बताना सम्भंव नही है।

(घ) पिछल सात वर्षों में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई हानि नहीं दिखाई है।

(ड़) भारतीय बैंक संघ ने जो भारतीय बैंकिंग उद्योग की और से बैंक कर्मचारियों के साथ वेतन-संशोधन पर बातचीत करता है, सूचित किया है कि कितने ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी उद्योग

स्तर पर आन्दोलन कर रहे हैं जिसमें 18, 29 अगस्त, 13 सिम्बर और 5 दिसम्बर, 1977 को हुई 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल और 27 सितम्बर, 1977 को हुई पूरे दिन की हड़ताल शामिल है। इसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है कि इन हड़तालों की वजह से बैंकों को कितनी हानि हुई।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली

***455. श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री ईश्वर चौधरी } **: क्या वाणिज्य तथा नागरिक और सहकारिता**

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करने और उसके बारे में सलाह देने के लिये सभी जिलों में सलाहकार समितियों का गठन करने के बारे में अपनी नीति की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके गठन और कृत्यों संबंधी ब्यौरा क्या हैं।

(ग) क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई व्यावहारिक सुधार लाने में ऐसी समितियां क्या रचनात्मक योगदान देंगी विशेषकर जबकि राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना ही एकमात्र जोन प्रणाली के बारे में अपने निर्णय की सरकार ने घोषणा कर दी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) : केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है, **(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1384/77)** जिसमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का ब्यौरा और समितियों की परिकल्पित भूमिका दी गई है।

CAUSES OF AIR ACCIDENTS OCCURRED IN 1977

*457. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of air-accidents is more in 1977 as compared to that in previous years;

(b) the causes of these air accidents; and

(c) the number of air accidents which took place during the last 5 years and the number of persons killed therein?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) :

(a) No, Sir. The number of air accidents that occurred during the last five years is as under :

Year	*No. of air accidents*
1973	38
1974	25
1975	17
1976	17
1977	15

(b) The details of the air accidents that occurred during the 1977 and causes in cases where investigation has been completed are as under :—

Sl. No.	Date & Place of accident	Owner/Operator	Type & Redg marks	Cause of the accident
1	2	3	4	5
1.	16-2-1977 Gokak Mills Airfied	Dr. S'. V. Bhave, Surgical. Nursing Home, Poona.	Bonanza VT-CZE	Under investigation.
2.	22-2-1977 Safdarjung Airport, New Delhi.	Delhi Flying Club	Pushpak VT-DPX	The accident was caused by an error of judgement on the part of the pupil pilot who gave a high check for landing thereby stalling the aircraft from consideration height.
3.	12-3-1977 Narisnghpur near Jab-Jabalpur.	Indamer Co.	Piper Apache VT-DIQ	Under investigation.
4.	22-3-1977 Madhumalai near Bangalore.	Pushpak Aviation	Bell 47 G5 Helicopter VT-EAE	Under investigation.
5.	5-4-1977 Village Edavalli (Andhra Pradesh)	National Remote Sensing Agency.	DC - 3 VT - EEL	The aircraft flying under VFR (Visual Flight Rules) conditions. collided with a jutting rock on the top of a hill, probably because it was obscured by a patch of cloud and not noticed by the pilot in time, to take evasive action.
6.	6-5-1977 Coimbatore	Coimbatore Flying Club.	Pushpak VT - DNP	Under investigation
7.	7-5-1977 Jagraon	Ludhiana Aviation Club.	Pushpak VT - DZC	The aircraft stalled and crashed during a steep climbing turn from a low height, and recovery from stall was not possible due to low height.
8.	12-6-1977 Ahmedabad.	Gujarat Government Flying Club.	Glider VT - GBH	During recovery from intended stall, the pilot took a premature right hand turn, which initiated a spin and loss of control, resulting in the Accident.

1	2	3	4	5
9.	16-7-1977 Jammu	Indian Airlines	F - 27 VT - DOL	Under investigation
10.	22-7-1977 Near Faridabad	Directorate of Agri-cultural Aviation	Bell 47 G5 Helicopter VT - EBG	Under investigation
11.	6-8-1977 Near Ellanabad	Do.	Basant VT - EEA	Under investigation.
12.	11-9-1977 Near Ratia	Do.	Basant VT - ECY	Under investigation
13.	14-9-1977 Hijraon (Haryana)	Do.	Basant VT - EEO	Under investigation
14.	27-10-1977 Near Bhavani-patna (Orissa)	Do.	Basant VT - BEE	Under investigation
15.	25-11-1977 Near Sindhanur (Karnataka)	Bharat Agro Aviation	Bell 47 G5 Helicopter VT-ECB	Under investigation

(c) The number of air accidents that occurred during the last five years and the number of persons killed are as under :—

Year	No. of air accident			No. of persons killed			Total
	Fatal	Non-Fatal	Total	Passen-gers	Crew	Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1973 . .	5	33	38	48	11	1	60
1974	4	21	25	1	4	—	5
1975 . .	3	14	17	5	2	—	7
1976	3	14	17	90	7	1	98
1977 . . (Upto 14-12-77)	1	14	15	5	5	—	10
TOTAL .	16	96	112	149	29	2	180

राज्य व्यापार निगम द्वारा लिया जाने वाला ऊपरी लाभ कम किया जाना

458. **श्री बी० के० नायर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम ने कितना लाभ अर्जित किया है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा सौदों पर लिए जाने वाला लाभ प्राय: 20 प्रतिशत से अधिक होता है; और

(ग) क्या निर्यात वस्तुओं के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और आयातित सामग्री तथा वस्तुओं के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्य व्यापार निगम उचित मामलों में ऊपरी लाभ को काफी कम करने और उसे 'न लाभ न हानि' स्तर पर लाने के लिए विचार करेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कमाये गये (कर पश्चात्) लाभ नीचे दिये गये हैं :—

विवरण (लाख रुपयों में)

वर्ष	लाभ(कर पश्चात्)
1972-73	593.25
1973-74	423.58
1974-75	649.99
1975-76	570.39
1976-77	944.33

(ख) जी नहीं। निर्यात की अधिकांश मदों पर लिया गया लाभ 1/4 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच रहता है। आयातों के मामले में राज्य व्यापार निगम के लाभ आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित कीमत निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और और आमतौर पर 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के दीच होते हैं जो प्रयोक्ताओं की श्रेणियों पर निर्भर हैं। 72 प्रतिशत आयातों के लिए राज्य व्यापार निगम के प्रभार केवल 1 से 2 प्रतिशत तक हैं। 15 प्रतिशत का अधिकतम लाभ बूअरी हाप्स पर चार्ज किया जाता है।

(ग) कीमत निर्धारण समिति द्वारा अपनाई गई नीति यह है कि वस्तुओं की कीमतें इस प्रकार निर्धारण की जाएं कि कीमत स्तर यथासंभव नीचा रहे और यह सुनिश्चित रहे कि ऐसे व्यापार में मार्गीकरण अभिकरण "उचित तथा व्यायसंगत लाभ" से अधिक न कमायें। केवल कुछ नाजुक मदों के विषय में अधिक लाभ रखा जाता है जिनकी बाजार में अधिक कीमत हो या जबकि स्वदेशी उत्पादकों की रक्षा करनी हो।

STRENGTH OF CLERICAL GRADE AND GRADE II OFFICERS IN NATIONALISED BANKS

*459. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the strength of clerical grade and of officers, grade II and grade I in the nationalis-

(b) whether the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts in these banks has been completed; and

(c) if not, whether Government propose to issue instructions to bank managements to select only the people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe till the quota reserved for them in grade II and grade I is completed?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The staff in the nationalised banks is categorised as 'Supervisory', 'Clerical' and 'Subordinate'. The category-wise statement of employees in the Supervisory and Clerical Grades as on 31-12-1976, the number of Scheduled Castes/Tribes among them and their percentage in the fourteen nationalised banks is laid on the table.

(b) Nationalised banks have reported that the entire quota of reserved vacancies could not be filled for want of suitable candidates from these communities despite relaxations given to them in age, educational qualifications and qualifying standards.

(c) In accordance with the existing instructions, the number of normal reserved vacancies and the carried forward vacancies together is not to exceed 50 per cent of the total vacancies in any recruitment year. Within the framework of existing instructions, Government have advised the public sector banks to take special measures to fulfil the quota of reserved categories.

STATEMENT

Statement showing the total number of staff in the Supervisory and Clerical cadres in the nationalised banks and the number of and percentage of scheduled castes and scheduled tribes among them as on 31-12-1976.

Sl. No.	Name of the Bank	Scheduled Castes & Scheduled Tribes					
		Total		Supervisory		Clerks	
		Supervisory	Clerks	Number	% age to total	Number	%age to total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Central Bank of India	6923	15701	11	0·16	789	5·03
2.	Bank of India . .	5020	12689	117	2·33	1699	13·39
3.	Punjab National Bank	3692	10169	40	1·08	1067	10·49
4.	Bank of Baroda .	4502	10572	39	0·87	1042	9·86
5.	United Commercial Bank	4110	7212	39	0·95	315	4·37
6.	Canara Bank . .	3603	12286	61	1·59	1423	11·58
7.	United Bank of India .	2813	7002	53	1·88	676	9·65
8.	Dena Bank . .	2650	5831	9	0·34	672	11·52
9.	Syndicate Bank . .	3844	10815	79	2·06	899	8·31
10.	Union Bank of India .	4027	8404	42	1·04	635	7·56
11.	Allahabad Bank . .	1540	4400	33	2·14	243	5·52
12.	Indian Bank . .	2642	5262	74	2·80	711	13·51
13.	Bank of Maharashtra	1660	3945	20	1·20	402	10·19
14.	Indian Overseas Bank .	2198	5259	62	2·82	811	15·42
	TOTAL . .	49224	119547	679	1·38	11384	9·52

औद्योगिक उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

*460. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक उद्यमियों का आस्तियों के रूप में उचित जमानत, समर्थक ऋणाधार अथवा अन्य प्रतिभूतियां लेकर भारी ऋण देने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या हाल ही में ऐसा हुआ है कि एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीयकृत बैंक ने ऋण लेने वाली कम्पनियों/व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति एवं ऋण की अदा करने की उनकी क्षमता का ध्यान रखे बिना ही कई लाख रुपये के ऋण दिए ;

(ग) इस तरह के बुरे लेनदेन में डूबी राशि को वसूल करने तथा इस बारे में उत्तर-दायित्व निर्धारित करने के लिये क्या कार्रवाही करने विचार है; और

(घ) जमाकर्ताओं के धन को इस बुरी तरह से हड़प लिए जाने के बचाने के लिये उनका विचार क्या उपाय करने का है ?

विवरण

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऋण मंजूर करने के मामले में सरकार और और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये गये निदेशों और आदेशों से राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक का पथ प्रदर्शन होता है । ऋण देने की अपनी नीति बनाते और उसका कार्यान्वियन करते समय बैंक अधिकतर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके अग्रिमों के वितरण का तरीका मोटे तौर पर राष्ट्रीय योजना की प्राथमकिताओं के अनुरूप हो । ऋण प्रस्तावों की जांच करते समय बैंक प्रतिभूति को महत्व देते ह और बैंक परि-सम्पत्तियों पर अपने प्रभाव द्वारा तथा आवश्यक होने पर गारण्टी भी ले कर अपना हित सुरक्षित करते हैं। अलबत्ता कार्यवाही करते समय केवल प्रतिभूति ही कसौटी नहीं होती। बैंक उस प्रायोजना पर जोर देते हैं जिसके लिये वित्तीय सहायता मांगी गई है और ऋण लेने वाले एकक से होने वाली आय का भी ध्यान रखते हैं।

ऋण प्राधिकर योजना के अधीन सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की किसी एक पार्टी को 2 करोड़ अथवा उससे अधिक की सीमा अथवा वह सीमा, जिससे ऐसी पार्टी द्वारा बैंकिंग प्रणाली से ली गई सीमाओं की कुल रकम 2 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक होती हो तो उसके लिये रिजर्व बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त करें । अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मामले में यह सीमा 3 करोड़ रुपये की है । वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-सरकारी पार्टी को 25 लाख रुपये से अधिक के और सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक के 3 वर्ष से अधिक की अवधि में प्रतिदेय मध्यम, अथवा दीर्घकालीन ऋण मंजूर करने के लिये रिजर्व बैंक का प्राधिकरण उस स्थिति में भी अपेक्षित है जब कुल ऋण सीमाएं मिलाकर क्रमशः 2 करोड़ रुपये और 3 करोड़ रुपये न होती हों।

(ख) से (घ) : बैंक के नाम के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक इस बैंक अथवा उसके द्वारा अंधाधुंध दिये गये तथाकथित ऋणों का पता नहीं लगा सका है । अलबत्ता, जमा-कर्ताओं के हितों की रक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति और कारोबार के तरीके कों का मूल्यांकन करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनका सावधिक निरीक्षण किया जाता है । ऋण मंजूर करने में बैंक द्वारा यदि कोई अनियमितताएं की गई हों तो उनके सभी मामलों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 35 के अधीन बैंक का निरीक्षण करते समय की जाती है । निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित अनुवर्ती कार्यवाई की जाती है ताकि सम्बन्धित बैंक के कारोबार में वांछित सुधार

किया जा सके और यदि कोई अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हो तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जा सके।

KARTIKA FAIR IN JHALRAPATAN (RAJASTHAN)

*461. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the details of fairs organised in different parts of the country for which Central Financial Grant is provided by treating them as national fairs;

(b) whether Government propose to treat the Kartika Mela, organised on the bank of the Chandravati river in Jhalrapatan in Rajasthan, as a national fair; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) The Department of Tourism has no provision for subsidising fairs and festivals held in India. Some of the State Governments have been promoting fairs which are of tourist interest.

(b) & (c) Does not arise.

बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋण

*462. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 तक और 31 अक्तूबर, 1977 तक किसानों को कुल कितने ऋण दिए गए ;

(ख) किसानों को ऋण मंजूर करने के बारे में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को क्या निश्चित अनुदेश जारी किए गए हैं ;

(ग) कृषि-उद्योगों को ऋण मंजूर करने के बारे में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को क्या निश्चित अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) सरकारी नीतियों और अनुदेशों का द्रुत गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए गए धन सम्बन्धी प्रबन्ध का क्या ब्यौरा है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 31 मार्च, 1977 की स्थिति (ताजे से ताजे उपलब्ध आंकड़ों) के अनुसार कृषि कार्यों के लिए दिये गये अग्रिम तथा बकाया की राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

	खातों की संख्या	बकाया राशि
कृषि के लिये दिया गया प्रत्यक्ष ऋण	44,87,510	1005.83
कृषि के लिए दिया गया अप्रत्यक्ष ऋण	5,38,965	337.35
जोड़	50,26,475	1343.18

31 अक्तूबर, 1977 के अन्त तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, समय-समय पर, कृषि क्षेत्र के लिये ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों की मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं। बैंकों को कृषि की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों की ओर ध्यान देने के लिए कहा गया है और ऋण प्राप्त करने के लिए जमानत पर जोर देने की अपेक्षा ऐसे ऋणों के लेने के पीछे उनके प्रयोजन और उत्पादन पहलुओं तथा परियोजना की आय वृद्धि की क्षमता पर अधिक जोर देने के वास्ते कहा गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में कार्याचालन का क्षेत्र, स्टाफ, ऋण सिद्धांत, ऋण देने के पैमाने, मौसम की अनुकूलता तथा अदायगी का समय जैसे विषय भी आ जाते हैं। बैंकों को अपने आवेदन फार्मों और कार्यविधि को सरल बनाने तथा कृषि क्षेत्र के लिये ऋणों की मंजूरी के वास्ते पर्याप्त अधिकार देने की भी सलाह दी गयी है।

(ग) एग्रो-इण्डस्ट्रीज को ऋण मंजूर करने के लिए कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किये गये हैं। अलबत्ता, बैंकों के पास ऐसी योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत ऐसे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैंकों के वृद्धिधगत संसाधनों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाये, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि मार्च, 1979 के अन्त तक उनके कुल अग्रिमों का 33.3 प्रतिशत कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रों को मिलने लगे। बैंकों को ये यह भी सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि उनकी ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से जुटाई गयी जमाओं का 60 प्रतिशत ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लगाया जाये।

APPOINTMENT OF AGENTS OF L.I.C.

463. SHRI NARMADA PRASAD RAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether great favouritism is shown at the time of appointment of Life Insurance agents in the Life Insurance Corporation;

(b) whether by giving "benami" agencies in the names of the illiterate wives of the big industrialists, business men and Government officers, their black and bribed money is converted into white money by showing it as commission and rebate from the Life Insurance Corporation;

(c) whether it deprives those educated unemployed persons of employment who run, from pillar to post in search of it;

(d) whether the appointment of the Agents is done by the Development Officer; and

(e) if so, whether Government propose to provide for the appointment of educated unemployment on these posts through employment exchanges by changing the relevant rules in this regard ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). No, Sir.

(e) Employment Exchanges are being approached by the LIC for sponsoring candidates for appointment as agents under the Career Agents Scheme.

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा एकाधिकार गृहों को दी गई वित्तीय सहायता

*464. **श्री वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले एकाधिकारी गृहों को अप्रैल से अक्तूबर, 1977 के दौरान कुल कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) इन एकाधिकारी गृहों को ब्याज की किस दर पर वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान एकाधिकारी गृहों को छोड़कर अन्य औद्योगिक एककों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान दीर्घकालीन ऋण देने वाली अखिल भारतीय सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने मिलकर एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 69 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों को ऋण और हामीदारी के रूप में लगभग 118 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और अन्य प्रतिष्ठानों को 600 करोड़ रुपये की राशि दी थी।

(ख) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अधीन पंजीकृत प्रतिष्ठानों को सहायता के लिए ब्याज की कोई विशेष दर निर्धारित नहीं की गई है। संस्थाओं की उधारों पर ब्याज की सामान्य दर दीर्घकालीन ऋणों के लिए 11 प्रतिशत है। अलबत्ता, निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं के लिए संस्थाएं वार्षिक 9.5 प्रतिशत (विदेशी मुद्रा से ऋणों के मामले में 10 प्रतिशत) की रियायती दर से ब्याज लेती हैं। चुने हुए उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए आसान शर्तों पर ऋण (साफ्ट लोन) योजना के अन्तर्गत मंजूर किये गये ऋणों पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। आवधिक ऋणों के अलावा अन्य रूप में उपलब्ध कराये गये वित्त के लिए ब्याज की दर मंजूर की गई सहायता के प्रकार, उद्योग के स्थान और मंजूरी की तारीख को चालू ब्याज की दरों के आधार पर भिन्न होती हैं।

HOSTELS BEING RUN BY I.T.D.C.

*465. HRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the hotels being run by the ITDC (Indian Tourism Development Corporation) in the country;

(b) the expenditure incurred thereon, hotel-wise in 1976 and the revenue earned as against the expenditure; and

(c) in case any hotel has incurred any loss, the justification for running it ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). The ITDC (Indian Tourism Development Corporation) is running 15 hotels in the country. A statement giving their names, the expenditure incurred thereon hotel-wise during the financial year 1976-77 and the revenue earned as against the expenditure is laid on the Table of the House.

(c) Of th 15 hotels, 7 hotels incurred losses during 1976-77. The reasons for losses in each case are given in the statement referred to in reply to (a) and (b) above. All these hotels are located at important tourists centres and are thus expected to register improvement in their financial operations.

Statement

Hotel-wise expenditure incurred on ITDC's Hotels in 1976-77 and the revenue (before tax) earned as against the expenditure

Sl. No.	Name	Revenue	Expenditure	Profit/ Loss	Reasons for loss
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7)
		(Rupees in lakhs)			
1.	Ashoka Hotel, New Delhi	541·42	418·37	123·05	
2.	Janpath Hotel, New Delhi .	182·75	151·67	31·08	
3.	Lodhi Hotel, New Delhi .	78·77	65·04	13·73	
4.	Ranjit Hotel, New Delhi . .	72·05	64·30	7·75	
5.	Akbar Hotel, New Delhi . .	181·78	152·93	28·85	
6.	Qutab Hotel, New Delhi .	41·16	40·11	1·05	
7.	Hotel Ashoka, Bangalore .	123·47	138·68	(—)15·21	Increase in provision for depreciation, employees' remuneration and benefits, etc.
8.	Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur.	10·76	11·93	(—)1·17	This is only the 4th year of its operation.
9.	Aurangabad Hotel, Aurangabad	7·06	16·01	(—) 8·95	Heavy depreciation. Besides the hotel is yet in its gestation period.
10.	Khajuraho Hotel, Khajuraho	18·33	16·04	2·29	
11.	Varanasi Hotel, Varanasi .	31·86	25·61	6·25	
12.	Airport Hotel, Calcutta	40·01	67·32	(—) 27·31	Still in gestation period.
13.	Kovalam Hotel, Kovalam .	24·26	48·44	(—)24·18	Do.
14.	Lalitha Mahal Palace Hotel, Mysore.	15·78	16·87	(—) 1·09	Do.
15.	Hotel Pataliputra, Patna . .	13·67	19·72	(—) 6·05	Do.

निर्यात-प्रधान उद्योगों में स्थिरता

*466. **श्री विनोद भाई बी० शेठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की बदलती हुई विदेश-व्यापार नीति के कारण हमारी निर्यात-साख को धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बात को देखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि निर्यात-प्रधान उद्योगों में स्थिरता आए?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। हमारे निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जैसी संभावना थी चीनी,

हाथ से चुनी तथा छंटी मूंगफली, सीमेंट आदि जैसी मदों के निर्यात कर पाना संभव नहीं है और यद्यपि कुछ पश्चिमी देशों ने हमारे सिले सिलाये परिधानों के निर्यातों पर कतिपय प्रतिबन्ध लगा दिये हैं; फिर भी इस वर्ष अप्रैल-सितम्बर, की अवधि के दौरान हुए निर्यात पिछले वर्ष की उसी छमाही में हुए निर्यातों की तुलना में 10.9 प्रतिशत अधिक हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय का सुरक्षित भण्डार बनाने का प्रस्ताव

4167. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्यात क्षेत्र में अपने नियंत्रण को ढीला करने से पूर्व सरकार का चाय का आरक्षी भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : सरकार की यह सुनिश्चित करने की कोशिश रहती है कि घरेलू खपत के लिये हर समय और उचित दामों पर पर्याप्त मात्रा में चाय उपलब्ध होती रहे। विदेशी मांग को पूरा करने की जरूरत आन्तरिक आवश्यकता को पूरा करने के बाद द्वितीय स्थान पर आ सकती है। इसको देखते हुए 1976 के दौरान 7724.22 करोड़ किलोग्र० के वास्तविक निर्यातों के स्थान पर वर्ष 1977-78 के दौरान निर्यात लगभग 22.50 करोड़ किलोग्र० तक रखने का निर्णय किया गया। यद्यपि इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा उत्पादन लगभग 4 करोड़ किग्रा० अधिक होने की संभावना है। पाइपलाईन स्टाक के रूप में उपलब्ध अधिक मात्रा आरक्षित भंडार के रूप में रहेगी और ऐसी कमी का परिहार करेगी जैसे कि इस वर्ष के पूर्वार्ध के दौरान पैदा हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप क़ीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

एक सरकारी उपक्रम भारतीय चाय व्यापार निगम लि० पहले ही विभिन्न केन्द्रों में चाय नीलामियों में भाग ले रहा है। एन० सी० सी० एफ० तथा नेफेड ने भी नीलामियों में चाय खरीदने तथा इसे अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरण करने के प्रबन्ध किये हैं। इन अभिकरणों द्वारा भाग लेने का मुख्यत: यह उद्देश्य है कि उचित मूल्यों पर अधिक चाय आन्तरिक उपभोक्ताओं को मिल सके और यदि आवश्यक हो तो वे बड़े पैमाने पर कार्य कर सकें।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबन्धकों के कार्यालय

4168. **श्री रामधारी शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालय, अन्य राष्ट्रीय कृत बैंकों की भांति ही संबंधित क्षेत्रों में होने की बजाये नयी दिल्ली में ही क्यों स्थित हैं;

(ख) क्या इसके कारण संबंधित क्षेत्रों के विकास में बाधा और बैंक पर अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ा है; और

(ग) इन क्षेत्रों (दिल्ली सर्कल) के संबंध में अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति क्या है और किसी क्षेत्र में पदोन्नत व्यक्तियों को उसी क्षेत्र में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर क्यों नहीं खपया जाता क्योंकि इन व्यक्तियों को उन्हीं क्षेत्रों में न खपाये जाने, से, उनके एक

क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण पर, उन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं तथा बैंक को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसके संगठनात्मक ढांचे पर 1971 में भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की सहायता से बड़ी गहराई से विचार किया गया था। पुनर्गठित तंत्र के अनुसार, क्षेत्रीय प्रबंधक, जोकि शाखाओं का नियंत्रण करने वाले अधिकारी हैं, स्थानीय मुख्य कार्यालय तथा योजना पक्ष के अन्य नियंत्रण करने वाले प्राधिकारियों के साथ संबंधित मुख्य कार्यालयों में अवस्थित होते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक को उसके कार्यचालन के क्षेत्र में अवस्थित करने के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया था और यह पाया गया कि परिमण्डल (सर्कल) के उच्च अधिकारियों के साथ निरंतर पारस्परिक कार्रवाई की आवश्यकता तथा महत्व, स्थानीय मुख्य कार्यालय पर उपलब्ध योजना पक्ष की "फीड बैंक' तथा विशेषज्ञ सहायता और शीघ्रता निर्णय की आवश्यकता को देखते हुए, क्षेत्रीय प्रबंधकों को स्थानीय मुख्य कार्यालय पर अवस्थित करने से कुल मिला कर होने वाले फायदें, उनके कार्यचालन के क्षेत्र से भौगोलिक दूरी से होने वाली हानियों की तुलना में कहीं अधिक है।

बैंक के अनुसार, इस प्रकार के प्रबंध से संबंधित क्षेत्रों के विकास में बाधा नहीं आयी है।

(ग) अखिल भारतीय आधार पर, बैंकों, ने सर्कल के अन्दर किसी प्रकार की विशिष्ट अंतः क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति नहीं बनायी है। यह मामला स्थानीय मुख्य कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। सामान्यतः, बैंक के अधिकारियों, विशेषकर कनिष्ठ (जूनियर) स्तर के अधिकारियों से, वह अपेक्षा की जाती है कि जिस सर्कल से संबंधित है उसके किसी भी क्षेत्र के किसी भी कार्यालय में काम करें। अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा आदि के मामले में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, जहां तक संभव हो सके, उन्हें उसी भाषाई क्षेत्र में रखा जाता है। अलबत्ता, प्रशासनिक अपेक्षाओं तथा भविष्य में होने वाली व्यावसायिक-वृद्धि को देखते हुए, यह आवश्यक हो सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष के अधिकारी को, भिन्न क्षेत्रों तथा भाषाई क्षेत्रों में काम करने के लिए कहा जाय।

कोवलम में पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन

4169. श्री बयालार रवि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवलम में पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्रवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। यह सच है कि कोवालम में भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) यूनियन द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्र में ये मांगें सम्मिलित हैं : वेतनमानों तथा मंहगाई भत्तों का पुनरीक्षण, 20 प्रतिशत की दर से बोनस, अंतरिम सहायता देना, भोजन भत्ते का नकद भुगतान, गृह किराया भत्ता, नगर भत्ता, धुलाई भत्ते, राशि ड्यूटी भत्ता, सवारी भत्ता, सर्विस चार्ज लगाने की पद्धती को पुनः चालू करना, संचित छुट्टियों का नकद भुगतान, वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति, सवारी खरीदने तथा घरों का निर्माण करने के लिये ब्याज मुक्त ऋण, कैंटीन सुविधाओं में वृद्धि, परिवार पेंशन देना, स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण निधि के प्रबन्ध सम्बन्धी समिति का गठन, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, आदि ।

सरकार ने अधिकारियों को छोड़कर दूसरे कर्मचारियों के वर्तमान वेतन, ढांचे में संशोधन करने के प्रश्न की जिसमें सामान्य वेतन संरचना तथा महंगाई भत्ता, अनुषंगी भत्ते तथा सेवा सुविधाएं सम्मिलित हैं, जांच करने के लिये एक भारत पर्यटन विकास निगम वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया है। अधिकांश मांगें समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाती हैं और इसीलिए उनकी जांच समिति द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जा रही है। जहां तक शेष मांगों का सम्बन्ध है, यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिट लेविल पर प्रारम्भिक बातचीत की गई है तथा मांगों की जांच भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय में भी की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों में फार्म विकास के लिए आई० डी० ए० से ऋण

4170. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **वित्त** मंत्रीय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और और कुछ अन्य राज्यों में फार्म विकास, विस्तार सेवाओं और अनुसंधान कार्यों के लिये विश्व बैंक (आई० डी० ए०) ऋण देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन सभी राज्यों के नाम क्या हैं ? कितनी धनराशि के ऋण दिये जायेंगे और योजनायें किस प्रकार की हैं और प्रत्येक मामले में किन-किन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा; और

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं में प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ हो गया है और यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1977 तक किस प्रकार की और कितनी प्रगति हुई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) इन ऋणों की रकमों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख अमरीकी डालर)

पश्चिम बंगाल	120
उड़ीसा	200
असम	80
राजस्थान	130
मध्य प्रदेश	100

इन ऋणों का प्रयोग कृषि सेवाओं का पुनर्गठन करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने, आधारभूत और अनुपयुक्त कृषि अनुसंधान कार्य और परियोजना नियन्त्रण तथा मूल्यांकन के कार्य की सहायता करने के लिये किया जाएगा।

इन सभी परियोजनाओं का मूल उद्देश्य विस्तार और अनुसंधान सेवाओं को सुदृढ़ करके सुधरे कृषि तरीकों द्वारा कृषि उत्पादन, मुख्य रूप से खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करना है । अनुमान है कि आर्थिक दृष्टि से इन परियोजनाओं से काफी लाभ होगा। यद्यपि केवल उन्हीं सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभों का सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये खेती के काम आने वाली कई और वस्तुएं तैयार की जाती हैं या उनकी जरूरत होती है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों ने परियोजना कार्य के लिये मौजूदा कर्मचारियों को नियुक्त करके और प्रशिक्षण सत्र शुरू करके प्रारम्भिक काम शुरू कर दिया है। संबंधित राज्य सरकारें स्वीकृतियां जारी करने और परियोजना के लिये आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं देने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है। राज्यों में कृषि विस्तार प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल को मंजूरी दे दी गई है और अन्य राज्यों के लिए इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है ।

रबड़ का उत्पादन

4171. श्री कुमारी अनन्तन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) वित्तीय वर्ष 1975-76 और 1976-77 में भारत में रबड़ का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ ।

(ख) इन वर्षों में उत्पादित रबड़ की विभिन्न किस्मों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वर्षों में कुल कितनी रबड़ का निर्यात किया गया और कितनी रबड़ का भारत में उपयोग किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1975-76 और 1976-77 का राज्य वार उत्पादन इस प्रकार है :—

उत्पादन (मे० टन)

राज्य	1975-76	1976-77
केरल	128,769	139,349
तमिलनाडु	7,631	8,535
कर्नाटक	1,282	1,667
अंडमान तथा अन्य	68	81
योग	137,750	149,632

(ख) तथा (ग) देश में रबड़ के क्वालिटी वार उत्पादन का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। परन्तु 1976-76 तथा 1976-77 में देश में रबड़ माल विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित रबड़ की ग्रेडवार खरीदारियों तथा उपयोग निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(मे० टन)

	1975-76	1976-77
आर० एम० ए० 1 तथा 9	23649	25599
आर० एम० ए० 2 तथा 3	23492	21478
आर० एम० ए० 4 तथा 5	36894	46396
पेल लेटेक्स क्रेप	1509	1819
एस्टेट ब्राउन क्रेप	21319	25037
सांद्रित लेटेक्स	6337	7817
ब्लाक रबड़	1256	3131
अन्य	848	1253
	115304	132530
निर्यातित रबड़ की मात्रा	कुछ नहीं	12296

आपात स्थिति के दौरान मारे गए छापे

4172. **श्री एस० ननजेश गौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान कितने छापे मारे गये ;

(ख) इन छापों में कुल कितनी मात्रा में काला धन बरामद किया गया; और

(ग) मुखबिरों को कितना कमीशन दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आयकर अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली तलाशियों तथा माल पकड़ने की कार्यवाही के सम्बन्ध में आंकड़े महीनेवार रखे जाते हैं। जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में 5908 मामलों में तलाशियां ली गई थीं।

(ख) उपर्युक्त तलाशियों में पकड़ी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्य 35 करोड़ रुपये से अधिक है।

(ग) आयकर प्राधिकारियों ने 1975-76 तथा 1976-77 के दो वर्षों के दौरान सूचना देने वाले व्यक्तियों को, उनके द्वारा उपर्युक्त वर्षों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान दी गयी सूचना तथा सहायता के सम्बन्ध में, 20.40 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिये।

उड़ीसा में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों का विकास

4173. **श्री डी० अमात :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों का विकास करने के लिए कोई परियोजना आरम्भ की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा में केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित पर्यटक सुविधाएं प्रदान की गयी हैं :—

1. पर्यटक विभाग :

(i) कोणार्क में एक विश्राम गृह,
(ii) भुवनेश्वर में एक विश्राम, गृह,
(iii) पुरी, भुवनेश्वर, रूरकेला तथा हीराकुंड में पर्यटक ब्यूरो खोलना,
(iv) राम्भा में एक विश्राम गृह
(v) पुरी में एक विश्राम गृह,
(vi) पुरी में एक युवा होस्टल, तथा
(vii) चिल्का झील में एक मोटर लौंच की व्यवस्था।

11. भारत पर्यटन विकास निगम

(क) भुवनेश्वर स्थित यात्री लॉज का नवीकरण।
(ख) भुवनेश्वर में एक परिवहन यूनिट।

उपर्युक्त स्कीमों के अलावा, पर्यटन विभाग ने कोणार्क के लिये एक मास्टर प्लान (भू-प्रयोग योजना) तैयार की है जिससे कि सूर्य मंदिर के इर्द-गिर्द के क्षेत्र की पर्यावरणीय विशेषताओं को सुरक्षित रखने और नियमित रूप से सुविधायें प्रदान करने के कार्य को सुनिश्चित किया जा सके।

गोआ केश्यु मैन्यूफैक्चरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से ज्ञापन

4174. **श्री अमृत कासर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ केश्यु मैन्युफैकचरर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन ने गोआ क्षेत्र के लिये आयातित अपरिष्कृत काजू के कोटे के आवंटन की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ताकि कारखाने बंद न हों; और

(ख) सरकार ने परोक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) गोआ एवं अन्य काजू प्रोसैसिंग राज्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं कि काज प्रोसैसिंग उद्योग द्वारा कच्चे काजू की कमी अनुभव की जा रही ह तथा यह मांग की हैं कि आयातित कच्चे काजू का कोटा आबंटित किया जाये। बढ़ाया जाये ।

ज्ञापन पर विचार किया गया तथा यह पाया गया कि वर्तमान वितरण नीति के अन्तर्गत सम्बन्धित एकक आयातित काजू के आबंटन के लिये पात्र नहीं हैं।

FIXATION OF SAME PAY SCALE FOR SIMILAR WORK IN CENTRAL AND STATE GOVERNMENT SERVICES

4175. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there are different pay scales for same type of work in various Government departments, establishments and their subordinate and attached office and if so, the reasons therefor;

(b) whether Government feel the necessity of evolving a uniform wage policy for the whole country and if so, whether they propose to introduce it within a specific period; and

(c) whether Government propose to fix the same pay scale for similar work in the Central and State Government Services ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The present wage structure of Central Government employees is based on the recommendations of the Third Pay Commission. The Commission, while recommending scales of pay for various posts, had taken into account various relevant factors including duties and responsibilities of each post, the difficulty and complexity of the duties to be performed, the degree of supervision exercised, qualifications prescribed, etc.

(b) Government has already set up a Sutdy Group under the chairmanship of Shri S. Bhoothalingam to prepare a draft policy on wages, incomes and prices.

(c) The pay scales of State Government employees have to be determined by the State Governments themselves.

गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली को स्वीकृत ऋण स्थगनकाल

4176. श्री भारत सिंह चौहान : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणेश फ्लोर मिल्स, दिल्ली को स्वीकृत ऋण स्थगनकाल अभी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक जारी रहने की संभावना है।

(ग) क्या मिल का आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है यदि हां, तो वे कितनी मात्रा में सुधार हुआ है ;

(घ) क्या सरकार ऋणदाताओं से ली गई धनराशि का भुगतान करना सम्भव समझती है, जिन्हें वर्ष 1971 से कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो ऋणदाताओं को कब और कितनी मात्रा में अपनी राशियां प्राप्त होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और सरकार द्वारा अधिग्रहण से पूर्व नैगेटिव निबल सम्पत्ति के मुकाबले में कम्पनी के पास अब पोजोटिव निबल सम्पत्ति है।

(घ) व (ङ) जमाकर्ताओं तथा ऋणदाताओं को वापसी अदायगी करने के लिए एक योजना बनाने के बारे में कम्पनी के प्रबन्धक विचार कर रहे हैं।

मिजोरम के सरकारी कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित करना

4177. **डा० आर० रोथुअम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों की तुलना में मिजोरम के सरकारी कर्मचारियों के नवीनतम पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित करने के बारे में कुछ गंभीर अनियमितताए बरती गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों की जांच करने और मिजोरम सरकार के कुछ विभागों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के लिए कार्यवाही करने का है ताकि उन्हें अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वेतनमानों का संशोधन करने के प्रयोजन से मिजोरम के लिए गठित की गई विभागीय वेतन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मिजोरम सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन किया गया है। संशोधित वेतनमानों के बारे में सुझाव देते समय विभागीय वेतन समिति ने तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये वेतन निर्धारण संबंधी व्यापक सिद्धान्तों तथा वेतन ढांचे संबंधी सामान्य सिफारिशों को ध्यान में रखा था। समिति ने सभी संगत बातों को भी ध्यान में रखा था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मिजोरम में पदों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व और उनके लिए निर्धारित भर्ती अर्हताएं तथा तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा दूसरे संघ राज्य क्षेत्रों में तुलनात्मक पदों के लिए सुझाए गए वेतन-मान भी शामिल थे।

होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को निर्यात करने वाले उद्योगों के बराबर मानना

4178. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16वें आल इंडिया होटल और रेस्टोरेंट कंवेंशन ने यह सिफारिश की है कि आयकर, धनकर, बिजली की दरों, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, आयात शुल्क और नकद राजसहायता सम्बन्धी प्रोत्साहनों के बारे में होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को निर्यात करने वाले उद्योगों के बराबर माना जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसने सरकार से यह अनुरोध किया है कि पर्यटन विभाग द्वारा होटल फैडरेशन के सहयोग से किये जा रहे व्यापक सर्वेक्षण के कार्य को शीघ्र

पूरा किया जाये जिससे विभिन्न पर्यटन केन्द्रों में आगामी दस वर्षों में जिस प्रकार के और जितने आवास की आवश्यकता है उसके बारे म अविलम्ब नीति बनाई जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (क) और (ख) दोनों विचाराधीन हैं ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता के बारे में उसके अधिकारियों की राय

4179. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अधिकारियों ने राय व्यक्त की है कि ऐसा लगता है कि भारत अधिमानों की सामान्यीकृत योजना आदि (जनरेलाइज्ड स्कीम आफ प्रेफरेन्सिस) के अधीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता को महत्वपूर्ण नहीं समझता ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयोग के किसी अधिकारी ने इस प्रकार की किसी धारणा से भारत सरकार को अवगत नहीं किया है । हालांकि भारत सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली की प्रशंसा की है फिर भी इस योजना को सुधारने के बारे में समय समय पर रचनात्मक सुझाव भेजे गये हैं ताकि यह प्रणाली हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बन सके ।

POLICY BUSINESS BY EMPLOYEES OF L.I.C.

4180. SHRI HUAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether it is a fact that the employees of Life Insurance Corporation do policy business even after 31st March, 1977 whereas they were prohibited from doing such business from 31st March, 1977 and if so, why ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : No, Sir. The prohibition has been in force since 31-3-1976.

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, चांदनी चौक दिल्ली में की गई धोखाधड़ी

4181. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, चांदनी चौक शाखा, दिल्ली (बचत खाता सं० 2497) में की गई धोखाधड़ी स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाई गई थी ;

(ख) क्या जून, 1975 में दिल्ली पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट की गई थी और क्या 14 फरवरी, 1976 की पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी साबित हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय और बैंक अधिकारियों ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि श्री तारा चन्द नामक व्यक्ति ने जून, 1975 में बैंक से सिशकायत की थी कि 28 अगस्त, 1974 को बैंक की चांदनी चौक शाखा में उसके बचत बैंक खाते के नामे 622 रुपये का चैक डाला गया जबकि वास्तव में उसके द्वारा पैसा नहीं निकाला गया। इस पर नई दिल्ली के स्थानीय मुख्य कार्यालय ने हस्तलेख विशेषज्ञ की राय मांगी जिसने संदिग्ध चैक पर आलेखी के हस्ताक्षरों को वास्तविक बताया। भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी बताया है कि इस स्थिति से श्री तारा चन्द को अवगत करा दिया गया था।

किन्तु बताया जाता है कि इसके बाद श्री तारा चन्द ने पुलिस में शिकायत दायर की और बाद में इस सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस का दिनांक 14 फरवरी, 1976 का एक पत्र भेजा। जिसमें बाताया गया था कि पुलिस के हस्तलेख विशेषज्ञ के अनुसार चैक पर किये गये हस्ताक्षर जाली थे मगर क्योंकि अपराधी का पता नहीं चल रहा है, इसलिये पुलिस ने इस मामले को समाप्त कर दिया है। इस स्थिति को देखते हुए, भारतीय स्टेट बैंक ने न्यायालय से चैक ले लिया है और धोखाधड़ी के इस आरोप के बारे में तीसरी और अंतिम राय के लिये चैक को केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली की फोरेंसिक लेबोरेट्री को भेज दिया गया है। बैंक फोरेन्सिक लेबोरेट्री द्वारा भेजे जाने वाली सूचना के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा सेमिनार आयोजित किया जाना

4182. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित निगम का विचार ग्रामीण विकास के लिए उद्योग की भूमिका के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में सेमिनार आयोजित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा ग्रामीण विकास में उद्योग द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के बारे में विचार गोष्ठी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशी इक्विटी में कमी

4183. **श्री राजकेशर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड अपनी विदेशी इक्विटी को 60 प्रतिशत से घटा कर 50.9 प्रतिशत करने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और विदेशी साम्य पूंजी की मात्रा में कमी करने की अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप देश को प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अंतर्गत कंपनी को दिए गए निदेश में 40% अनिवासी शेयरों की व्यवस्था है । पर निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि कंपनी दो वर्ष की निश्चित अवधि में अपने क्रियाकलाप के स्वरूप और किस्म में परिवर्तन कर लेती है तो 51% के अधिक अनिवासी शेयरों के बारे में उसके दावे पर विचार किया जाएगा । इसके अनुसार, कंपनी ने अपने अनिवासी शेयरों को 50.9% तक कम करने के लिए कदम उठाये हैं ।

(ग) ऐसे मामलों में देश को होने वाले लाभ ये हैं अर्थात् : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों के क्रियाकलाप में विविधता आना, कंपनियों में भारतीयों के स्वामित्व में वृद्धि होना और विदेशी शेयरों पर प्रेषित की जाने वाली राशियों के अनुपात में कमी होना ।

FINANCIAL ASSISTANCE FROM UNDP

4184. SHRI NATVERLAL B. PARMAR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that United Nations Development programme have decided to provide financial assistance to India on a large scale during the next year;

(b) if so, the amount of financial assistance likely to be provided to India; and

(c) the projects on which the amount would be expended ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir. United Nations Development programme (UNDP) provides technical assistance *i.e.* followships for training of our nations abroad, services of foreign experts and equipment not available in India.

(b) The amount of technical assistance to be provided to India during the year 1978 is likely to be around US $ 20 Million.

(c) This amount would be utilised on UNDP-assisted projects numbering over 140 in such sectors as Agriculture, Scientific Research, Irrigation & Power, Transport & Communications, Industry & Minerals, Labour Welfare & Craftsmanship, Foreign Trade, Education and Electronics.

EXPORT OF TRUCKS, RAILWAY WAGONS AND ENGINEERING GOODS TO UGANDA

4185. SHRI UGRASEN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it it is a fact that India is exporting trucks, railway wagons and engineering goods to Uganda;

(b) if so, the value of such exports during the last year; and

(c) the steps being taken to step up the export of such goods ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) : (a) Yes, Sir. India has been exporting engineering goods including trucks and railway wagons to Uganda.

(b) Rs. 58.82 lakhs.

(c) Government have been keeping a close watch on export of engineering goods from India in consultation with the Engineering Export Promotion Council. The Projects and Equipment Corporation of India Ltd., who have been exporting railway coaches, wagons, bicycles etc. to Uganda are in consultation with the various potential buyers for export of various engineering items.

आपात स्थिति के दौरान आंसुका के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को कम ब्याज पर ऋणों की अदायगी

4186. **श्री बाबू साहिब परुलेकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान जिन व्यक्तियों को आंसुका के अधीन नजरबन्द रखा गया था, उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण देने और उसके वापसी भुगतान के लिए समुचित किस्तों क सुविधा देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार को ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार के सुझाव मिले हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक ब्याज की कम दर पर और अदायगी की लम्बी अवधि के लिए उन व्यक्तियों को ऋण दे सकते हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान मीसा अथवा डी० आई० एस० आई० आर० के अंतर्गत नजरबंदी अथवा जेल में रहे थे।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि आर्थिक दृष्टि से सक्षम उद्योगों के उन आवेदन कर्त्ताओं को छोटे ऋणकर्त्ताओं के लिए बनाई गयी अपनी किसी योजना के अंतर्गत उदार शर्तों पर तथा प्राथमिक्ता के आधार पर ऋण सहायता प्रदान करें, जिन्हें केवल उनके राजनैतिक संबंधों के कारण मीसा अथवा डी आई० एस० आई० आर० के अधीन नजरबंदी अथवा जेल में रहना पडा ताकि वे अपने जीवननिर्वाह के आर्थिक कार्य कलाप आरम्भ कर सकें। बैंकों को यह भी सलाह दी गयी है कि जब कभी कोई ऋणकर्त्ता विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन रियायती दर पर सहायता पाने के योग्य हो तो योजना की शर्तों के अनुसार उसकी सहायता की जानी चाहिए।

गत तीन वर्षों में अमरीका को निर्यात की गई चीनी की मात्रा

4187. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति** और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में, वर्षवार, अमरीका को कितनी चीनी निर्यात की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान सं० रा० अमरीका को निर्यात की गई चीनी की मात्रा क्रमशः 0.75, 2.42 तथा 0.75 लाख में० टन थी।

पटसन का निर्यात

4188. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पटसन से बनी वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ ;

(ख) इस वर्ष निर्यात की क्या स्थिति है ;

(ग) क्या इस वर्ष अनुकूल रुख है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुकूल रुख के लिये क्या बातें उत्तरदायी हैं और लम्बी अवधि तक इन बातों से लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1974-75 से 1976-77 तक पटसन की वस्तुओं का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा :

मात्रा : हजार मे० टन
मूल्य : लाख रु०

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1974-75 .	583.2	29485
1975-76 .	516.3	24932
1976-77	452.7	19924

(ख) से (घ) अप्रैल–सितम्बर, 1977 के दौरान पटसन की वस्तुओं का निर्यात 241.3 हजार में० टन रहा जब कि विगत वर्ष की उसी अवधि के दौरान वह 185.0 हजार मे० टन था।

यद्यपि चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान गत वर्ष की उसी अवधि की उपेक्षा समग्र निर्यात में वृद्धि दिखाई देती है फिर भी इतनी जल्दी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह प्रवृत्ति कायम रहेगी या नहीं। तथापि, निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिये समय समय पर अपनाये गये निम्नोक्त महत्वपूर्ण उपाय जारी रखे जा रहे हैं :

1. सभी पटसन उत्पादों पर निर्यात शुल्क हटा दिया गया है।
2. पटसन माल की कुछ मदों के निर्यात विदेशी बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा विनिर्माताओं के लिये और अधिक लाभदायक बनाये गये हैं।
3. सरकारी क्षेत्र के संगठनों को पटसन माल के निर्यात में सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया गया है।
4. नये अन्तिम उपयोग बढ़ाने के लिये तथा उत्पादन लागत घटाने के लिये गवेषणा एवं विकास प्रयासों के लिये उदार सहायता दी जा रही है।
5. पटसन उद्योग के लिये स्थापित विकास परिषद के जरिए गवेषणा एवं विकास कार्यों के लिये धन जुटाने के उद्देश्य से पटसन माल पर उपकर लगाया गया है।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर बिहार में आरम्भ किया गया कार्य

4189. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **पर्यटन और नागरिक विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गत तीन वर्षों में उत्तर बिहार के किन-किन स्थानों पर क्या-क्या कार्य आरम्भ किए गए हैं;

(ख) क्या सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी, महान् शिक्षक गौतम के पीठ गौतमकुण्ड, अहिल्या से सम्बन्धित स्थान कामतौले-दरभंगा और महान् कवि विद्यापति के जन्म-स्थान बिस्मी-मधुबनी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार का अपेक्षित सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में उत्तर बिहार के केन्द्रों पर किन्हीं पर्यटन सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है क्योंकि पर्यटन विभाग उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत रहते हुए बिहार में बोध गया, राजगिर तथा नालन्दा के तीन प्रमुख बौद्ध केन्द्रों के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किए हुए है।

(ख) फिलहाल नहीं।

(ग) ऊपर पैरा (क) में उल्लिखित कारणों की वजह से प्रश्न नहीं उठता।

DAILY AIR SERVICE BETWEEN NEW DELHI AND PANT NAGAR

4190. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the Minister of TOURISM AND CICIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether a daily air service is proposed to be introduced between New Delhi and PANT NAGAR; and

(b) if so, by what time ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मेघालय में पर्यटक स्थलों के रूप में विकास के लिए चुने गये स्थान

4191. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेघालय राज्य में पर्यटक स्थलों के रूप में विकास के लिए कितने और किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ख) इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग का चालू योजनावधि के दौरान शिलांग में एक युवा होस्टल बनाने का प्रस्ताव था। इस स्कीम को अभी तक कार्यान्वित करना सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने युवा होस्टल के निर्माण के लिए अभी तक उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं कराया है।

REINSTATEMENT OF EMPLOYEES OF A.G.C.R.

4192. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of the employees of the Office of the Accountant General Central Revenues removed from servic due to their going on strike in support of Railway employees in 1974;

(b) whether these employees have been reinstated;

(c) if not, the reasons for showing discrimination towards the *vis-a-vis* railway employees; and

(d) whether Government are considering question of reinstating them ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No employee of the Office of the Accountant General, Central Revenues, was removed from service in connection with the strike which took place during 1974.

(b) to (d). Does not arise.

प्रस्तावित सस्ते होटलों में आवास और भोजन की दरें

4193. **श्री ए० आर० बद्री नारायण :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों के लिए सस्ते होटल स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो (एक) ऐसे होटलों की संख्या कितनी है, (दो) प्रति दिन आवास और भोजन के लिए अलग-अलग प्रस्तावित शुल्क क्या है; और

(ग) ऐसे होटल कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) मैट्रोपालिटन शहरों (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, तथा मद्रास) तथा अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों में सस्ते होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सैक्टर में निर्माण किए जाने वाले ऐसे होटलों की संख्या तथा स्थानों का निर्धारण छठी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गए साधनों पर निर्भर करेगा। छठी योजना पर इस समय योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन होटलों में लिए जाने वाले प्रस्तावित किरायों की जांच की जा रही है।

DEVELOPMENT OF TOURISM IN LADAKH

4194. SHRIMATI PARVATI DEVI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there are many places of historical, religious and cultural importance in the interior of Ladakh but proper facilities for the tourist are not available there;

(b) whether the various spots of tourist interest in Ladakh are in a dilapidated condition due to neglect; and

(c) the scheme of Government for the development of this tourist potential area by spending necessary money and paying proper attention thereto ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Madam. However, the important 'gompas' or monastries, which are the main tourist attractions, are within easy reach of Leh where tourists prefer to stay as tourist facilities are available there.

(b) & (c) : It is proposed by the Government to nationally protect the 'gompas' which are the main tourist attractions. Thereafter, necessary action will be taken to undertake requisite repairs and to maintain them well.

Further it has been suggested to the State Government to prepare a master plan of tourism development for Ladakh so that its unique cultural and environmental characteristics are preserved, as also to ensure that the development of tourism to that area takes place in a regulated manner.

आगरा में आयोजित 'एक्सपोर्टस टू यू० एस० ए०' गोष्ठी

4195. **श्री पी० वी० पेरियासामी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डो-अमेरिकन चैम्बर आफ कामर्स के तत्वाधान में दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को आगरा में आयोजित "एक्सपोर्टस टू० यू० एस० ए०" गोष्ठी में हुई चर्चाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या अमरीका ने भारत से निर्यात की जाने वाली 2700 वस्तुओं को शुल्क मुक्त घोषित किया है; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका को हमारे निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) इण्डो अमरीकन चैम्बर आफ कामर्स ने सरकार को सूचित किया है कि सं० रा० अमरीका को निर्यातों पर 24 सितम्बर, 1977 को आगरा में हुई गोष्ठी ने निम्नोक्त सिफारिशें की हैं :

(1) सं० रा० अमरीका को भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए साधनों का एकीकरण तथा क्वालिटी और सुपुर्दगी समय के विषय में अधिक जागरूकता आवश्यक होगी ।

(2) सरकार को एक अलग कोष रखना चाहिए जो संयुक्त राज्य में विज्ञापन माध्यम से कुछ चुनी हुई मदों के सम्बन्ध में भारत की क्षमता का प्रचार करने के लिए प्रयोग में लाया जाए ।

(3) अधिक क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जायें और यदि सम्भव हो तो भारत में आयोजित की जायें ।

(4) विशेषकर प्रदर्शनियों में भाग लेने के माध्यम से बाजार प्रवृत्तियों तथा फैशन मे परिवर्तनों का अधिक पता होना चाहिए ।

(5) उत्तरी क्षेत्र में निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली में एक शुष्क पतन स्थापित होना चाहिए ।

(6) निर्यात की औपचारिकताएं सरल बनाई जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में क्रियाविधि को सुव्यवस्थित करने के लिए एक अध्ययन दल स्थापित किया जाना चाहिए ।

(7) इन्जीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कौसिल, ट्रेड डवलपमेंट अथारिटी जैसे संगठनों तथा इण्डो-अमरीकन चैम्बर आफ कामर्स जैसे द्विराष्ट्रीय चैम्बरों तथा अमरीका में काउन्सलर कार्यालयों के बीच घनिष्ट समन्वय होना चाहिए।

(8) अतिरिक्त नौवहन क्षमता के सृजन के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए।

(9) रेल भाड़ा इमदाद पुनः लागू की जानी चाहिए।

(ख) जी हां। अमरीका सरकार ने 1 जनवरी, 1976 से 10 वर्ष की अवधि के लिए अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली (जी० एस० पी०) कार्यान्वित की है जिसके अन्तर्गत 98 विकासशील देशों तथा 39 आश्रित राज्यों की अनेक मदें, जो संख्या में लगभग 2700 हैं, सं० रा० अमरीका में आयातों के लिए शुल्क मुक्त व्यवहार प्राप्त करती हैं। सभी 2700 मदें भारत के निर्यात हित की नहीं हैं। हमारे हित की लगभग 500 मदें हैं।

(ग) भारत सरकार सं० रा० अमरीका को अपने निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इनमें ये शामिल हैं: क्रेता-विक्रता बैठक आयोजित करना, खरीदारों एवं व्यापार पत्रकारों को आमंत्रित करना, बिक्री तथा अध्ययन दल भेजना, सं० रा० अमरीका में व्यापक वाणिज्यिक प्रचार, विशेषीकृत वस्तु मेलों आदि में भाग लेना।

अमरीका की अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली का उपयोग करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस योजना का प्रचार करने तथा इसे स्पष्ट करने के लिए और निर्यातकों को व्यापक जानकारी देने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों के जरिए सैमिनार आयोजित किए गए हैं। अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली की मदों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और निर्यातक समुदाय को उपयुक्त नीति सम्बन्धी उपायों द्वारा तथा कठिनाइयां दूर करके सहायता देने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि वे उन लक्ष्यों को पूरा कर सकें।

इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स की सिफारिशों/सुझावों की क्रियान्विति

4196. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल कोआपरेटिव अलायन्स ने सहकारिता के सिद्धान्तों के साथ-साथ सहकारिता सम्बन्धी कानूनों का परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन्टरनेशनल कोआपरेटिव अलायन्स की सिफारिशों अथवा सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जायेंगे?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां। इन्टरनेशनल कोआपरेटिव अलायन्स के नई दिल्ली स्थित दक्षिण पूर्व एशिया के प्रादेशिक कार्यालय ने "सहकारिता के सिद्धान्तों के साथ-साथ भारतीय सहकारी कानूनों" का अध्ययन किया है।

(ख) इस मन्त्रालय की सहकारिता सम्बन्धी सलाहकार परिषद ने सिफारिश की कि विभिन्न राज्यों के सहकारी कानूनों में समानता होनी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए

सुझाव दिया कि राज्यों में समान रूप से लागू करने के लिए सामान्य सिद्धान्त और मार्गदर्शी निर्देश तैयार किए जायें। इन सिफारिशों के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ इन्टरनेशनल कोआपरेटिव अलायन्स द्वारा उनके प्रकाशन "इंडियन कोआपरेटिव लाज़ विज़-ए-विज़ कोआपरेटिव प्रिंसिपलस" में कही गई बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी कानूनों के बारे में मार्गदर्शी निर्देशों का एक सेट तैयार किया गया था और वह आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था।

राजनीतिज्ञों और तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

4197. **श्री कंवर लाल गुप्त**
डा० हेनरी आस्टिन } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने बताया था कि कुछ राजनीतिक तस्करों के साथ मिले हुए हैं और सरकार के पास उनकी बातचीत के कुछ टेप रिकार्ड हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजनीतिज्ञों के नाम क्या हैं और तस्करों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन टेपों में क्या बातें कही गई हैं और सरकार ने उन राजनीतिज्ञों और तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : वित्त राज्य मन्त्री ने कहा था कि तस्करों के राजनीतिक सम्बन्धों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। परन्तु इस अवस्था में अतिरिक्त ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

अफगानिस्तान से मुलैठी का आयात

4198. **श्री आर० कोलन थाइवेलु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान वर्षवार, अफगानिस्तान से मुलैठी के आयात की मात्रा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) इस देश में इस सामग्री का वास्तविक उपयोग किस तरह किया जाता है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान अफगानिस्तान से मुलैठी के आयात की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) यह मद "अपरिष्कृत औषधि/औषधीय जड़ी-बूटियों" के वर्ग में रखी गई है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं। अतः मुलैठी के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ग) मुलैठी भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली में खांसी, धसका, कंठशोथ, ग्रसनीशोथ, दमा तथा कब्ज के इलाज में काम आती है। इसे टानिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान अफगानिस्तान से मुलैठी† के आयात की मात्रा तथा मूल्य।

वर्ष	मात्रा हजार कि०ग्रा०	मूल्य लाख रु० में
1974–75	1512	26.11
1975–76	487	10.10
1976–77	364	9.85

†संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण कोड सं० 292.4015 के अन्तर्गत वर्गीकृत।

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं और संशोधित किए जा सकते हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के बारे में जांच

4199. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के खिलाफ (एक) की गई विभिन्न खरीदों के बारे में भ्रष्टाचार तथा अनियमितायें (दो) अनियमित तरीके अपना कर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई पदोन्नति, और (तीन) नियमित भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ही 21 वरिष्ठ पदों पर की गई नियुक्ति सम्बन्धी आरोप लगाये गए हैं अथवा इन मामलों को मन्त्रालय के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा गया है कि वह भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा किए गए कथित भ्रष्ट आचरणों की शिकायतों के बारे में जांच करें;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के कार्यकरण के बारे में, विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति की अवधि के दौरान, कोई जांच की गई है अथवा की जायेगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : विशिष्ट चार्जों/आरोपों के अभाव में, वांछित सूचना देना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सभी आरोपों तथा खरीददारियों, नियुक्तियों और पदोन्नतियों में अनियमितताओं की भारत पर्यटन विकास निगम के प्रन्धकवर्ग द्वारा और जहां आवश्यक हो सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाती है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकारी पद के दुराचार, अनाचारों आदि के कुछ मामलों की जांच की गयी है/की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांच-परिणामों

को दृष्टि में रखते हुए, नई दिल्ली स्थित अशोक होटल चिकित्सा अधिकारी की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। क्योंकि शेष मामलों की अभी जांच/परीक्षा की जा रही है, अभी इस स्थिति में उनसे सम्बन्धित तथ्यों को प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चाय पर कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाना

4200. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि चाय पर कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

NON-COOPERATION OF TRADERS IN REDUCING PRICES OF GOODS

4201. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether on the 14th October, 1977 the Prime Minister had asked the representatives of Gujarat Chambers of Commerce and Industry that the traders have not helped Government in reducing the prices uptill now; and

(b) if so, the effective action taken by Government so far to reduce the prices of essential commodities and if action has not been taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) The Prime Minister told the representatives of the Gujarat Chambers of Commerce and Industry on October 14, 1977 that uptil now their achievement had been to stabilise prices in some cases and lower them in others where prices had gone up very high. Price decrease in the real sense of the term had yet to be achieved. Prim Minister also warned trade and industry that if they failed to act with a sense of social responsibility, Government would continue its present policy of tightening legal measures and devising new ones in the interests of poor and weaker sections especially in regard to essential commodities.

(b) During the past few months, Government has taken a number of measures in order to curb the rising trend in prices and for improving the availability of essential commodities. More important among them include :—releases of more non-levy sugar, imposition of export duty on tea, releases of more cereals through the public distribution system, banning exports of vegetables, staggering and reducing exports of cement, substantial increase in the use of imported oil by the vanaspati industry, sale of refined imported rapeseed oil for direct consumption at Rs. 7.50 a kg., import of substantial quantities of edible oils and raw cotton, sale of loose tea through national level cooperative organisations at a retail price of Rs. 16.50 a kg., imposition of stock limits on traders in respect of pulses, oilseeds and edible oils and fixation of maximum retail price of mustard oil at Rs. 10 a kg.

पिल्ले पैनल रिपोर्ट में कथित परिवर्तन

4202. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1977 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "पिल्ले पैनल रिपोर्ट में परिवर्तन किया गया है"; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों विषयक पिल्लै समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन के तरीके बारे में सुझाव देने के लिये सरकार ने बैंकरों के एक समूह से कहा था। उस समूह द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों के साथ पिल्लै समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को सलाह दी गई है कि सरकार द्वारा जिस रूप में इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है उस रूप में उन्हें कार्यान्वित करने के लिये उचित कार्रवाई करें। बैंकरों के समूह द्वारा सुझाए गए संशोधनों द्वारा पिल्लै समिति की सिफारिशें कुल मिलाकर उदार बना दी गई हैं।

अफीम का उत्पादन

श्री धर्मसिंहभाई पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में अफीम के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है;

(ख) 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान, वर्षवार प्रत्येक राज्य में कितने हैक्टर भूमि में अफीम का उत्पादन किया गया ;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने टन अफीम का उत्पादन हुआ;

(घ) इस प्रकार उत्पादित अफीम का उपयोग किस प्रकार हुआ; और

(ङ) क्या अफीम का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : पोस्ता फसल वर्ष 1974–75, 1975–76 और 1976–77 के दौरान प्रत्येक राज्य में अफीम काश्तगत क्षेत्र तथा उत्पादित कच्ची अफीम की मात्रा नीचे दिये अनुसार थी :—

फसल वर्ष	राज्य का नाम	अफीम काश्तगत क्षेत्र	90° गाढ़ता पर उत्पादित अफीम की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
		(हेक्टेयर)	(मीट्रिक टन)
1974–75	मध्यप्रदेश	18,800	476
	राजस्थान	12,655	337
	उत्तर प्रदेश	2,258	220
	जोड़ :	43,713	1,033
1975–76	मध्यप्रदेश	21,274	501
	राजस्थान	15,811	370
	उत्तर प्रदेश	14,502	306
	जोड़ :	51,587	1,177

(1)	(2)	(3)	(4)
1976–77	मध्यप्रदेश	24,406	434
	राजस्थान	16,037	316
	उत्तर प्रदेश	16,575	414
	जोड़ :	57,018	1,164

(घ) गत तीन वर्षों में उत्पादित कच्ची अफीम के एक बड़े हिस्से का औषधीय तथा वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये निर्यात किया गया था, जबकि इसके कुछ अंश का उपयोग एलकालायड तथा औषधीय अफीम के विनिर्माण हेतु देश में भी किया गया था।

(ङ) विभिन्न केन्द्रों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है जिससे प्रति हैक्टेयर अफीम की उपज और इसकी मार्फिन की मात्रा बढ़ाई जा सके।

निर्यात की गई चीनी और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा

4204. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत ने कुल कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ख) क्या निर्यात से कोई हनि या लाभ हुआ है और प्रत्येक वर्ष में कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भारत द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा, उसका मूल्य तथा निर्यातों पर लाभ/हानि नीचे दर्शाए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (लाख मै० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)	लाभ (+)	हानि (—)
				(करोड़ रु० में)
1974–75	6.24	312.78	(+)	155.90
1975–76	11.88	464.13	(+)	150.56
1976–77	5.80	151.68	(—)	27.30

औद्योगिक उत्पाद के रूप में नारियल का तेल

4205. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़ी मात्रा में नारियल के तेल का उपयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है;

(ख) क्या कुछ दक्षिणी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि नारियल के तेल को औद्योगिक उत्पाद घोषित किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) औद्योगिक प्रयोजनों के लिये नारियल के तेल का उपयोग कच्चे माल के रूप में मुख्यत: साबुन और श्रंगार प्रसाधन के उद्योगों में किया जा रहा है।

(ख) व (ग) जून, 1977 में केरल केरा कर्षक संगम ने एक अभिवेदन दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह निवेदन किया गया था कि नारियल के तेल को खाने के तेलों के वर्ग से निकाल दिया जाये। नारियल के तेल का औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होने के बावजूद खाने के प्रयोजनों के लिये इसका काफी प्रयोग होता है । इसलिये संगम के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

सहकारिता आन्दोलन में युवकों के सहयोग के लिए सम्मेलन

4206. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1977 में दिल्ली में अभी हाल में आयोजित सहकारिता आन्दोलन में युवकों के सहयोग के बारे में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा सरकार को भेजी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं। जिन सिफारिशों का उल्लेख किया गया है वे अभी तक भारत सरकार को नहीं मिली हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई के लिए ओ० पी० ई० सी० से ऋण

4207. **श्री सौगत राय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई के लिये भारत को ओ० पी० ई० सी० से ऋण मिल रहा है; और

(ख) ये ऋण किन शर्तों पर मिल रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) तेल का उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों के (ओ० पी० ई० सी०) विशेष फंड ने न्हावा के रास्ते गलहन से ट्राम्बे लैण्ड फाल तक लगभग 10 किलो मीटर की तीन समानान्तर पाइप लाइनों के संबंध में वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले विदेशी मुद्रा के खर्च को पूरा करने के लिये 1.4 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण देने का निर्णय किया

है। यह ऋण 20 वर्ष की अवधि के लिये है जिसमें 4 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है । इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा लेकिन निकाले गए और बकाया ऋण पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रभार लगेगा।

उपभोक्ता अधिकार तथा वितरण प्रणाली (कन्ज्यूमर राइट्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) के संबंध में एक-दिवसीय गोष्ठी (वर्कशाप)

4208. **श्री कचरु लाल हेमराज जैन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'उपभोक्ता अधिकार तथा वितरण प्रणाली' के संबंध में नई दिल्ली में हुई एक-दिवसीय गोष्ठी में एक मुख्य सिफारिश यह भी की गई थी कि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं विशेषकर निर्धारित मूल्य तथा मात्रा में अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उपभोक्ता कार्य संबंधी एक पृथक मंत्रालय स्थापित किया जाना चाहिए;

(ख) गोष्ठी में की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) 'उपभोक्ता अधिकार तथा वितरण प्रणाली' संबंधी गोष्ठी की अन्य सिफारिशें ये हैं: शिक्षा और विस्तार संबंधी कार्य करने के लिये भारतीय उपभोक्ता संगठनों के संघ की स्थापना की जानी चाहिए; आवश्यक वस्तुओं का चयन तथा उनके नाम घोषित किये जाने चाहिएं; 'नागरिक पूर्ति की सम-समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए; केन्द्र, राज्य, जिला, ब्लाक स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार परिषदें स्थापित की जानी चाहिएं; मिलावट तथा गुण नियंत्रण के बारे में सरकार की ओर से निगरानी रखने की अधिक आवश्यकता है और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित समस्याओं के बारे में अनुसंधान तथा खोज करने के लिये देश के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

(ग) व (घ) उपभोक्ता कार्य संबंधी एक पृथक मंत्रालय स्थापित करने और "नागरिक पूर्ति" को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिशें इस समय केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। गोष्ठी की अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि लिया जाना

4209. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों को एक मास तक के अर्जित अवकाश के बदले नकद राशि लेने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी अपने कमचारियों को उक्त सुविधा देने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ऐसी सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार किया परन्तु बहुत अधिक वित्तीय उलझनों को देखते हुए ऐसी किसी योजना को लागू न करने का निर्णय किया था । परन्तु, केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त के समय उनके पास उपलब्ध छुट्टी के बदले नकद भुगतान करने की एक योजना बनाई है । योजना की मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(i) योजना 30-9-1977 को अथवा उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू है ।

(ii) छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि की अदायगी अधिक से अधिक 180 दिन तक की अर्जित छुट्टी के लिए सीमित रहेगी ।

(iii) छुट्टी वेतन के समतुल्य इस प्रकार स्वीकार्य नकद राशि सेवा-निवृत्ति पर देय होगी और इसकी अदायगी एक ही बार निपटान के रूप में एक मुश्त में की जाएगी ।

(iv) योजना के अन्तर्गत नकद राशि की अदायगी, नीचे (v) के अधीन रहते हुए, अर्जित छुट्टी के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन और सेवा निवृत्ति की तारीख को प्रवर्तमान दरों पर उस छुट्टी वेतन पर महंगाई भत्ते के बराबर होगी । कोई नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा/अथवा मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा ।

(v) उपर्युक्त (iv) के अनुसार गणना की गई नकद राशि में से, उस अवधि के लिए जिसके लिए समतुल्य नकद राशि देय है, पेंशन और सेवा निवृत्ति संबंधी अन्य लाभों के समतुल्य पेंशन की राशि की कटौती कर ली जाएगी ।

(vi) छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी सेवा निवृत्ति की तारीख को खाते में जमा अर्जित छुट्टी के समतुल्य नकद राशि की मंजूरी देने का आदेश स्वयमेव ही जारी करेगा ।

स्टेनलैस स्टील की चादरों का आयात

4210 **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात शुल्क में कमी की घोषणा के बाद गत छः महीनों में स्टैनलैस स्टील की चादरों का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) आयात शुल्क में कमी हो जाने के फलस्वरूप उद्योगपतियों द्वारा बर्तनों के मूल्य में कमी न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार लाभ के अन्तर को कम करने के उद्देश्य से उद्योगपतियों को बर्तनों के प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित करने के निर्देश देने के बारे में विचार करेगी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 16 जुलाई तथा 12 दिसम्बर, 1977 के बीच 6994 मे० टन स्टैनलैस स्टील शीटों का आयात किया गया है, जिसमें से 4182 मे० टन उन ग्रेडों तथा मोटाई का है जिनका बर्तन उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है।

(ख) यद्यपि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने आयातित सामग्री में से लगभग 4000 मे० टन माल पहले ही रिलीज कर दिया है, फिर भी कीमतों पर वांछित प्रभाव अभी तक एक तो इस कारण से नहीं पड़ा है कि सामग्री को उठाने तथा विनिर्माताओं द्वारा अंतिम उत्पादों के विपणन के बीच समय-अंतराल होता है तथा दूसरे बर्तन उद्योग को रि-रोलरों द्वारा अपर्याप्त सप्लाई की गई है। फिर भी कीमतों में गिरावट का रुख दिखाई देने लगा है।

(ग) सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम ऋण लेने वाले सीमान्त किसानों को दी गई अग्रिम धनराशि

4211 **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विशेषकर उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 5 एकड़ तक की जोत वाले कम ऋण लेने वाले सीमान्त किसानों को कुल कितनी अग्रिम धनराशि दी ; और

(ख) इसी अवधि में 5 एकड़ से अधिक जोत वाले किसानों को कुल कितनी अग्रिम धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले दो वर्षों में 5 एकड़ तक के जोत क्षेत्र वाले सीमांतिक/छोटे किसानों को दिये गये कुल अग्रिमों और बकाया तथा उनमें से उड़ीसा राज्य में दिये गये अग्रिमों और बकाया का ब्यौरा निम्न-लिखित है :—

(लाख रुपयों में)

	सितम्बर, 1975 के अन्त तक		सितम्बर, 1976 के अन्त तक	
	अखिल भारत	उड़ीसा	अखिल भारत	उड़ीसा
अल्पावधिक	10510.23	161.98	15809.91	302.53
दीर्घावधिक	5447.24	102.00	9086.97	210.49
	15957.47	263.98	24896.88	513.02

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पांच एकड़ से अधिक जोत क्षेत्र वाले किसानों को सितम्बर, 1975 तथा सितम्बर, 1976 के अन्त तक दिये गये अग्रिमों की कुल बकाया राशि निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

	सितम्बर, 1975 के अन्त तक	सितम्बर, 1976 के अन्त तक
अल्पावधिक . .	10566.79	15307.27
दीर्घावधिक . . .	23502.18	29346.86
	34068.97	44654.13

मुद्रा सप्लाई और थोक मूल्य सूचकांक

4212 **श्री डी० सत्यानारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 की अवधि के दौरान मुद्रा सप्लाई की स्थिति और थोक मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है और खुदरा मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और पिछले वर्ष की अनुवर्ती अवधि में तुलनात्मक स्थिति क्या थी ;

(ख) फसल की स्थिति अच्छी और उत्साहवर्धक होने के बावजूद इस गिरावट के अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मार्च, 1977 के अन्त और अक्तूबर, 1977 के अन्त के बीच की अवधि में मुद्रा उपलब्धि (सप्लाई) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 1976 की इसी अवधि में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में, पिछले वर्ष की 8.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में, इस वर्ष केवल 1.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मार्च, 1977 और अक्तूबर 1977 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 1976 की इसी अवधि में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) और (ग) जैसा कि उपर्युक्त स्थिति से देखा जा सकता है, चालू वर्ष में मुद्रा उपलब्धि और कीमतों दोनों की वृद्धि की दर में धीमापन आया है।

अभ्रक सलाहकार समिति का पुनर्गठन

4214 **श्री रतिलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अभ्रक सलाहकार समिति का गठन किया गया है ;

(ख) इस समिति का पुनर्गठन किये जाने के क्या कारण है जब कि वर्ष 1976 में स्थापित की गई समिति संतोषपूर्ण ढंग से कार्य कर रही थी ; और

(ग) क्या इस समिति का पुनर्गठन करते समय अधिकांश प्रमुख निर्यातकों और विशेषज्ञों को जो समिति के सदस्य थे, निकाल दिया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) जी, हां ।

(ख) यह महसूस किया गया कि अगर इस समिति का आकार छोटा करके ठीक कर दिया जाए और इसमें कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाए तो यह अधिक क्रियाशील हो जाएगी और इसकी चर्चाएं अधिक उद्देश्य-पूर्ण होंगी ।

(ग) जी नहीं । संसद सदस्यों तथा अभ्रक उत्पादन करने वाले तीन राज्यों, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त जहां तक संभव हो सका ये प्रयास किए गए कि विभिन्न अभ्रक हितों को यथा, निर्यातकों, व्यापारियों, खदान-मालिकों तथा फेब्रिकेटरों को उनके अपने-अपने संगठनों के पदाधिकारियों के जरिए प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस प्रक्रिया में पहली समिति के कुछ सदस्यों को इस पुनर्गठित समिति में स्थान नहीं मिल सका।

राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन

4215 **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य व्यापार निगम के असंतोषजनक कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए उसकी भूमिका कम करने पर भी विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो पुनर्गठन से इस निगम को किस सीमा तक सहायता मिली है ; और

(घ) निगम के कार्यकरण में क्या परिवर्तन किये गये हैं और इन परिवर्तनों से इसकी कुशलता में किस सीमा तक सुधार हुआ है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) से (घ) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद को राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम व उनके अनुषंगी निगमों के कार्यकरण के अध्ययन का काम सौंपा गया है और उससे यह अपेक्षा की गई कि वह इन संगठनों द्वारा जिन समग्र राष्ट्रीय हितों का अनुसेवन करने की आशा की जाती है उनके संबंध में उनकी भूमिका के बारे में सिफारिशें करें। संस्थान ने अंतरिम रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। इस संस्थान की सिफारिशों को राज्य व्यापार निगम के पुनर्गठन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता के आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन की जांच

4216. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी और औद्योगिक विकास के बारे में भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता के आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने विदेशी पूंजी-निवेश का समर्थन किया है ;

(ग) क्या पूंजी-निवेश की मात्रा में कमी होने को गरीबी की समस्याओं और बेरोजगार में वृद्धि होने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण माना गया है ; और

(घ) उनके प्रस्तावों से वे किस सीमा तक सहमत हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित "विदेशी पूंजी तथा औद्योगिक प्रगति" (फोरन केपिटल एण्ड इण्डस्ट्रियल ग्रोथ) नामक रिपोर्ट को देखा है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि "पूंजी के निवेश में और जिस तरीके से यह घरेलू और विदेशी बचतों के द्वारा पूंजी का निर्माण किया जाता है उसमें ही आर्थिक प्रगति की रहस्य निहित है", और इसलिए बल समस्त निवेश पर दिया गया है, विदेशी पूंजी का निवेश जिसका एक अंग है।

(ग) इस रिपोर्ट में कहा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूंजी के निवेश का धीमापन ही भारत की अपर्याप्त औद्योगिक प्रगति का एकमात्र कारण है। निवेश का यह धीमापन "पूंजी के अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने तथा आंतरिक निवेश के स्तर को बराबर बनाय रखने के उपायों के पर्याप्त न होने" के कारण बताया गया है।

(घ) जहां तक विदेशी पूंजी का संबंध है, सरकार की वर्तमान नीति यही है कि इसकी अनुमति उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तथा निर्यात प्रधान उद्यमों के लिए दी जाएगी।

जे० के० सिंथेटिक्स लि० के प्रेसीडेंट और चेयरमैन

4217. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री जे० के० सिंथेटिक्स के प्रेसीडेंट और चेयरमैन से जब्त किए गए आभूषणों के बारे में 18 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 946 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सूटकेसों को जिनमें तस्करी के आभूषण थे उनके विमान टिकटों में उनके सामान के रूप में दर्ज किया गया था ;

(ख) उन बक्सों को भारतीय हवाई अड्डे पर विमान में किस प्रकार चढ़ाया गया तथा उन्हें विमान में चढ़ाने के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे ;

(ग) उन बक्सों को चढ़ाने के लिए, जिनका विमान में कोई यात्री मालिक नहीं था, उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यह सिद्ध करने के लिए कि उन बक्सों का मालिक कौन है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि श्री सीताराम सिंधानिया ने 8-10-1976 को एयरइण्डिया की उड़ान से० 711 द्वारा बम्बई से मारीशस तक की यात्रा की थी। उनकी दो सूटकेसों के साथ जिनका भार 30 कि० ग्राम था, जांच की गयी थी। इन सूटकेसों के असबाब टैग, उनके हवाई टिकटों के साथ नत्थी थे। चूंकि वे संदिग्ध यात्री नहीं थे, इसलिये उनके असबाब की जांच नहीं की गयी और पैकेजों को एयर इण्डिया स्टाफ ने सामान्य रूप में वायुयान पर चढ़ा दिया। सरकार को मिली सूचना के अनुसार, श्री सीताराम सिंघानिया पर, 11 लाख मारीशस रुपये से अधिक के मूल्य के जवाहरात की तस्करी के लिए मारीशस की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमें में उन्हें 11-2-77 को बरी कर दिया गया। श्री सिंघानिया ने जवाहरात सहित इस सूटकेस का स्वामित्व नकार दिया था और मारीशस सीमा शुल्क विभाग ने उन्हें जब्त कर लिया था।

DEMAND TO INCREASE THE QUOTA OF EDIBLE OILS FOR MADHYA PRADESH AND RAJASTHAN

4218. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh and Rajasthan States have made a demand to increase the quota of the edible oils supplied to them by the Central Government;

(b) if so, the present quota of the said commodity and the quota for which a demand has been made; and

(c) when the quota supplied at present to these States was fixed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) to (c). No, Sir. The Central Government supply rapeseed oil, refined or raw, as required by the State Governments, from time to time. The same procedure was followed in the case of Madhya Pradesh and Rajasthan State Governments. A total quantity of 2600 M. Tonnes of raw rapeseed oil was allotted to Madhya Pradesh Government out of which they have lifted 1586 tonnes; the balance 1014 tonnes was cancelled on their request. Likewise 500 tonnes of rapeseed oil were allotted the Government of Rajasthan, out of which they have lifted 896 tonnes leaving a balance of 4104 tonnes. The State Government have been requested to expedite lifting.

COMPLAINTS RECEIVED BY CHIEF EXECUTIVES OF BANKS PEG LOAN TO SMALL INDUSTRIES IN VILLAGES

†4219. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Chief Executive of the banks have received complaints that the persons running small industries in villages are facing considerable difficulties in getting loans from the banks;

(b) whether Government have also received complaints that some mills had even to face closure due to their not getting loans in time; and

(c) if so, the steps taken by Government to liberalise the terms and conditions of the loan and taken action on the complaints made by the rural people ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b). A few complaints in this regard are received by government and public sector banks from time to time and appropriate action is taken on such complaints on the merits of each case.

(c) The banks have been advised to steamline the procedure for sanction of loans to small borrowers. Instruments have been issued to field staff to assist small borrowers to

fill in application forms which are made available to them in regional languages. Procedures regarding sanction of loan pplications have been simplified, and enhanced powers delegated to regional/branch offices for sanctioning of loans. The Bank staff at the appropriate levels have been strengthened with such technical and other experts as are needed for quick appraisal of loan applications.

In order to ensure that loan applications from small borrowers are disposed of as expeditiously as possible, instructions have been issued to public sector banks to dispose of applications involving credit limits of Rs. 10,000/- within a period of 3 to 4 weeks and those involving credit limits of Rs. 10,000/- and above within a period of 3 months.

Further to increase the flow of funds to small borrowers belonging to the weaker sections of the community, Government have extended the coverage of the differential rate of interest scheme to the entire country.

चांदी का निर्यात

4220. **श्री परमानन्द गोविन्द श्रीबाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् स्थिति के दौरान भारत से कितने टन चांदी का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या आपात् स्थिति के बाद भी चांदी का निर्यात अभी किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि भारत चांदी का उत्पादक नहीं है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग): (क) भारत से जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक 2,450 मे० टन चांदी का निर्यात किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । यह सच है कि भारत चांदी का उत्पादन नहीं कर रहा है सिवाय इसके कि मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक प्रतिवर्ष लगभग 11 से 12 मे० टन चांदी का उत्पादन अपने उप-उत्पाद के रूप में करता है ।

EXPORT OF MEAT

4221. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6345 on the 5th August, 1977 regarding export of meat of animal and birds and state the names of the foreign countries to which the meat was exported from various parts of India during the last three years stating the names of these animals as also the parts of the country from which meat was exported ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : The names of the countries to which meat was exported during the last three years were as follows :—

Fresh/chilled Meat : Abu Dhabi, Bahrain Is., Belgium, Dubai, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, A. Rp. Egypt, U.S.A., Iraq, Kenya, Muscat, United Arab Rep. and Japan.

Frozen Meat : Abu Duhabi, Bahrain Is., Sri Lanka, Benin, Dubai, Kuwait, Nepal, Netherlands, Qatar, Saudi Arabia, Thailand, A. Rp. Egypt, U.S.A. France, Iran Kenya, Lebanon, Muscat, United A. Rep., Australia, German F. Rp. and Korea Rep.

Frog Meat (Legs) : Australia, Belgium, Canada, Denmark, Dubai, France, German, FRP, Italy, Kuwait, Nepal, Netherland, U.K. and U.S.A.

Fresh/chilled meat consists of sheep meat with similar quantity of goat Meat. Frozen meat consists largely of Buffalo meat. Export of Beef (cow's meat) is banned. Frozen

meat is normally exported in refrigerated ships, fresh chilled meat is exported by air. In both cases, Bombay is the major port of export. Small quantities are also exported from Delhi and Calcutta. Export of poultry meat is negligible.

सामान्य बीमा निगम के पदावनत किए गए और सेवा से हटाए गए अधिकारी/कर्मचारी

4222. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् स्थिति के दौरान सामान्य बीमा निगम और उत्तरी क्षेत्र में इसके सहायक कार्यालयों में कितने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी पदावनत किये गये और सेवा से हटाए गये ;

(ख) क्या उन्हें अवनत किये जाने या सेवा से हटाए जाने से पूर्व कोई आरोप-पत्र या 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया था ;

(ग) क्या कार्यवाही किये जाने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था ;

(घ) क्या सरकार ने उन के साथ किये गये अन्याय को दूर करने के उद्देश्य से उनके मामलों पर विचार किया है ; और

(ङ) क्या आपात् स्थिति के दौरान उच्च अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों और जनता को तंग किये जाने और उन के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किये जाने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सेवा से हटाए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मामले-- 31

पदावन्नति के मामले शून्य

(ख) और (ग) चौदह कर्मचारियों को नियमित आरोप-पत्र और कारण बताने का अवसर दिया गया था। साधारण बीमा निगम के अनुसार, अन्य मामलों में सम्बद्ध अधिकारियों को घटिया काम करने की वजह से कारण बताओ नोटिस दिए बिना नौकरी से हटा दिया गया था।

(घ) और (ङ) उन कर्मचारियों के मामलों पर, जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिए बिना हटा दिया गया था, विचार किया जा रहा है ।

कर अपवंचन को रोकने तथा करों की बकाया राशि को वसूल करने के लिए नई समिति का गठन

4223. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर अपवंचन को रोकने तथा करों की बकाया राशि को वसूल करने के उपायों का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये हैं और यदि हां, तो जिन उपायों पर विचार किया गया है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इस संबंध में नये उपायों का पता लगाने के लिये एक नई समिति गठित करने का विचार है यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) कर-अपवंचन को रोकने तथा करों की बकाया रकमों को वसूल करने के लिए राजस्व विभाग के अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष कर प्रभागों द्वारा किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. अप्रत्यक्ष कर प्रभाग

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पक्ष : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, शुल्क अपवंचन का पता लगाने तथा उसको रोकने के लिए और करों की बकाया रकमों की वसूली के लिए उपयुक्त उपाय करने की दृष्टि से सतत सतर्कता बरतता है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्व-निकासी कार्यविधि) समीक्षा समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर निवारक उपायों को कठोर बना दिया गया है। इस सम्बन्ध में जारी किये गये अनुदेशों में काननी अभिलेखों को पहले ही अधिप्रमाणित करने, उन सभी मामलों में, जिनमें 5000.00 रु० अथवा इससे अधिक का शुल्क ग्रस्त है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 56क के अन्तर्गत रसीदों की जांच करने, माल लाने ले जाने पर अधिक नियन्त्रण रखने, विभिन्न स्तरों पर उत्पादन पर कारगर निगरानी की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और विशेष रूप से ऐसी कुछ जिन्सों के सम्बन्ध में जिन पर शुल्क अपवंचन की अधिक गुंजाइश हो, सभी स्तरों पर वस्तुपूरक नियन्त्रण बढ़ाने की परिकल्पना की गयी है।

सन् 1976 में पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा नियन्त्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण एककों की जांच करने तथा जानबूझकर कर अपवंचन करने वालों को गिरफ्तार करने तथा उन पर मुकदमा चलाने के लिए समाहर्तालय–वार विशेष निगरानी दस्तों को गठित करके कर-अपवंचन को रोकने कदृष्टि से एक विशेष अभियान शुरु किया गया था। उत्पादन पर आधारित नियन्त्रण पद्धति के आधार पर, जिस की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (स्व-निकासी कार्यविधि) समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, नियन्त्रण व्यवस्था का शीघ्र ही और अधिक सुदृढ़ करने का विचार है।

अनिर्मित तम्बाकू के मामले में, तम्बाकू उत्पादन शुल्क टैरिफ समिति की सिफारिशों के आधार पर, खामियों को दूर करने तथा कर अपवचन को रोकने के लिए भी उपाय किये गये हैं।

सीमा शुल्क पक्ष :—शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए शीघ्र ही प्रभावकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए संगत कार्यविधियों तथा शुल्क-अपवंचन विरोधी उपायों की सतत समीक्षा की जाती है। विगत वर्षों में शुल्क की बकाया को कम करने के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरु किया गया था और इन विशेष प्रयत्नों में कोई ढील नहीं आने दी गयी है।

प्रत्यक्ष कर प्रभाग :—कर अपवंचन के लिये अपनाये जाने वाले तरीकों का पता लगाने के लिये, गुप्त सूचना एकत्र करके, जांच करके, लेखा-बहियों की जांच पड़ताल करके और

तलाशियां लेकर अब एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। आयकर विभाग द्वारा, कर अपवंचन के विरुद्ध छेड़े गये अभियान की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं ये हैं :--

नये कर निर्धारितियों का पता लगाने के लिये समग्ररूप से तथा सुव्यवस्थित सर्वेक्षण करना ; उपयोगी सूचना एकत्र करने, उसका मिलान करने और उसे कर-निर्धारण अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाना ; कर अपवंचकों को दण्डित करने की दृष्टि से गुप्त सूचना पक्ष को और अधिक कारगर बनाना ; इस्तगासे के महत्वपूर्ण मामलों प कार्यवाही करने के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा कर-ताबाओं को शिक्षित करने का एक वृहत कार्यक्रम चलाना।

कर की बकाया एक निरन्तर चली आ रही प्रक्रिया है। यद्यपि किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बकाया कर की रकम वर्ष की समाप्ति पर काफी हद तक वसूल कर ली जाती है/कम हो जाती है, तथापि बकाया कर की रकम में फिर से वृद्धि मुख्यत: इसलिये होती है कि वर्ष के दौरान जारी की गई नई मांगों का कुछ हिस्सा पूरी तरह वसूल नहीं हो पाता और वर्ष के अन्त में कर की बकाया की वह रकम कर की नयी बकाया बन जाती है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, संबंधित आयकर प्राधिकारी समय-समय पर, बकाया कर की रकम को वसूल करने के लिये, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार समुचित उपाय करते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित कार्यवाही शामिल हैं :--

(क) करों की विलम्बित अदायगी के लिये ब्याज लगाना ;

(ख) कर की अदायगी न करने पर दण्ड लगाना ;

(ग) बाकीदारों को प्राप्य धन का अभिग्रहण ; और

(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अभिग्रहण और उनकी बिक्री।

(ख) इस संबंध में नये उपाय ढूंढने के लिए एक नई समिति गठित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि और मुद्रा सप्लाई

4224. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में मुद्रा सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1976-77 में थोक मूल्य सूचकांक में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में लगभग 6 प्रतिशत की कमी हुई थी ;

(ख) वर्ष 1976-77 में मुद्रा सप्लाई की वृद्धि की संरचना और स्वरूप किस प्रकार का है ;

(ग) इस मुद्रा प्रसार के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या हाल की अवधि में मुद्रा-स्फीति का दबाव बढ़ा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए अगर कोई दीर्घ कालिक और अपकालिक कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 1975-76 में 1232 करोड़ रुपए यानी 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु, 1975-76 में मुद्रा उपलब्धि में वृद्धि की इस दर को 1976-77 में थोक कीमतों के सूचक अंक में हुई 12 प्रतिशत की वृद्धि का कारण नहीं बताया जा सकता। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1975-76 तथा 1976-77 में मुद्रा उपलब्धि के स्वरूप तथा उन तत्वों का उलेख किया गया है; जिनसे मुद्रा उपलब्धि में विस्तार हुआ है।

(घ) और (ङ) मुद्रा स्फीतिकारी दबाव 1976-77 में फिर से उभर आए जब थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान काफी हद तक स्थिरता आई, मार्च 1977 के अन्तिम शनिवार और 19 नवम्बर, 1977 के बीच सामान्य सूचक अंक में केवल 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 20 अगस्त, 1977 और 19 नवम्बर, 1977 के बीच पिछले तीन महीनों में थोक कीमतों के सामान्य सूचक अंक में 2.8 प्रतिशत की कमी हुई।

उन मुख्य उपायों में, जिनके कारण अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं, ये उपाय शामिल हैं:—उन वस्तुओं के आयात को उदार बनाना जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं; सरकारी भण्डारों से अधिक माल देना, अनाज को लाने ल जाने के संबंध में लगाए गए प्रतिबन्धों को हटाना, अनिवार्य वस्तूओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना, वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाना, दालों, खाद्य तेलों आदि के भण्डारों का विनियमन करना, तथा मौद्रिक और ऋण संबंधी प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाना। दीर्घावधिक उपायों के अंग के रूप में, दालों, कपास और तेलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है। हाल में, उर्वरक तथा कीटनाशी दवाओं जैसे खेती के काम आने वाली वस्यओं की कीमतें घटा दी गई हैं।

विवरण

जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में घट-बढ का विश्लेपण

(करोड़ रुपए)

	1975–76	1976–77
	के दौरान घट-बढ (मार्च के अन्तिम शुक्रवार के आधार पर)	
(1)	(2)	(3)
जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (क+ख)	+1232	+2460
(क) जनता के पास करेंसी	(10.3)	(18.7)
	+356	+1164
	(5.6)	(17.4)
(ख) जमा मुद्रा	+876	+1296
	(15.7)	(20.1)

(1)	(2)	(3)
मुद्रा उपलब्धि में परिवर्तन के स्रोत		
1. सरकार को निवल बैंक ऋण	+578	+909
	(6.1)	(9.0)
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को निवल ऋण .	+127	+229
(ख) अन्य बैंकों से सरकार को ऋण	+451	+680
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक से ऋण	+2745	+3089
	(21.7)	(20.1)
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण . .	+69	+166
(ख) अन्य बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण . . .	+2676	+2923
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	+755	+1463
	(192.6)	(127.6)
4. जनता को सरकार का करेंसी संबंधी दायित्व . .	+24	+13
	(4.5)	(2.3)
घटाइये :		
5. बैंकिंग क्षेत्र के मुद्रा-भिन्न दायित्व जिसमें से :	+2870	+3014
	(25.6)	(21.4)
बैंकों के पास सावधि जमा रकम .	+1591	+2524
	(21.1)	(27.6)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में प्रतिशत घटबढ़ दिखाई गई है ।

4225. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to have the deposits refunded to the depositors of Lakshmi Bank (Head Office, Akola, Maharashtra) which became bankrupt in 1960;

(b) if so, when;

(c) whether the property of Bank's General Manager had been confiscated; and

(d) whether Government had refunded some amount to the depositors as a first instalment after the confiscation of property ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b). On the advice of the Reserve Bank of India, which had inspected the Laxmi Bank Ltd. (in liquidation) with reference to its position on 4th October, 1976, attention of the Registrar of High Court of Bombay has been drawn on 24th November 1977 to the fact that no pro-rata payment has been made to the ordinary depositors of Laxmi Bank Ltd. (in liquidation) after April, 1965 although, according to the Reserve Bank, sufficient funds appear to be available.

(c) & (d). Reserve Bank of India have reported that they have no information regarding the confiscation of the property, if any, of the General Manager of the Bank. However, out of the realisations of the assets of the Laxmi Bank Ltd. (in Liquidation), the Liquidator of the Bank has made full payment to the preferential creditors as per provisions of Section 43A(2)(a) and 43A(2)(b) of the Banking Regulation Act, 1949 and a prorata payment of 30 paise per rupee to the ordinary depositors in 1965.

दिल्ली तथा मनाली के बीच विमान सेवा

4226. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और मनाली के बीच विमान सेवा शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन सेवाओं को कब बंद किया गया था ;

(घ) इन सेवाओं को कब तक फिर से आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(ङ) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पर्यटक और यात्री इस विमान सेवा के फिर से आरंभ न करने से प्रभावित हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कोशिक) : (क) से (घ) जी, नहीं । इंडियन एयरलाइंस ने कुल्लू के लिये अंतिम बार 1975 के दौरान परिचालन किया था। कुल्लू के लिये विमान सेवाओं को धावन-पथ की परिसीमाओं तथा टर्बो प्रॉप विमानों की और दूसरी निहायत जरूरी मांगों के कारण बंद कर दिया गया था। इंडियन एयरलाइन्स की कुल्लू के लिये विमान सेवा चालू करने की कोई योजना नहीं है ।

(ङ) मनाली हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है तथा बहुत से पर्यटक इस स्थान की यात्रा करते हैं। परन्तु, क्योंकि अभी तक राज्यवार या स्थानवार आधार पर कोई पृथक आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं, अतः इस स्थान के लिये पर्यटक यातायात पर उक्त स्थान के लिये विमान सेवा को बंद कर देने के कारण पड़ने वाले प्रभाव को बता सकना संभव नहीं है।

आपात् स्थिति के दौरान भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में राजपत्रित/गैर-राजपत्रित अधिकारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति

4227. **श्री जगन्नाथ प्रधान**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात् स्थिति के दौरान भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में कितने राजपत्रित और गैर-राजपत्रित अधिकारियों को समय-पूर्व सेवा निवृत्त किया गया;

(ख) उड़ीसा में ऐसे कितने मामले हुए ;

(ग) समय-पूर्व सेवा-निवृत्त ऐसे अधिकारियों को नौकरी पर बहाल करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के 25 राजपत्रित अधिकारियों और 77 राजपत्रित अधिकारियों को आपात्काल के दौरान समय-पूर्व सेवा-निवृत्त किया गया ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर में उल्लिखित 25 राजपत्रित अधिकारियों में से 2 अधिकारी महालेखाकार, उड़ीसा के कार्यालय के थे। महालेखाकार, उड़ीसा के कार्यालय का कोई भी अराजपत्रित अधिकारी आपातकाल के दौरान सेवा-निवृत्त नहीं किया गया।

(ग) और (घ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को यह अनुरोध किया गया है कि आपात-काल के दौरान समय-पूर्व सेवा-निवृत्त किये सरकारी कर्मचारियों के मामलों की, जब भी प्रभावित कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हों, समीक्षा की जाए।

भारत के मध्य पूर्व देशों को इंजीनियरी के सामान का निर्यात

4228. **श्री जैना वैरागी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व देशों ने उत्पादों का स्तर नीचा होने के कारण हाल ही में भारत से इंजीनियरी के सामान के आयात में काफी कमी कर दी है ;

(ख) तो इतने घटिया स्तर के उत्पादों का निर्यात करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) किस्म नियंत्रण लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संशोधित अभ्रक को खनिज तथा धातु व्यापार निगम/मिटको के माध्यम से निर्यात करने के उद्देश्य

4229. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित अभ्रक का खनिज तथा धातु व्यापार निगम/मिटको के माध्यम से निर्यात करने के क्या उद्देश्य थे;

(ख) क्या ये उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो संशोधित अभ्रक के निर्यात को अन्य माध्यमों से करने से सरकार क्यों हिचक रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मार्गीकरण का मुख्य उद्देश्य अभ्रक व्यापार को सुदृढ़ आधार देना तथा इकाई मूल्य प्राप्ति में सुधार करना था। मार्गीकरण के उद्देश्य ये भी थे : अभ्रक के निर्यात व्यापार में व्यापार तथा उद्योग के कमजोर वर्ग का शामिल होना, आसान बना कर उनकी सहायता करना, उनके द्वारा उत्पादित अभ्रक के लिए उचित तथा न्यायसंगत कीमतें देना तथा अभ्रक के कामगरों को उचित तथा न्यायसंगत मंजूरी देना।

(ख) यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्ण रूप से हो गई है, फिर भी मिटको का स्थापना से अभ्रक के निर्यात व्यापार में स्वस्थ प्रवृत्तियां आ गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

GOLDSMITHS AFFECTED BY GOLD CONTROL ACT, 1962

*4230. SHRI GOVIND RAM MIRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of goldsmiths affected by the Gold Control Act, 1962 in the country, State-wise at that time and the State-wise number of affected goldsmiths by the end of October, 1977;

(b) the schemes made by Central Government to rehabilitate these effected goldsmiths and which of them have been given a practical shape and the number of goldsmiths benefited thereby; and

(c) the benefits accrued to the nation as a result of implementing the Gold Control Act and what will be the factual loss to the nation on account of repeal of this Act now ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वर्जित वस्तुएं रखने के लिए गिरफ्तार किए गए बम्बई के सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारी

4231. **श्री आर० के० महालागी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केवल बम्बई के सीमाशुल्क विभाग के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत छः महीनों के दौरान, वर्जित वस्तुओं के रखने के लिए गिरफ्तार किया गया है;

(ख) उक्त वर्जित वस्तुओं का मूल्य कितना है ;

(ग) इन वर्जित वस्तुओं को वे किस ढंग से अपने पास रखते थे; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग). सरकार को मिली रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले छः महीनों में बम्बई सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्तालय के दो निवारक अधिकारी, कोई 45,334.00 रुपये मूल्य के सोने की तस्करी में अन्तर्गस्त होने के कारण गिरफ्तार किये गये थे। निषिद्ध माल, उन अधिकारियों में एक की कमर में बंधी कपड़े की पेटी में छिपाकर रखा पाया गया था ।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये बम्बई के सभी सीमाशुल्क आधकारियों को हिदायत दी गयी है कि वे जब तक ड्यूटी पर नहीं हों, गोदी में प्रवेश नहीं करें अथवा जहाजों पर नहीं चढ़ें। वरिष्ठ अधिकारियों को भी सन्दिग्ध चरित्र वाले कर्मचारियों की गतिविधियों पर निकट से निगरानी रखने की हिदायत दी गयी है ।

TOURISM CENTRES WORKING IN MAHARASHTRA

4232. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of tourism centres working in Maharashtra at present and the nature of Central assistance provided to them; and

(b) whether Government propose to set up some new tourism centres in Maharash'ra particularly in Marathawada and if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) In the Central Sector facilities have been provided at the following tourist centres in Maharashtra :—

I. *Department of Tourism*

(i) *Ajanta* :

(a) Construction of a canteen-cum-retiring rooms.
(b) Provision of water supply.
(c) Landscaping at Ajanta, and construction of a low income group rest house at Fardapur, cost on which was shared on 50 : 50 basis with the State Government.

(ii) *Ellora* :

(a) Construction of a canteen.
(b) Water supply scheme.
(c) Black-topping of roads leading to the caves.

(iii) *Aurangabad* :

(a) Construction of a Youth Hostel.
(b) Loans to GL Hotels.
(c) Department also shared 50% of the cos ton constructing a Rest House (New termed Holiday Home).

(iv) *Elephanta* :

(a) Construction of a canteen-cum-retiring room.
(b) Construction of jetties.
(c) Water supply schemes.

(v) *Kerala* :

Department shared 50% cost on the construction of a holiday home.

(vi) *Jalgaon* :

Construction of a Reception centre.

(vii) *Bombay* :

Loans to Hotel Horizon, Pariyas and Picm Hotels.

(viii) *Borivili National Park* :

Development of a Lion Safari Park.

(ix) *Taroba National Park* :

Provision of a mini-bus.

(x) *Wardha* :

Construction of a Tourism Bungalow.

(xi) *Sewagram* :

Construction of a Yatri Niwas.

(xi) *Mahabaleshwar* :

Opening of a Tourist Bureau.

II. *India Tourism Development Corporation*

(i) *Ajanta* :

Renovation of the Canteen.

(ii) *Ellora* :

Renovation of the Canteen.

(iii) *Aurangabad* :

(a) Take over and renovation of the Railway Hotel (renamed Aurangabad Hotel).
(b) Expansion of the Aurangabad Hotel.
(c) Provision of a transport unit.

(iv) *Elephanta* :
Improvement to the Canteen.

(v) *Bombay* :
Provision of a transport unit.

(b) No new projects are being taken up in Maharashtra as those initiated at Ajanta, Aurangabad, Elephanta, Sewagram and the Borivilli Lion Safari Park have yet to be completed.

वर्तमान समाज सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में वृद्धि करना

4233. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान समाज सुरक्षा योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों को बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन भविष्य निधि योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं जिनके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार ने, विद्यमान भविष्य निधि नियमावली के अंतर्गत आने वाले अपने कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में निम्नलिखित रूप से वृद्धि करने का निर्णय किया है :—

(i) वर्ष 1976-77 के दौरान भविष्य निधि की जमाराशियों पर ब्याज की दर 25,000 रुपये तक 7.5% तथा इससे ऊपर राशि पर 7 प्रतिशत थी । इसे वर्ष 1977-78 के लिए बढ़ाकर अब क्रमश: 8 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ii) प्रोत्साहन बोनस योजना के अन्तर्गत यदि कोई अभिदाता वर्ष के दौरान निधि से कोई रकम न निकाले तो वर्ष के दौरान किये गये उसके अभिदानों की रकम पर, यदि उसका वेतन 500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो तो 3 प्रतिशत की दर पर और यदि उसका वेतन 500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक हो तो 1 प्रतिशत की दर पर, बोनस का हकदार था । अब योजना का यह व्यवस्था करने के लिए 1-4-1977 से संशोधन कर दिया गया है कि चाहे अभिदाता का वेतन कितना भी हो, उसके अंशदानों और उन पर ब्याज सहित संपूर्ण बकाया रकम पर बोनस की दर 1 प्रतिशत होगी ।

(iii) 1976-77 तक अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के अंतर्गत अभिदाता के अपने अभिदानों और उस पर सरकार के अंशदानों दोनों को ऊपर (i) पर उल्लिखित ब्याज की विभेदी दरों की स्वीकार्यता के लिए संयोजित कर दिया जाता था । 1-4-1977 से अंशदायी भविष्य निधि के किसी अभिदाता के भविष्य निधि की बकाया रकम पर ब्याज की एक वह रकम जो कर्मचारी के अभिदान और उस पर लगे ब्याज को व्यक्त करती है, और दूसरी वह जो सरकार के अंशदानों और उन पर ब्याज व्यक्त करती है अलग-अलग की जाएगी । यह अभिदाताओं के लिए लाभकारी होगी ।

SMUGGLING OF OPIUM POWDER

4234. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether pure opium powder which is very costly is being smuggled out of the country; and

(b) the action being taken by Government to check such smuggling activities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Reports received by the Government do not show any case of smuggling out of pure opium powder.

(b) Although smuggling continues to be effectively contained, the anti-smuggling measures have been reinforced. These measures include strengthening of preventive and intelligence set-ups and patrolling of vulnerable areas on the sea coast and land borders and exercising greater vigilance at the airports.

ग्रामीण उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में ऋण की आवश्यकताएं निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण

4235. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र का ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार, सर्वेक्षण में जिन आवश्यकताओं का पता चला है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण की आवश्यकता और सरकारी एजेंसियों से इसकी उपलब्धता के बीच अन्तर कितना है तथा इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :

(क) व (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने हेतु बनाये गये कृषि ऋण सम्बन्धी उप कार्यकारी दल ने सारे देश के लिये 3000 करोड़ रुपये अल्प-कालीन उत्पादन ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगाया था । राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध 1 से 5 में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1385/77]** । ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिये ऋण की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) पांचवीं योजना अवधि के लिए कुल 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था । इसमें से 1700 करोड़ रुपये सहकारी समितियों और व्यापारिक बैंकों द्वारा दिये जाने की उम्मीद थी और मांग तथा उपलभ्यता के बीच 1,300 करोड़ रुपये का अन्तर रह जाने का अनुमान था । इस अन्तर को कम करने के लिए जो उपाय किए गए वे ये हैं–सहकारी ऋण ढांचे को पुनर्गिठत किया गया तथा उसे मजबूत बनाया गया, कृषकों की सेवा समितियों व बड़े पैमाने की बहुधन्धों समितियां इस उद्देश्य से गठित की गई कि देहाती इलाकों में समन्वित रूप से ऋण, सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था की जा सके, कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुनः स्थापित किया गया और उन्हें मजबूत बनाया गया तथा उन क्षेत्रों में जहां जिला सहकारी बैंक या तो कमजोर हैं अथवा जहां अपेक्षाकृत मजबूत केन्द्रीय सहकारी बैंकों के किसी क्षेत्र में काफी अधिक ऋण संबंधी कमी है, वहां वाणिज्यक बैंकों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन देना का कार्य दिया गया ।

वर्ष 1977-78 के दौरान आलू का निर्यात

4236. **श्री एम ए० हनान अलहाज :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1975 में आलू का स्थानीय बाजार भाव बहुत नीचे गिर गया था और बाजार में अत्यधिक आमद के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था, और ऐसा ही 1976 में हुआ था तथा स्थानीय बाजार भाव को स्थिर करने के लिए आलू का निर्यात किया गया था ; और

(ख) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान आलू का निर्यात करने का सरकार का विचार है जिससे किसानों को समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि इस वर्ष अधिक रकबे में आलू बोया गया है और भारी मात्रा में उत्पादन होने की सम्भावना है, जिससे वर्ष 1975 जैसी स्थिति दुबारा उत्पन्न न हो सके ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ बेग) : (क) यह सही है कि 1975 में तथा जनवरी-फरवरी, 1976 में आलू की कीमतों में गिरावट आई थी। आलू के निर्यातों की अनुमति निर्यात क्वालिटी के आलू के उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये दी गई थी।

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए आलू के उत्पादन तथा बोये गये क्षेत्र के वास्तविक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, आलू के निर्यात की अनुमति देने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब देश में मांग से अधिक उत्पादन होगा। इस समय ऐसी कोई कीमत प्रवृति नहीं है, जिससे उपजकर्ताओं के लिए कठिनाई प्रकट होती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम में काम कर रहे एजेंट

4237. **श्री ए० के० राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम में वस्तुत: कितने एजेन्ट काम कर रहे हैं ; और

(ख) एजेन्टों की यथार्थता का पता लगाने के लिये और नकली तथा बेनामी एजेन्टों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में और एजेन्टों की वास्तविक आय में औचित्य बनाया जा सके ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) 31-3-1977 को जीवन बीमा निगम के रजिस्टरों में 1,42,048 एजेण्टों के नाम दर्ज थे।

(ख) जीवन बीमा निगम के एजेण्टों पर एजेण्ट विनियमों के उपबन्ध लागू होते हैं और भर्ती, प्रशिक्षण तथा परीक्षा से संबंधित विनियमों के उपबन्ध इस प्रकार बनाए गए हैं ताकि नकली एजेन्सियों को बनने से रोका जा सके। इन विनियमों के अनुसार एजेण्टों से व्यवसाय प्राप्त करने और उसके बाद तत्संबंधी सेवा में सक्रिय रूप से लगे रहने की अपेक्षा की जाती है। यदि जीवन बीमा निगम को यह मालूम हो जाता है कि कोई एजेण्ट अपने काम को इस प्रकार सक्रियता से नहीं कर रहा है तो वह उसकी एजेन्सी रद्द कर देता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में गिरावट

4238. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में काफी गिरावट आ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैंकों म नियुक्त किये गये निदेशकों को कोई ज्ञान नहीं है और नई सरकार ने उन्हें कोई स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं बताये हैं ;

(ग) इन बैंकों के कार्यकरण में गिरावट आने के मुख्य कारण क्या है ;

(घ) इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए नई सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ; और

(ड़) क्या सरकार ऐसे प्रत्येक बैंक में नये निदेशकों की नियुक्ति करने के बारे में विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) नये नये इलाकों और क्षेत्रों में तेजी से शाखा विस्तार में पेश आने वाली समस्याओं के बावजूद यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन में ह्रास हो रहा है।

चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों को सरकार ने हाल ही में पुनर्गठित किया है। राष्ट्रीयकरण योजना में उल्लिखित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान कराते समय, विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायिक अनुभव प्राप्त और विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों को जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यचालन के लिये उपयोगी हो सकते हैं, निदेशक मंडलों में शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक और भी सरकार द्वारा बैंकों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त बैंकों के पास हैं और बोर्ड के सूचनार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

रिजर्व बैंक ने बैकों के कार्यचालन के विविधि पहलुओं की जांच करने के लिये कई समितियां कार्यकारी दल गठित किये हैं ताकि वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जा सके तथा जब और जैसे इन समितियों की सिफारिशें प्राप्त हो जायें उनको ध्यान में रखते हुए, उनमें सुधार के उपाय प्रारम्भ कर सकें।

(घ) सरकार ने पिछले लगभग दो माह के दौरान चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों को पुनर्गठित किया है और उनमें से प्रत्येक में नये निदेशक नियुक्त किये हैं।

गुजरात सरकार की विशेष सहायता

4239. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने उस राज्य में चल रहे निर्माण-कार्यों और योजना तथा गैर-योजना परियोजनाओं के लिए विशेष अथवा अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांग को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ) : एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए गुजरात सरकार द्वारा मांगी गयी विशेष सहायता की राशि और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	प्रयोजन जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी गई है ।	मांगी गयी रकम	स्वीकृत राशि
1.	1977 में भारी वर्षा और बाढ़ से आवश्यक हुए व्यय को पूरा करने के लिए	55.66	1.50 कृषि के काम आने वाली वस्तुओं के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में । 10.43 अग्रिम आयोजनागत सहायता के रूप में
2.	वार्षिक आयोजना 1977-78 के लिए संसाधनों के अंतराल को पूरा करने के लिए	25.43	12.50 अग्रिम आयोजनागत सहायता के रूप में ।
3.	गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत विशेष समस्याओं के लिए राज्य आयोजना के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	12.00	राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत विशेष समस्याओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन के प्रश्न पर विचार करते समय राज्य की विशेष समस्याओं को ध्यान में में रखा जाएगा ।
4.	मुख्य और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए	13.50	6.00
5.	ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए ।	2.00	0.65
6.	1977-78 में ग्रामीण जलपूर्ति के कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए ।	7.80	2.63

वर्ष 1977 के प्रथम छह महीनों के दौरान बरामद की गई तस्करी की वस्तुएं

4240. श्री एस० आर० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या भारत में तथा भारत होकर के तस्करी अभी भी बड़े पैमाने पर हो रही है ; और

(ख) वर्ष 1977 के प्रथम छह महीनों और 1976 की उसी अवधि के दौरान तस्करी की कितनी वस्तुओं को बरामद किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि तस्करी क्रियाकलाप बड़े पैमाने पर जारी हैं । 1977

के पहले छह महीनों में 53,405 मामलों में माल पकड़ा गया जबकि 1976 की इसी अवधि में 32,949 मामलों में माल पकड़ा गया था।

चीनी पर उत्पाद शुल्क

4241. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अभी हाल में चीनी पर मूल उत्पाद शुल्क में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राजकोष को अनुमानतः कितने राजस्व की हानि होने की संम्भावना है ;

(घ) क्या सरकार की इस कार्यवाही के बाद चीनी के बाजार भाव में कोई कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है ; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) खुली बिक्री की चीनी पर और लेवी चीनी पर मूल उत्पादन शुल्क 16 नवम्बर, 1977 को तथा उसी तारीख से घटा कर क्रमशः मूल्यानुसार $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत से मूल्यानुसार 20 प्रतिशत और मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से मूल्यानुसार 10 प्रतिशत किया गया है।

शुल्क में कटौती के कारण हैं :—(i) गन्ना कृषकों को वाजिब कीमत देना ; (ii) लेवी चीनी की खुदरा कीमत को, 2.15 रु० प्रति कि० ग्राम के वर्तमान स्तर पर बनाए रखना; और (iii) उत्पादकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना।

(ग) चीनी पर मूल उत्पादन शुल्क में जो कटौती की गयी है उस के कारण सरकार को राजस्व की हानि मुख्यतः इस बात पर निभर करेगी कि शुल्क में कमी करने के कारण, खुली बिकने वाली और लेवी चीनी की कीमत में गिरावट आने के परिणामतः उनकी बिक्री में कितनी वृद्धि होती है। खुली बिक्री वाली चीनी के बारे में अन्दाज है कि इसकी बिक्री 13 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 16 लाख मीट्रिक टन और लेवी चीनी की बिक्री 28 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 34 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। इस आधार पर राजस्व की वार्षिक हानि 13.10 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) और (ड़) समाचार-पत्रों में रिपोर्ट किये गये और सरकारी सूत्रों से पता लगाये गये मूल्यों के आधार पर थोक बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहे हैं। परन्तु अभी कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं देखी जा सकती है।

यह उल्लेखनीय है कि शुल्क में कटौती और बाजार मूल्य पर उसके प्रभाव के मध्य सामान्यतः एक अन्तराल होता है।

महानगरों में सुपर बाजारों को हानि

4242. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में सुपर बाजार घाटे पर चल रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह घाटा कर्मचारियों की अधिक संख्या के कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो उन खर्चों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन को करों में छूट

4243. **श्री एस० जी० मुरुगैयन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स फैडरेशन को गत कई वर्षों से करों में छूट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बकाया तथा चालू देयताओं की वसूली के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय गैर-सरकारी व्यापारियों को विदेशों में पूंजी लगाने की अनुमति

4244. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय गैर-सरकारी व्यापारियों को विदेशों में पूंजी लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एम० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय व्यापारियों को विदेशों में धन लगाने की अनुमति विदेशी मुद्रा विनियम, 1973 के संगत उपबन्धों के अंतर्गत दी जाती है। इस प्रकार का पूंजी निवेश विदेशों में संयुक्त उद्यमों, विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग और भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेश में सहायक कम्पनियों और शाखाओं की स्थापना के रूप में किया जाता है और इसकी अनुमति सावधानीपूर्वक निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों/मानदंडों के आधार पर प्रत्येक प्रस्ताव के गुणावगुण की विस्तृत जांच करने के बाद दी जाती है। विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की नीति की इस समय समीक्षा की जा रही है। उक्त पूंजी निवेश ऐसे निर्यात प्रोत्साहन उपाय के रूप में किया जाता है जिससे देश की विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होने का अनुमान हो।

भारतीय प्रकाशकों द्वारा विदेशी पुस्तकों के प्रकाशन पर कर में रियायत

4245. **श्री पी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रकाशकों को विदेशों में पुस्तकों के प्रकाशन पर कर में कोई रियायत दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) किसी भी पुस्तक में कापीराइट के सम्बन्ध में सभी अधिकारों अथवा किन्हीं भी अधिकारों (जिसमें लाइसेंस मंरजू करने का अधिकार शामिल है) को अन्तरित करने के प्रतिफल के रूप में किसी विदेशी कम्पनी द्वारा किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त की जाने वाली इस प्रकार की कापीराइट रायल्टी की सकल रकम पर उन मामलों में 40 प्रतिशत की दर से कर लगता है जिनमें 1 अप्रैल, 1976 को अथवा उसके पश्चात् किये गये करार के अनुसरण में रायल्टी अदा की जाती हो और उक्त करार को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो। अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 के लिए भारत सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अधीन 1977-78 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (खण्ड-1) के परिशिष्ट 21 में दी गई सूची 1 के अन्तर्गत आने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा शैक्षणिक विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को भारत में आयात करने के लिये मुक्त सामान्य लाइसेंस के अधीन अनुमति दी जानी होती है। वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1977 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115-क के वर्तमान उपबन्धों में इस दृष्टि से संशोधन किया गया कि कापीराइट रायल्टी की अदायगी करने के लिये किये गये करार के सम्बन्ध में उन मामलों में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके जिनमें किसी ऐसे विषय पर लिखी गई पुस्तक पर कापी राइट की अदायगी की जाती है, जिस विषय पर लिखी गई पुस्तकों का, अप्रैल, 1977 से मार्च, 1978 के लिए भारत सरकार की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार मुक्त सामान्य लाइसेंस के अधीन, आयात करने की अनुमति दी जानी होती है।

उपरोक्त संशोधन 1 अप्रैल, 1978 से प्रभावी हैं और एतदनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 और उसके बाद के वर्षों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दिल्ली कलेक्टरी के खजाने में से धनराशियों के गबन के बारे में जांच

4246. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या वित्त मंत्री केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दिल्ली कलेक्टरी के खजाने में से धनराशियों के गबन के बारे में 5 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दिल्ली कलेक्टरी के खजाने में से धनराशियों के गबन के बारे में मुख्य लेखा नियंत्रक केन्द्रीय उत्पादन और सीमा-शुल्क ने जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क दिल्ली ने भी स्वयं इस मामले में जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जांच से यह भी पता चला है कि इस से कुछ धनराशि कर्मचारियों के वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये निकाली थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पादन कुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने अब जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार खजांची स्वयं और कुछ अन्य अधिकारियों के सहयोग से

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय दिल्ली के खजाने में धन के अस्थायी दुरुपयोग और गबन के लिए जिम्मेदार है। परन्तु, इससे पहले कि अलग-अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाथ में लिये गये मामले की अधिक विस्तार से जांच-पड़ताल करवाना आवश्यक प्रतीत होता है।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली ने जून-जुलाई, 1977 में प्राथमिक जांच-पड़ताल की थी। लेकिन, चूंकि मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को अगस्त, 1977 में मामले की विस्तार से जांच-पड़ताल करने का काम सौंपा गया था इसलिये दिल्ली समाहर्तालय ने अपनी जांच अलग से जारी नहीं रखी।

(ग) दो सहायक समाहर्ताओं के नाम का तो उन व्यक्तियों की सूची में उल्लेख है जिनको अग्रिम रकमें दी गयी बतायी जाती हैं लेकिन मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों द्वारा राशि निकाली गयी थी।

सिंगरेनी प्रबंधकों द्वारा वेतन बचत योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम पालिसियों के प्रीमियम की कटौती बन्द किया जाना

4247. **श्री पूर्ण सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आन्ध्र प्रदेश की सिंगरेनी कोयला खान, जो आन्ध्र प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है, के प्रबंधकों ने वेतन बचत योजना के अंतर्गत 33,000 जीवन बीमा पालिसियों की प्रीमियम कटौती बंद कर दी है और वे जीवन बीमा निगम से सेवा प्रभार मांग रहे हैं; जिसमें पालिसियाँ व्यपगत हो सकती हैं ;

(ख) क्या इन पालिसियों के व्यपगत होने से जीवन बीमा निगम को 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक की हानि होगी ;

(ग) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है कि प्रीमियम को सिंगरेनी कोयला खान श्रमिकों की मंजूरी से कटौती कर एकत्र किया जाये और उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उक्त योजना के अंतर्गत ली गयी पालिसियों की उपरोक्त बाधा को देखते हुए व्यपगत नहीं होने दिया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जी, हां। जब जीवन बीमा निगम सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड के सेवा-प्रभार में जो विभिन्न नियोजकों को समान दर पर अदा किया जाता है वृद्धि करने की मांग से सहमत नहीं हुआ तो सिंगरेनी कौलरीज कम्पनी ने जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अन्तर्गत हाल में अपने कर्मचारियों के जीवन बीमा प्रीमियम की वसूली बन्द कर दी है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वसूल किये जाने वाले प्रीमियम की रकम 54 लाख रुपए वार्षिक बैठती है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह कम्पनी को अपनी मांग पर पुनर्विचार करने के लिए कहे।

(घ) इन पालिसीधारियों के हितों की रक्षा करने के लिए जीवन बीमा निगम ने पालिसियों को फिर से चालू करने के लिए (1) डाक्टरी की शर्तों (2) बकाया प्रीमियम पर ब्याज और (3) पालिसियों को साधारण योजना पालिसियों में बदलते समय ब्याज को छोड़ देने सहित, खास रियायतें देने की पेशकश की है। ये रियायतें 31 दिसम्बर, 1977 तक दी जाती रहेंगी।

जीवन बीमा निगम की त्रुटिपूर्ण पदोन्नति नीति

4248. **श्री बालक राम:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जीवन बीमा निगम की त्रुटिपूर्ण पदोन्नति नीति की जानकारी है, जिस-से निगम में अफसरशाही, पक्षपात और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रबन्धकों को वस्तुत: बहुत शक्ति प्राप्त है ;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि प्रबन्धकों द्वारा 100 अंकों में से 70 अंक गोपनीय रिपोर्टों और साक्षात्कार के लिए निर्धारित किये जाते हैं और उम्मीदवार की अन्य अर्हताओं के लिए केवल 30 अंक रह जाते हैं और

(ग) क्या उन्हें लखनऊ डिवीजन में जुलाई, 1977 में उच्च ग्रेड सहायक की पदो-न्नति में अनियमितताओं के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो, तो हरिजनों के प्रति अनुदार दृष्टिकोण रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जीवन बीमा निगम पदोन्नति विनियमन, 1976 में निगम में अफसरशाही, पक्षपात और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रबन्धकों को शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं।

(ख) उपर्युक्त विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ वरिष्ठता, अर्हता, गोपनीय रिपोर्टों तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन करने के मापदण्ड दिए गए हैं। ये मापदण्ड पदोन्नति के लिए हकदार सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। और अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ये नियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलाभकर नहीं हैं। फिर भी निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित छूट दी है :—

(एक) यद्यपि, पदोन्नति विनियम, 1976 के अनुसार साक्षात्कार के लिए रिक्त पदों की संख्या से 5 गुना से अधिक उम्मीदवार नहीं बुलाये जा सकते तथापि अनु-सूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाता है चाहे वे 5 गुना से अधिक हों अथवा कम।

(दो) यद्यपि, लिखित परीक्षा पास करने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है फिर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है।

(तीन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के चयन हेतु निम्नलिखित न्यूनतम अंक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है :—

(क) अर्हता तथा वरिष्ठता : 30 में से 11 अंक

(ख) गोपनीय रिपोर्ट : 40 में से 24 अंक

(ग) साक्षात्कार : 30 में से 12 अंक।

(चार) रिक्त पद रोस्टर के अनुसार आरक्षित रखे जाते हैं।

(ग) अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा जीवन बीमा निगम की सलाह से इस पर विचार किया जा रहा है।

NEW AIR STRIPS AT BHARATPUR, SAWAI MADHOPUR AND OTHER PLACES

4249. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether new air-strips are proposed to be set up at the Bharatpur, Sawai Madhopur, Alwar, Bikaner, Mount Abu, Chittaurgarh, Jaisalmer etc. tourist centres of the State; and

(b) if so, by what time and the details thereof and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बम रखे जाने अथवा विमान अपहरण की धमकियों के कारण इंडियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया की निर्धारित उड़ानों में व्यवधान

4250. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम रखे जाने अथवा विमान अपहरण की धमकियों के कारण इंडियन एयर-लाइन्स और एयर इंडिया की कितनी निर्धारित उड़ानों में व्यवधान आया और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त गतिविधियों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अपराधियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया की उन उड़ान अनुसूचियों के ब्यौरे, जिनमें बम रखने की धमकियों के कारण चालू वर्ष के दौरान विघ्न पड़ा, निम्न प्रकार हैं :—

इंडियन एयरलाइन्स	जनवरी—अक्तूबर 1977 की अवधि के दौरान
बम्बई	1
बंगलौर	1
दिल्ली	1
हैदराबाद	1
जबलपुर	1
कुल	5

एयर इंडिया	1-1-1977 से 15-11-77 तक की अवधि के दौरान
बम्बई	4
कलकत्ता	1
दिल्ली	1
लन्दन	7
सिडनी	1
फ्रैंकफर्ट	1
हांगकांग	1
कुल	16

अपहरण की कोई धमकियां नहीं दी गयीं।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों से इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया से संबंधित ऐसी गतिविधियों में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि का पता नहीं चलता।

(ग) क्योंकि बम की धमकियां टेलीफोन से प्राप्त हुई थीं, अतः अपराधियों का पता लगाना संभव नहीं हो पाया। ऐसी धमकियों के मामलों की सफलतापूर्वक जांच करने में विमानक्षेत्र सुरक्षा पुलिस के प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए, खुफिया ब्यूरो ने उन्हें हाल ही में कुछ गाइडलाइन्स दी हैं, जो अपराधियों का पता लगाने में सहायक होंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र

4251. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 25 के अंतर्गत, इस अधिनियम के लागू होने के समय से, कितने आवेदन-पत्र, प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन आवेदन-पत्रों का स्वरूप क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों पर क्या आदेश दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने 1665 आवेदन पत्र प्राप्त किये। इन आवेदन-पत्रों के निपटारे से संबंधित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं।

धारा 28(1) (क)/28 (3) के अंतर्गत अभिकरण प्रबंध के संबंध में आवेदन-पत्र	807
धारा 28(1) (ख)/28(3) के अन्तर्गत तकनीकी/प्रबंध परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त की स्वीकृति के संबंध में आवेदन पत्र	433
धारा 28(1) (ग)/28(3) के अंतर्गत व्यापार चिन्हों के प्रयोग की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र	425
जोड़	1665

	28 (1) (क)/ 28(3)	28(1) (ख)/ 28(3)	28 (1) (ग)/ 28
निपटाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या	670	336	270
विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	137	97	146
अनुमोदित आवेदन-पत्रों की संख्या .	429	413*	61
अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या .	97	4	7
उन आवेदन-पत्रों की संख्या जिन पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा 28 के उपबंध लागू नहीं होते। प्रबंध की अवधि समाप्त हो गई। वह समाप्त कर दिये गये . . .	144	119	211

*इसमें वह आवेदन-पत्र शामिल हैं जो अनुमोदन आदि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे गये हैं।

PURCHASE OF FURNITURE BY BANK OF RAJASTHAN LIMITED

4252. SHRI JAGDISH PRASHAD MATHUR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the circumstances in which furniture worth lakhs of rupees was purchased at high rates by the Rajasthan Bank Limited, from M/s. Kalpna Crafts, a firm of Kota dealing in furniture and also was despatched from Kota to its Delhi, Madras, Calcutta and Baroda Branches as well as to many branches in Rajasthan;

(b) the value of furniture purchased by this bank from the above firm in 1976; and

(c) whether the Chairman of the Bank is related to the proprietor of M/s. Kalpna Crafts.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b). Reserve Bank of India have reported that, in terms of the powers vested in the Chairman, he is authorised to incur capital expenditure upto an amount of Rs. 25,000 on safe, fixtures and furniture, as per approved list, for the new branches of the Bank and that since August, 1974 *i.e.* after the present Chairman of the Bank assumed office, orders for supply of wooden furniture and fixtures for different branches, for an aggregate value of Rs. 1.37 lakhs, have been placed by the Bank with M/s. Kalpna Crafts Ltd. The Bank has reported in this context to the Reserve Bank that the overall cost to it in placing orders for various items of furniture with this firm is comparable to that relating to other contractors.

(c) The Proprieor of M/s. Kalpna Crafs is reported to be the brother-in-law of the Chairman of the Bank.

पंजाब नेशनल बैंक रायपुर के मैनेजर द्वारा की गई अनिमितताएं

4253. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के ध्यान में लायी गयी अनेक अनियमितताओं की जानकारी है जिसमें मैसर्स जशोनमल हरिमल, भगवान दास जगदीश प्रसाद, सेवक

6—1029LSS/77

राम जयराम दास, मोजी राम मुरारीलाल, गुलाब चन्द बन्सी लाल और श्याम सुन्दर संजय कुमार जैसी अनेक फर्मों की इच्छानुसार कार्य करने में पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर के मैनेजर रीजनल मैनेजर और बैंक स्टाफ और यूनियन के अनेक सदस्य शामिल हैं ;

(ख) बैंक ने इन सौदों में कितनी हानि उठायी ; और

(ग) क्या इन आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच की जायेगी और दोषी आफिसरों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग) यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की रायपुर शाखा में हुई अनियमितताओं को उनके नोटिस में नहीं लाया गया है, पंजाब नेशनल बक ने सूचित किया है कि उसकी रायपुर शाखा में निम्न-लिखित पार्टियों के खातों के लेन-देन में अनियमितताएं हुई हैं :—

मैसर्स जाशोंमल हरिमल भगवान दास जगदीश प्रसाद,
सेवा राम जयराम दास मोजी राम मुरारी लाल,
गुलाब चन्द बंसी लाल और श्याम सुन्दर संजय कुमार।

बैंक ने अपने हितों की रक्षा के लिये मुकदमा दायर करके तथा जहां कहीं सम्भव हुआ अतिरिक्त प्रतिभूतियां भी लेकर आवश्यक उपाय किये हैं। उसने आवश्यकतानुसार पुलिस में शिकायत भी दायर की है। बैंक ने उचित समय पर शाखा के क्षेत्रीय प्रबन्धक, एरिया प्रबन्धक और दो प्रबन्धकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बैंक ने इन मामलों में शामिल कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है।

(ख) क्योंकि ये खाते विनियमित किये जाने के विभिन्न चरणों में हैं इसलिए बैंक इस समय हानि की राशि बताने की स्थिति में नहीं है।

पश्चिम बंगाल और बिहार में ट्रांसपोर्ट आपरेटरों द्वारा बैंक ऋण की न अदा की गई राशि

4254. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में अधिकतर बसें, मिनी बसें, ट्रक टैक्सी चलाने वाले ट्रांसपोर्ट आपटेरेटरों को विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक ऋण की अदा न की गई राशि के लिये कानूनी नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) ऐसा कठोर कदम उठाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त दोनों राज्यों में, राज्यवार और बैंक-वार प्रत्येक श्रेणी के आपरेटर पर ऋण की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के परिवहन संचालकों को उन कुछ मामलों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं। जिनमें जानबूझकर अदायगी नहीं की गयी है, वसूली के अन्य साधन असफल रहे हैं और बकाया राशि की वसूली के लिए नालिश करना जरूरी हो गया है।

(ग) पश्चिम बंगाल और बिहार में सड़क और जल परिवहन संचालकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

सड़क और जल परिवहन संचालकों को दिये गये *अग्रिमों की मार्च, 1977 के अन्त की स्थिति

(राशि लाख रुपयों में)

	एककों की संख्या	मंजूर सीमाएं	बकाया राशि
पश्चिम बंगाल	16200	4069.15	3433.51
बिहार . . .	28814	3219.65	2650.45

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक जमा राशि के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले ऋण में वृद्धि

4255. डा० बापू कालदाते : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक जमा राशि के माध्यम (पब्लिक डिपाजिट्स) से ऋण प्राप्त करने वाली गैर सरकारी और सरकारी कम्पनियों की संख्या में वृद्धि होने के बारे में रिजर्व बैंक ने कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अप्रैल, 1977 से अक्तूबर, 1977 तक सार्वजनिक जमा राशि (पब्लिक डिपाजिट) के माध्यम से ऋण प्राप्त किये; और

(ग) उक्त कम्पनियों ने इस अवधि में सार्वजनिक जमा राशि (पब्लिक डिपाजिट्स) के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्र की ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने गैर सरकारी और सरकारी कम्पनियों द्वारा प्राप्त जमाओं का, हाल ही में, कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य तेल को शुद्ध करने को शर्तें और प्रतिबन्ध

4256. श्री जी० एम० बतनवाला : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेल को शुद्ध करने के लिये कुछ शर्तें और प्रतिबन्ध लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन शर्तों के कारण शुद्ध खाद्य तेल की बहुत कमी हुई है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां। वनस्पति यूनिटों द्वारा भारत में तैयार किए जाने वाले निष्कासक मूंगफली के तेल से परिष्कृत मूंगफली का तेल तैयार करने और आयातित ताड़ के तेल को परिष्कृत करने पर क्रमश: अगस्त, 1977 तथा अक्तूबर, 1977 से रोक लगा दी गई है।

(ख) वनस्पति तेल-उत्पाद उत्पादक (परिष्कृत तेल निर्माण का विनियमन) आदेश के अन्तर्गत वनस्पति कारखानों द्वारा देशीय तेलों से परिष्कृत तेल तैयार करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) कोई भी उत्पादक किसी कैलेण्डर मास के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल का विक्रय के लिए विनिर्माण, उपखण्ड (क) में या उपखण्ड (ख) उपवर्णित रीति में अवधारित मात्रा में से जो भी उच्चतर हों, उससे अधिक मात्रा में नहीं करेगा, अर्थात् :—

(i) किसी उत्पादक द्वारा मास के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल के उत्पादन का जो अनुपात, अखाद्य औद्योगिक उपयोग के लिए विनिर्मित उत्पाद से भिन्न, वनस्पति-तेल उत्पाद के उसके उसी मास के दौरान के उत्पादन से है, वह उस अनुपात के दुगने से अधिक न होगा जो अनुपात कि एक जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की दो वर्ष की अवधि के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल के उसके उत्पादन का उक्त अवधि के दौरान ऐसे वनस्पति-तेल-उत्पाद के उसके उत्पादन से है; अथवा

(ii) किसी उत्पादक द्वारा मास के दौरान परिष्कृत वनस्पति तेल का उत्पादन, अखाद्य औद्योगिक उपयोग के लिए विनिर्मित उत्पाद से भिन्न वनस्पति-तेल-उत्पाद के उसी मास के दौरान उसके उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

तथापि, इस आदेश के अन्तर्गत किसी वनस्पति कारखाने द्वारा परिष्कृत आयातित सूर्यमुखी का तेल, आयातित सोयाबिन का तेल, आयातित रेपसीड तेल, आयातित पामोली अथवा बिनौले का तेल तैयार करने पर कोई पाबन्दियां नहीं लगाई गई है।

(ग) परिष्कृत तेल की कमी की कोई शिकायतें नहीं मिली हैं और देशीय परिष्कृत विलायक निस्सारित तेल के अलावा आयातित तेलों से तैयार किए गए परिष्कृत मूंगफली के तेल और रेपसीड तेल की उपलभ्यता की स्थिति काफी अच्छी है। तथापि, इस बारे में कुछ अभिवेदन मिले हैं कि अगस्त, 1977 में निष्कासक मूलक देशीय मूंगफली के तेल परिष्कृत पर लगाई गई रोक हटा दी जाये। इस पर सरकार विचार रक रही है।

BUNGLING IN RESPECT OF SUGAR EXPORT

4257. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officers of State Trading Corporation have indulged in bungling in respect of sugar export; and

(b) if so, the extent thereof and the action being taken by Government against these officers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b). Certain complaints against the former Chairman, S.T.C. and some other Executives pertaining to sugar deals handled by the S.T.C. have been received. These are being investigated by the appropriate authorities.

लोकप्रिय ब्रांड की चाय की किस्म में गिरावट

4258. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में चाय की किस्म में विशेषकर लोकप्रिय ब्रांड में, निरन्तर गिरावट आ रही है जबकि उसका मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि चाय की कम्पनियों जैसे ब्रुक ब्रांड ने अपने पैकिटों को नया ब्रांड नाम दिया है और उसी किस्म की चाय से अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न नाम दिये हैं ; और

(ग) चाय कम्पनियों का उक्त पद्धति को रोकने और एक विशेष किस्म की चाय के लिए निश्चित मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पैकटों में चाय की क्वालिटी कभी कभी मौसम के साथ बदल सकती है फिर भी पैकर विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले ब्लैंडों के मानक बनाए रखने की कौशिश करते हैं। (चाय का नीलामी कीमतों तथा फुटकर कीमतों में चालू वर्ष के शुरू में तीव्र वृद्धि हुई थी। तथापि, अप्रैल, 1977 के महीने से सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, चाय की कीमतों, में लगातार गिरावट आई है) । दो प्रमुख पैकरों द्वारा बेची जाने वाली डिब्बा बन्द चायों के लोकप्रिय ब्रांडों की फुटकर कीमत 17 अप्रैल, 1977 से लगभग 2 रु० प्रति कि० ग्रा० घट गई थी और इस कटौती को अब भी कायम रखा जा रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

AIR SERVICE FROM MUZAFFARPUR CITY OF BIHAR STATE

4259. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to reintroduce air service from Muzaffarpur city of Bihar State; and

(b) if so, the time by which Delhi-Muzaffarpur and Muzaffarpur-Patna air service will be started ?

THE MINISTER O FTOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बैंकों की कार्य प्रणाली सुधारने की योजना

4260. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों में उत्पादकता, दक्षता और लाभप्रदता विषयक समिति ने बैंक की कार्य प्रणाली को सुधारने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने, वाणिज्यिक बैंकों में उत्पादकता, कार्यक्षमता और लाभार्जकता के प्रश्न की जांच करने के लिये अप्रैल, 1976 में, एक आंतरिक कार्यकारी दल की नियुक्ति की थी जिसमें इसके अपने ही अधिकारी शामिल थे। इस दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को प्रस्तुत कर दी है। हालांकि इसमें बैंकों की कार्य-प्रणाली में सुधार के लिये कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई है फिर भी, बैंकों की परिचालन क्षमता और लाभार्जकता में सुधार करने के उद्देश्य से अपनी रितपोर्ट में कई सुझाव दिये हैं। मोटे तौर पर ये सुझाव ये हैं :— (1) प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार (2) चालू खातों पर प्रभार सहित सेवा प्रमाणों को तर्कसंगत बनाना (3) लेखा परीक्षा प्रणाली का पुर्नगठन (4) कर-नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन विशेषत: इस उद्देश्य से कि बैंक अपने पूंजीगत आधार को सुदृढ़ कर सकें (5) नकद कोषों पर राशियों की लागत के अनुरुप ब्याज की अदायगी (6) निष्पादन बजट बनाने, ऋण बजट बनाने और कारोवारी योजना में समन्वयन (7) बैंकिंग प्रबन्ध सूचना प्रणाली बनाना, और (8) द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा और विधान अथवा अन्य माध्यमों से अपेक्षित परिवर्तन।

पालम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग में चोरी के कारण हानि

4261. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के इंजीनयरिंग विभाग से वर्ष 1974 से 1976 के दौरान पेट्रोलियम आयल लुब्रीकेंट्स समेत सामान चोरी हुआ था;

(ख) यदि हां, तो चोरी गये माल की राशि कितनी है और चोरों का चोरी करने का क्या तरीक रहा;

(ग) चोरी का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और वे अधिकारी कौन हैं जिनकी सांठ-गांठ और लापरवाही के कारण ऐसा हुआ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की हानि रोकने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) वर्ष 1974 से 1976 तक की अवधि के दौरान, पालम एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग से थिनर तथा पेट्रोल की चोरी की दो घटनाएं हुईं ।

(ख) और (ग) पहले मामले में, एक ड्राइवर को पांच लिटर थिनर निकालते हुए पकड़ा गया था जबकि दूसरे मामले में, एक अस्थाई तकनीशियन को उस समय पकड़ा गया जब उसने एयर इंडिया की एक गाड़ी से तीन लिटर पेट्रोल नली से निकाला। चुराए गए थिनर का मूल्य 33 रुपये था तथा पेट्रोल का मूल्य दस रुपए। दोनों मामलों की जांच से पता चला कि इनमें किसी की सांठ-गांठ नहीं थी। थिनर की चोरी करने वाले ड्राइवर को सख्त चेतावनी दे दी गई तथा अस्थायी तकनीशियन की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

(घ) उपर्युक्त घटनाएं होने के बाद, थिनर, तेल आदि जैसी वस्तुओं को एयर इण्डिया के स्टोर में रखा जाता है। जिसमें चौबीसों घंटे एक स्टोर कीपर तैनात रहता है और जो उचित प्राधिकार से ही वस्तुएं जारी करने के लिये जिम्मेदार होता है। वाहनों से पेट्रोल की चोरी को रोकने के लिये एयर इंडिया के सभी वाहनों के पेट्रोल टैंकों में ताला लगाने की व्यवस्था कर दी गई है, तथा कर्मचारियों को हैंगर के अन्दर अपने निजी वाहन लाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इंजीनियरी तथा परिवहन हैंगरों में एक चौकीदार को भी चौबीसों घंटे ड्यूटी पर रखा जाता है।

पिल्लै समिति की सिफारिशें

4262. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिल्लै समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या बैंकों के अधिकारियों ने इन सिफारिशों को बुद्धिपूर्ण ढंग से लागू करने के विरुद्ध विरोध प्रगट किया है जिसके परिणामस्वरूप उनकी कुल उपलब्धियों में भारी कमी हुई है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पिल्लै समिति ने, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों के ढांचे को विनियमित करने वाले सिद्धान्तों की जांच करने के पश्चात्, अधिकारियों के काडर की जिमेदारियों के स्पष्ट स्तरों पर मोटे तौर पर आधारित सात वेतनमानों वाले मानक वेतनमान ढांचे की सिफारिश की है। उसने जिम्मेदारियों के प्रकार और किये जाने वाले कार्यों के आधार पर बैंकों के अधिकारियों की विभिन्न पदों के मूल्यांकन और सिफारिश किये गये ग्रेडों में से एक ग्रेड में उनका वर्गीकरण करने के लिये कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों का सुझाव भी दिया है। समिति ने मंहगाई भत्ते और यात्रा भत्ते, मकान किराया भत्ते, नगर पूरक भत्ते जैसे अन्य भत्तों के मानकीकरण की भी सिफारिश की है। समिति ने उच्चस्तर के कार्मचारियों के अंत बैंक तबादले की भी सिफारिश की है। सरकार द्वारा गठित बैंकरों के समूह द्वारा और उदार बनायी गयी इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी संघ ने पिल्लै समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन का विरोध किया है। विरोध के कारणों में से एक यह है कि इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से अधिकारियों की परिलब्धियों में एकदम कमी हो जायेगी। सरकार ने इस पहलू पर भी विचार किया

है और बैंकरों के समूह द्वारा किये गये सुझावों के अनुसार पिल्लै समिति की सिफारिशों में संशोधन कर दिया है, ताकि यह व्यवस्था हो जाये कि नये वेतनमान में नियतन के बाद यदि किसी अधिकारी की कुल परिसंपत्तियां वर्तमान कुल परिलब्धियों से कम हों तो उनका अंतर व्यक्तिगत भत्ते के रूप में दे दिया जाये जिसे भविष्य की वेतन वृद्धियों में समायोजित कर दिया जायेगा। पिल्लै समिति की रिपोर्ट में अधिकारियों के लिये इस विकल्प की व्यवस्था भी है कि अधिकारी चाहे तो नया वेतनमान ले सकते हैं अन्यथा अपने वर्तमान ग्रेड की अवधि तक पुराने वेतनमान और भत्तों को चालू रख सकते हैं। अलबत्ता पिल्लै समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप, बैंक अधिकारियों को अब तक मिलने वाले अनुलाभ कुछ नियमित हो जाएंगे ताकि उन्हें सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप बनाया जा सके।

उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क पर छूट देना

4263. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान संगत कानूनी के अन्तर्गत उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क पर दी गई विशेष छूट का ब्योरा क्या है;

(ख) प्रत्येक छूट में कितना शुल्क शामिल है और ऐसी छूट से लाभान्वित का पार्टियो के नाम तथा पते क्या हैं और ऐसी छूट दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) किसके कहने पर ऐसी विशेष छूट की अधिसूचनाएं जारी की गयी थी; और

(घ) ऐसी छूट देने का अन्तिम निर्णय किस स्तर पर लिया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) 1 अप्रैल 1975 से 31 मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (2) और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम, 1944 के नियम 8 (2) के अन्तर्गत लगभग 1200 तदर्थ छूट आदेश जारी किये गये थे। प्रत्येक छूट आदेश में ग्रस्त रकम, ऐसी छूट से लाभान्वित हुई प्रत्येक पार्टी का नाम और पता, प्रत्येक छूट के सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू करने वाला और निर्णय का स्तर, जिस पर तदर्थ छूट की मंजूरी देने का फैसला किया गया, इन सबके संबंध में ब्यौरा पेश करना संभव नहीं है। इस सूचना को एकत्र करने का काम बहुत लम्बा-चौड़ा है और उसमें बहुत समय लगेगा। ये सब फाईलें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अनेक स्थानों पर बिखरी हुई हैं और उनमें से कुछ फाइलें तो शाह आयोग जैसी बाह्य एजेन्सियों के पास हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट पार्टी अथवा पार्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हों, तो इससे संबंधित सूचना एकत्र करके पेश की जा सकती है।

आगा खां के बंगले की बिक्री

4264. **श्री ब्रज भूषण तिवारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाकेश्वर स्थित आगा खां के बंगले (महल) की बिक्री अमरीकी मिशन को विदेशी मुद्रा में दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत पर; और

(ग) क्या उक्त सौदे के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुमति ले ली गई थी?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। परन्तु बालकेश्वर बम्बई में मुनिवरावाद धर्मार्थ ट्रस्ट के स्थल के लिए जमीन बेचने (जो पहली दिसम्बर, 1972 तक दिवंगत प्रिंस अलीखान की सम्पत्ति का एक हिस्सा थी) के बारे में अमरीकी मिशन से बातचीत चल रही है।

(ख) उस जमीन का बिक्री मूल्य 89 लाख रुपये होगा।

(ग) ऐसे मामले में भारत सरकार और संबद्ध राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी होता है।

HIGH GRADE ASSISTANTS FOR S.C. AND S.T. IN L.I.C., LUCKNOW

4265. SHRI RAM LAL RAHI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether reserve posts of higher grade Assistants for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Life Insurance Corporation, Lucknow have not been filled through promotions in July, 1977 though candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes possessing requisite qualifications are available in the department; if so, the reasons for not giving them promotions;

(b) whether reserved posts were declared unreserved deliverately for making appointments against these posts in an arbitrary manner and whether appointments have already been made thereon, if so, the criteria for these appointments and the officers responsible therefor; and

(c) whether Government propose to take action against the officers responsible for showing deliberate neglect against the persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes and whether Government propose to appoint person belonging to the scheduled castes and scheduled tribes against these reserved posts and if so, by what time ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). The required information is being collected. It will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय दिल्ली के खजाने से वितरित किये गये धन के बारे में समय समय पर जांच

4266. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या **वित्त** मंत्री केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय दिल्ली के खजाने से धन के गबन के बारे में 5 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय दिल्ली के खजाने से धन के गबन से संबंधित मामले में 29 जुलाई, 1977 को 18,321.00 रुपये की जिस राशि का मिलान किया जाना था, क्या उसका इस बीच में मिलान कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या विभिन्न पार्टियों को वितरित किये गये धन की समय-समय पर जांच की जाती है और यदि हां, तो ऐसी जांच करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम क्या हैं और किन परिस्थितियों में संदर्भाधीन वितरित की गई राशियों का मिलान न हो सका; और

(ग) क्या इस समाहर्ता कार्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) दिनांक 29-7-77 को, समायोजन के लिए बाकी पड़ी रोकड़ की कमी में, जो पहले 8321.00 रुपये बताई गयी थी कतिपय समायोजनों के कारण थोड़ासा परिवर्तन हुआ है। रोकड़ की वास्तविक कमी 29-7-77 को 18300.73 रुपये बनती है। इस रकम में से, 12 दिसम्बर, 1977 तक 2240.70 रुपये वसूल कर लिये गये हैं। बकाया रकम, जो समायोजित होनी बाकी है, 16086.03 रुपये है।

(ख) विभाग के विभिन्न अधिकारियों को पेशगी के रूप में वितरित की गयी रकम की सावधिक जांच नहीं की गई थी क्योंकि पेशगी की पर्चियां स्वयं खजांची द्वारा रखी जाती थी और वह उन्हें आहरण और वितरण अधिकारी की जानकारी में तभी लाया जब उसे अप्रैल 1977 में अपने पद का कार्यभार सौंपने का आदेश दिया गया था। अप्रैल, 1971 से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान चार मुख्य लेखा अधिकारी थे जिन्होंने आहरण और वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया।

(ग) मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा की गयी जांच पड़ताल से पता चलता है कि खजांची स्वयं और अन्य अधिकारियों के सहयोग से, धन के दुरुपयोग/गबन के लिए जिम्मेदार था। यह भी प्रतीत होता है कि आहरण और वितरण अधिकारी नियमों के अन्तर्गत की जाने वाली अपेक्षित सावधिक जांच करने के मामले में लापरवाह रहे थे। क्या चूकों की जिम्मेदारी समाहर्तालय में किसी वरिष्ठ अधिकारी की है, यह केवल केन्द्रीय जांच ब्यौरो द्वारा पूरी जांच-पड़ताल किये जाने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है।

AIR SERVICE FOR LADAKH

4267. SHRIMATI PARVATI DEVI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to introduce air service in Ladakh; and

(b) if so, whether it is proposed to introduce air service during winter months this year ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). Indian Airlines propose to start a bi-weekly service from Srinagar to Leh by Boeing-737 aircraft from April 1978, provided infrastructure facilities including civil works for the taxi-track and parking apron at Leh are completed by that time.

तैयार शुदा वस्त्रों के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव

4268. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचार तैयार शुदा वस्त्रों के छोटे निर्माताओं के हितों का देखरेख के लिए एक समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तीसरे विश्व के देशों के साथ कपड़े के बारे में वर्तमान बातचीत पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय का रवैया

4269. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तीसरे विश्व के देशों के साथ कपड़े के बारे में चालू वार्ता पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रवैये की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वार्ता के दो दौर हो चुके हैं। अभी तक करार को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

तम्बाकू पर वसूल किया गया उत्पादन शुल्क

†**4270. श्री राज केशर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क किस दर से लगाया गया तथा इस अवधि में उस पर कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ; और

(ग) उत्पादन शुल्क की इतनी कम राशि वसूल करने से क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विगत तीन फसल वर्षों अर्थात 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू का उत्पादन क्रमशः 4188, 2999 और 4424 लाख किलोग्राम था।

(ख) 1974-75 में अब तक की अवधि में अनिर्मित तम्बाकू पर लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। 1974-75 , 1975-76 और 1976-77 में वसूल किये गये उत्पाद-शुल्क की राशि क्रमशः 95.56, 92.19 और 104.16 करोड़ रुपये थी। तम्बाकू के मामले में तीन वर्ष या इससे अधिक समय के लिये केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दिये बिना भाण्डागारण की पद्धति है। इसके अलावा निर्यात किये जाने वाले या कृषि प्रयोजनों में इस्तेमाल होने वाले तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाता। तदनुसार किसी फसल और उस पर वसूल किये गये शुल्क के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि वसूल किये गये शुल्क की राशि कम थी। [**एल० टी० 1386/77**]।

IMPORT LICENCES OBTAINED BY AYURVEDIC PHARMACEUTICAL FIRMS OF INDORE

4271. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether 374 local Ayurvedic Pharmaceutical firms of Indore had got import licences for importing medical raw material during 1975;

(b) whether those firms had sold imported medicinal raw material worth Rs. 64 lakhs along with the import licence in collusion with drug control department and had earned black money; and

(c) if so, the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) The Honourable Member is perhaps referring to the list of 374 Ayurvedic Pharmaceutical firms of Indore figuring in the list furnished by the Drug Controller of Madhya Pradesh, to the Pahuja Committee appointed by the M.P. Government. None of these firms were granted any import licence during 1975.

(b) & (c). These 374 firms were alleged to have misutilised imported goods worth Rs. 68.63 lakhs imported during the period prior to 1975.

The C.B.I. took up for investigation those instances where the value of the licence was Rs. 1 lakh or more. (The State Government is reported to have undertaken investigation in respect of others).

As a result the C.B.I. registered 20 cases of which 1 case involving 6 firms was taken up in 1973 & 19 cases involving 227 firms were taken up in 1975.

Out of the 20 cases referred to above, prosecution has been launched in 16 cases. Investigation report in respect of one more is under examination and the CBI is to submit their reports in respect of 3 others.

उत्तर बिहार में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना से विस्थापित हुए लोग

4272. **श्री युवराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना से वहां बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गये थे,

(ख) यदि हां, तो वहां स्थापित किये सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के नाम क्या हैं और कहां-कहां और कब स्थापित किये गये थे, उनसे कितने लोग विस्थापित हुए थे और उनमें से कितने लोग अभी तक बेरोजगार हैं,

(ग) सरकार और विस्थापित लोगों के बीच यह तय हुआ था कि इन उद्योगों में नौकरी देते समय इन लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ;

(घ) क्या इन विस्थापित लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें कब तक काम पर लगा लिया जायेगा और यदि उन्हें रोजगार प्रदान नहीं किया जायेगा तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन-पटल पर रख दी जायगी।

DISPARITY IN WHOLESALE AND RETAIL PRICES OF PULSES

4273. SHRI UGRASEN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether gram, gram dal, kabuli gram, pea, etc. are also treated as pulses;

(b) whether Government are aware that there is wide disparity in wholesale and retail prices and whether retailers do not reduce the prices even after a reduction is made in the prices by the wholesalers; and

(c) if so, th steps being taken by Government to reduce retail prices in this regard and the time by which the said disparity would be removed and the steps to be taken against the retailers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) Yes, Sir.

(b) On the basis of information made available by some States, it does not appear that there is wide disparity in wholesale and retail prices except short term fluctuations in wholesale prices which do not generally get reflected in the retail prices. Sometimes variations may also become wide because of temporary localised shortages.

(c) In order to keep the difference between the wholesale and retail prices within reasonable limits, efforts are being made to increase the production, and hence availability, of pulses. Efforts are also being made to import pulses. 10,000 tonnes of lentils from Turkey will be shortly available in the market. Central Government has recently imposed restrictions on the stocks of pulses that the wholesalers, retailers and millers can hold. State Governments have been asked to enforce these stock limits vigorously. Some quantities of pulses are being sold through National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED) and National Consumers' Cooperative Federation (NCCF) at retail prices which are significantly lower than the market prices. In addition State Governments have been asked to take measures such as holding meetings periodically with dealers, selling pulses through selected depots, enforcing price display orders and Foodgrains Dealers Licensing Order.

खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्यात

4274. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशों को निर्यात की गई अत्यावश्यक वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के बारे में तथ्य क्या है ;

(ख) ऐसी वस्तुओं के निर्यात का रुपयों में मूल्य क्या है; और

(ग) उन खाद्य पदार्थों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में तथ्य क्या है जिनका निर्यात बन्द कर दिया गया है और रुपयों में इसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरीफ बेग) : (क) तथा (ख) : खाद्य की चुनिन्दा अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) जिन प्रमुख मदों के निर्यात पर 1977 के दौरान प्रतिबन्ध लगाया गया है उनमें ये शामिल हैं, ताजी सब्जियां तथा प्याज, अलसी का तेल, सूती धागा, तिल, करड़ी के बीज, नमक, लट्ठों के रूप में कच्ची लकड़ी, लट्ठे के रूप में सागवान की लकड़ी, पी० वी० सी० रेसिन, दूध, दुग्ध चुर्ण (सपरेटे का अथवा पूरी क्रीम वाला) बेबी मिल्क तथा कीटाणु रहित किया हुआ तरल दुग्ध, रद्दी कागज जिसमें रद्दी अखबारी कागज भी शामिल है। 1976-77 के दौरान इन मदों के निर्यातों का मूल्य लगभग 62 करोड़ रु० था।

विवरण

खाद्य की चुनिन्दा मदों के निर्यात

(लाख रु०)

क्रमांक	वस्तुएं	1974-75	1975-76	1976-77
1.	मोटे अनाज			
	(i) बिना पिसा जौ	0.4	1.2	371.6
	(ii) मक्का बिना पिसी	3.7	21.3	2.5
	(iii) गेहूं, चावल, जौ तथा मक्का को छोड़कर पिसे अनाज	नगण्य	5.3	नगण्य
2.	दलहन तथा उनका आटा	156.6	219.5	237.5
3.	चीनी	33971	47475	14972
4.	(i) जमा हुआ बनस्पति तेल सोफ्ट (मूंगफली, रेप कोल्जा तथा सरसों के तेल सहित)	31.4	18.3	203.4
	(ii) हाइड्रोजेनेटिड आयल तथा मूंगफली की वसा	46.6	104.2	153.3
5.	(i) दूध तथा क्रीम	3.3	5.0	25.6
	(ii) अंडे	4.1	8.1	86.5
	(iii) मछली तथा मछली से बनी चीजें	6617	12718	18025
6.	मूंगफली	2557	6291	6524

EXPORT OF FOOD ARTICLES

4275. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the names of food articles exported to foreign countries by Government during the last two years and the names of the firms and parties to which licences were given for the export of food articles during the period; and

(b) the foreign exchange earned as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG): (a) & (b). Statistics of exports of food articles and their values are published regularly in the "Monthly Statistics of the Foreign Trade of India, Vol. I Exports and Re-exports" by the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.

There are a number of food articles for the export of which licences are not required. In those cases where licences are issued, particulars of such licences are regularly published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import licences and Export Licences".

भारतीय रुपये के मूल्य में घटबढ़ के कारण विदेशी मुद्रा में लाभ/हानि

4276. श्री डी० अमात : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मुद्रा को पौण्ड स्टर्लिंग से असम्बद्ध करने के बाद भारतीय रुपये की दर में घट बढ़ के कारण विदेशी मुद्रा के रूप में अब तक कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान रूबल की तुलना में रुपये के मूल्यों में कोई कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक कमी हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) रुपये की विनिमय दर को पौण्ड, स्टर्लिंग के साथ जोड़ने की व्यवस्था 25 सितम्बर, 1975 से उस समय समाप्त कर दी गई जब भारत ने रुपये की विनिमय दर अपने मुख्य व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं की डाली (बास्केट) के अनुसार दर निश्चित करने की प्रणाली अपना ली। यद्यपि इसके परिणामस्वरूप रुपये की विनिमय दर को अपने मुख्य व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं में हुई घट बढ़ के अनुसार बनाए रखा जा सका है लेकिन विश्व के मुद्रा बाजार में, जहां मुख्य मुद्राएं, अपनी-अपनी विनिमय दरें तय करने के लिए खुली छोड़ दी गई हैं, विदेशों में होने वाली घटबढ़ का रुपये की विनियम दर पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। चूंकि इस घटबढ़ से कभी रुपये का मूल्य बढ़ता है और कभी कम होता है और चूंकि ये लेनदेन अलग-अलग समय पर कई मुद्राओं में होते हैं, इसलिये नई व्यवस्था अपनाए जाने के बाद हुए लाभ या हानि का सही सही अनुमान लगाना कठिन है ।

(ख) जी , नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चांदनी चौक और उसके आस पास के क्षेत्र में तस्करी के सोने का व्यापार

†**4277. श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्बतूर, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर उनका ध्यान गया है, कि चांदनी चौक और उसके आसपास की गलियों में अनेक अड्डे नियमित आधार पर तस्करी के सोने का काफी व्यापार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार की नाक के नीचे इस राष्ट्र-विरोधी गतिविधि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जी हां। इस सम्बन्ध में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। चांदनी चौक , दिल्ली उत्तर भारत में अत्यन्त महत्वपूर्ण सर्राफा बाजारों में से एक है और पीछे इस क्षेत्र में कई बार विदेशी सोना पकड़ा गया। समाचार से यह भी संकेत मिलता है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्करी विरोधी उपायों से तस्करी बहुत कम हो गई है ।

(ग) तस्करी को समाप्त करने हेतु आसूचना और निवारक व्यवस्था को ऐसे व्यक्तियों की, जिन पर सोने की तस्करी करने का सन्देह है, गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने

हवाई अड्डों पर सतर्कता को सुदृढ़ बनाने और सोने को छुपाकर रखने और उसके निपटान के सम्भावित स्थानों की जांच-पड़ताल तेज करने के लिये उचित रूप से सतर्क किया गया है। इसके अलावा तस्करी विरोधी उपायों, जिनमें संवेदनशील क्षेत्रों की गश्त भी शामिल है, को और अधिक कारगर बनाया गया है।

BUSINESS TRANSACTED BY L.I.C. DURING LAST TEN YEARS

4278. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the value of the business transacted by Life Insurance Corporation during the last ten years;

(b) the value of the current business; and

(c) the value of the business matured ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) :' (a) The new business transacted by LIC during the last ten years has been as under :—

(In crores of Rupees)

Year	*Sum Assured*
1967-68	844
1968-69	929
1969-70	1036
1970-71	1303
1971-72	1640
1972-73	2075
1973-74	2586
1974-75	3112
1975-76	5385
1976-77	5119

(b) The sums assured and the bonuses in respect of business in force on 31-3-1977 were Rs. 17942 crores.

(c) Claims during 1976-77 (by death and maturity) amounted to Rs. 174 crores.

चालू अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर पटसन के रेशे का आयात

4279. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यमान, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर पटसन के रेशे का आयात करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे देश में उसकी कमी को दूर किया जा सके;

(ख) क्या कुछ पटसन जिलों ने सरकार से मूल्य में राज सहायता लिये बिना उसे खरीदने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं; और

(घ) उसका कितने मात्रा में आयात किये जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) भारतीय पटसन निगम को उपभोक्ता मिलों द्वारा दिये गये पुख्ता मांग पत्रों के आधार पर उपलब्ध स्रोतों से कच्चे पटसन का आयात करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

अब तक केवल दो मिलों, जनरल इंडस्ट्रियल सोसायटी लिमिटेड तथा बेलीमेरला जूट मिल्स ने बंगला देश के पटसन की 15,000 गांठों की कुल मात्रा के लिये पटसन निगम के पास मांग पत्र भेजे हैं ।

कृषि के विकास के बारे में नई आर्थिक नीति

4280. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कृषि के विकास को बल देते हुए नई आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योगपतियों ने इस पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कुछ क्षेत्रों में इस तरह की आशंका प्रकट की गई है कि कृषि क्षेत्र के विकास पर ज्यादा जोर दिये जाने से औद्योगिक क्षेत्र के निवेश, खास तौर पर पूंजी प्रधान उद्योग धन्धों तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योग धन्धों में किए जाने वाले पूंजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । ये आशंकाएं निराधार हैं क्योंकि कृषि तथा उद्योग, दोनों क्षेत्रों के विकास के कार्य, आर्थिक विकास के समग्र कार्यक्रम के जुड़वाँ तत्व हैं, इसलिये वे परस्पर अनुपूरक और पूरक हैं।

हाथ से बुने गये ऊनी कालीनों का निर्यात

4281. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाथ के बुने हुए ऊनी कालीनों के निर्यात में रिकार्ड वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निर्यात करने वाले देशों में हमारे देश को सर्वोच्च स्थान मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में सरकार ने क्या अनुमान लगाया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत से हाथ से बुने हुए ऊनी कालीनों के निर्यातों में अभूत पूर्व वृद्धि हुई है और भारत कालीनों का सबसे अग्रणी निर्यातकों में एक है ।

(ख) अनुमान है कि 1976-77 में ऊनी कालीनों, नमदों तथा दरियों आदि के निर्यात 66.41 करोड़ रुपऐ मूल्य के हुए जबकि 1975-76 के दौरान 41.42 करोड़ रु० के ही निर्यात हुए थे ।

COMPLAINTS AGAINST M/S NALIKUL PRIVATE LIMITED

4282. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any complaints have been submitted against M/s. Nalikul Private Limited, Nalikul, District Hooghly by a Member of Parliament during the first week of August, 1977 and during the second week of September, 1977;

(b) if so, the details of the action taken by Government thereon; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) Search and seizure operations have been conducted by the Income-tax authorities under section 132 of the Income-tax Act, 1961, in November, 1977 in the factory and Head Office of M/s Nalikul (P) Ltd., the office and residential premises of the Managing Director Shri K. Bhuteria, former Secretary Shri A.C. Bhuteria as also the residence of Shri S. B. Singh Dugar, Director.

These operations have led to the seizure of a large number of books of account/ development works in Chhabra, Rajasthan, and the main project which have benefited sealed.

(c) Does not arise.

AMOUNT DISBURSED BY THE NATIONALISED BANKS FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

4283. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

The amount disbursed by the Nationalised Banks for agricultural development and development works in Chhabra, Rajasthan, and the main project which have benefited thereby .

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : The total advances made by one branch of a public sector bank located in Chhabra, District Kotah of Rajasthan as at the end of June, 1977 were Rs. 10 lakhs. These advances have been made mainly for meeting the credit requirements of wholesale and retail trade in the area.

एयर इंडिया की सेवाओं के बारे में कनाडा के साथ द्विपक्षीय करार

4284. **श्री के० राममूर्ति : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया सरकार पर कनाडा सरकार के साथ एक ऐसा द्विपक्षीय करार करने हेतु बातचीत आरम्भ करने के लिये दबाव डाल रही है जिसम एटलांटिक के आर-पार पेरिस से टोरन्टो तक सात अतिरिक्त विमान सेवाओं की व्यवस्था हो;

(ख) इस मंत्रालय ने एयर इंडिया के अभ्यावेदन के बारे में कनाडा सरकार के साथ कहां तक बातचीत की है; और

(ग) क्या द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ की गई है अथवा नहीं और यह द्विपक्षीय करार कब तक किये जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :(क) से (ग) एयर इंडिया ने एक द्विपक्षीय विमान सेवा करार करने के लिये कनाडा सरकार से बातचीत आरम्भ करने के प्रश्न को सरकार के साथ उठाया ताकि एयर इंडिया टोरांटो के लिये परिचालन कर सके। इस प्रश्न को कनाडा सरकार के साथ उठाया गया था परन्तु अभी तक उन्होंने कोई अनुकूल उत्तर नहीं दिया है। इस मामले का लगातार अनुसरण किया जा रहा है। कनाड़ा के लिये परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या तथा ऐसे स्थानों का निर्णय जहां से होते हुए ऐसी सेवाएं परिचालित की जायेंगी तब किया जायेगा जब कनाडा सरकार के साथ बातचीत हो जाएगी ।

1 अप्रैल, 1977 से आयकर के छापे

4285. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रल, 1977 से मीसा के अधीन कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से मारे गए आयकर के छापों का ब्यौरा क्या है और इन सभी मामलों में कितनी लेखा-वाह्य आस्तियों का पता लगा; और

(ग) देश में तस्करी रोकने और काले धन का प्रसार रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया-क्लाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किए गए नजरबन्दी के आदेशों के अनुसरण में, 1-4-1977 से 3-12-77 तक की अवधि के दौरान, 100 व्यक्ति नजरबन्द किए गए हैं ।

(ख) 1 अप्रैल, 1977 और 31 अक्तूबर, 1977 के बीच 271 मामलों में तलाशी लेने और छापे मारने की कार्यवाहियां की गई। 164.82 लाख रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई।

(ग) सरकार ने तस्करी को रोकने के लिए, निवारक तथा प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ करके, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया-कलाप निवारण, अधिनियम, 1974 के उपबन्धों का चयनात्मक उपयोग करके और सहज ही प्रभावित होने वाली वस्तुओं को उचित दरों पर और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त आर्थिक उपाय कर के तीन तरफा हमला शुरु किया है।

प्रत्यक्ष कर प्राधिकारियों द्वारा अब कर अपवंचन को रोकने के लिए, गुप्त सूचना एकत्र करके, जांच करके, लेखा-बहियों की जांच पड़ताल करके तथा तलाशियां लेकर एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। आयकर विभाग द्वारा, काले धन के विरुद्ध छेड़े गए अभियान की कुछ उल्लेखनीय विशेषतायें ये है :—नये कर-निर्धारितियों का पता लगाने के लिए समग्र रूप से तथा सुव्यवस्थित सर्वेक्षण करना; उपयोगी सूचना एकत्र करने, उसका मिलान करने और उसे कर-निर्धारण अधिकारियों तक पहुचाने की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाना; कर-अपवंचकों को दण्डित करने की दृष्टि से गुप्त-सूचना पक्ष को और अधिक कारगर बनाना; इस्तगासे के महत्वपूर्ण मामलों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अधिकारियों को प्रशिक्षण देना तथा कर-दाताओं को शिक्षित करने का एक वृहत कार्यक्रम चलाना।

पोलैंड द्वारा भारत में इक्विटी में भाग लिया जाना

4286. डा० हेनरी आस्टिन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पोलैंड भारत में इक्विटी में भाग लेने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या दोनों देश तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : शायद यह निर्देश मैसर्ज केल-विनेटर आफ इडिया लिमिटेड द्वारा मैसर्ज रैवेक्स के साथ, जो कि पोलिश सरकार की एक मीन उद्योग कम्पनी है, सहयोग करने के लिए किए गए प्रस्ताव के बारे में है । इस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवर्ष 8400 मैट्रिक टन समुद्री उत्पाद तैयार किए जायेंगे और पकड़ी गई कुल मछलियों के मूल्य के कम से कम 60 प्रतिशत मूल्य के उत्पादों का निर्यात करना होगा भारतीय कम्पनी में पोलिश कम्पनी के 40 प्रतिशत सामान्य शेयर होंगे । इस सहयोग के लिए भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है।

CONSTRUCTION OF YOUTH HOTELS AT PONDICHERRY AND MYSORE

4287. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have completed the construction of Pondicherry and Mysore Youth Hotels and if so, the accommodation capacity thereof and the expenditure incurred thereon; and

(b) whether Government plan to construct such youth hotels in other hill stations also and if so, the names of those places ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Construction work in respect of Youth Hostel buildings at Pondicherry and Mysore is in progress and these are likely to be completed by 1979. The Youth Hostels will have a capacity of 46 beds each. The expenditure incurred so far on these projects is ;

Pondicherry :	Rs. 62,143.00
Mysore :	Rs. 6,661.00

(b) Apart from the above two projects, at present there are Youth Hostels at 15 other locations in the country including hill stations, and it is proposed to construct a Youth Hostel at Shillong also.

PERMIT FOR OPERATION OF SCHEDULED AIR SERVICES

4288. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the names of the persons and firms in private sector to which permits have been given by Government for operation of scheduled air services; and

(b) whether Government have also imparted training of operation to permit holders ?

THE MINISHER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No permit for operation of Scheduled Air Services has been issued to any person or firm in the private sector.

(b) Does not arise.

DRINKING WATER FACILITIES AT CAMPING SITES

4289. SHRI DAYA RAM SAKYA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide drinking water facility at Camping Sites; and

(b) if so, the expenditure involved therein and the places where this scheme will be implemented ?

THE MINISHER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) Yes, Sir. Drinking water will be one of the many facilities to be provided at Camping Sites proposed to be set up at various centres in the country. It is intended to set up four Camping Sites at Khajuraho, Panaji, Pushkar and Amritsar this year towards the cost of which the Department of Tourism will contribute Rs. 180 lakhs each.

नेपाल को नमक, सूती धागे और रुई का निर्यात

4290. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल को नमक, सूती धागे और कुछ किस्मों की रुई का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों को भी इन वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दी जाती है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) (i) नमक के सम्बन्ध में :—जी हां।

(ii) सूत के सम्बन्ध में 31-12-1977 तक 500 मे० टन के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(iii) कुछ किस्मों की रुई के सम्बन्ध में (ख) के उत्तर में बतायी नयी निर्यात व्यवस्था लागू है।

(ख) नेपाल को छोड़कर सभी देशों को नमक के निर्यात पर रोक है। जहां तक सूत का सम्बन्ध है, इसकी सभी किस्मों तथा सभी काउन्टरों के निर्यात पर रोक है (3 प्लाई तथा अधिक प्लाई के बटे हुए सूत तथा टायर कार्ड यार्न को छोड़कर)। असम कोमिल्लास, जोडास आदि जैसी घटिया किस्मों की रुई के मामले में जिनका कताई के लिए कोई महत्व नहीं है, खुले सामान्य लाइसेंस के अतर्न्गत अनुमति है।

भिन्न-भिन्न देशों को लोहा, इस्पात, सीमेंट और कोयले का बेचा जाना

4291. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिन्न-भिन्न देशों को भिन्न-भिन्न मूल्यों पर लोहा, इस्पात, सीमेंट और कोयला बेचा जता है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) जिन कीमतों पर निर्यात किए जाते हैं वे प्रत्येक गंतव्य स्थान के लिए अलग-अलग होती है जो इन बातों पर निर्भर है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति क्या है, आयात करने वाले देश में मद को कितनी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है और कितना समुद्री भाड़ा बैठता है। निर्यात कीमतें बताना देश के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

हैदराबाद में हुसैन सागर पर 3-स्टार होटल का निर्माण

4293. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में हुसैन सागर की ओर 3-स्टार होटल बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहायता दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने हैदरबाद में हुसैन सागर की तरफ 3-स्टार होटल के निर्माण के लिए किसी सहायता का अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम राशियां

4294. **डा० हेनरी आस्टिन**
श्री के० लकप्पा } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत, बैंकों द्वारा अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 के अन्त तक कुल कितनी राशि के ऋण तथा अग्रिम राशियां दी गई;

(ख) ये किन-किन व्यक्तियों तथा व्यापारिक उद्योगपतियों को दिए गए;

(ग) क्या ऋण देने सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई निवेश जारी किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो उन परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है : और

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास अगले वर्ष अथवा प्रतिवर्ष के लिए ऋण प्रदान करने हेतु कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) मार्च, 1977 के अन्त के बाद की अवधि के दौरान बैंक ऋणों के संवितरण के सम्बन्ध में निश्चित और ब्यौरेवार आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो पाये है। फिर भी, मार्च 1977 के अन्त से लेकर सितम्बर, 1977 के अन्त तक के बीस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के, ऋणों के मोटे रूप से क्षेत्रवार वितरण के बारे में जल्दी में उपलब्ध किए गए अनुमानों पर आधारित आंकड़े अनुबन्ध I और अनुबन्ध II में दिए जा रहे हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1387/77।**]

परन्तु ऋणकर्ताओं के बीच वृद्धिगत ऋणों को अलग-अलग दिखाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह वृद्धि विभिन्न कारणों से हो सकती है जैसे कि ब्याज का लागू होना, नई लिमिट की स्वीकृति, वर्तमान लिमिट को बढ़ाना अथवा उससे अधिक की निकासी (ड्राअल्स) आदि।

(ग) और (घ) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे अपेक्षित क्षेत्रों में ऋण की गति को इस प्रकार बढ़ायें कि मार्च, 1979 तक कुल ऋणों में उनका हिस्सा 33.3 प्रतिशत तक हो जाये। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे अपने ऋण-प्रसार

में ऐसा सुधार करें जिससे कि उपर्युक्त तारीख तक उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में उनका ऋण: जमा अनुपात बढ़कर कम से कम 60 प्रतिशत हो जाये। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे छोटे पैमाने के उद्योगों को और लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिए कृषि को और डेरी उद्योग, मुर्गीपालन, मछली पालन, बागवानी आदि के लिए 1 जनवरी, 1978 के बाद में मंजूर किए जाने वाले सावधिक ऋणों पर और छोटे किसानों को 2500/- रुपये तक के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत ऋणों पर, ब्याज की रियायती दरें वसूल करें।

(ङ) शाखाओं के पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने की सांख्यकीय सूचना प्रणाली अभी बन ही रही है।

ARTICLES ALLOWED TO TOURISTS WITH OR WITHOUT CUSTOMS DUTY

4295. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the value as well as names of articles the tourists are allowed to bring free of Customs duty or with customs duty for their personal use or for the people in the country; and

(b) the articles the import of which is prohibited and the amount of duty and fine imposed if they are brought ?

THE MINISTER OF STATE IN HE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) A tourist can bring into India, as his baggage free of customs duty such articles as are covered by Tourist Baggage Rules, 1958, and subject to the conditions mentioned therein. A copy of the Tourist Baggage Rules 1958 is at Annexure—'A' [Placed in Library. *See* No. LT-1388/77]

In addition, a tourist of Indian origin can also import on payment of duty, items listed in para 2(c) of the Import Trade Control Public Notice No. 13 of 1971, a copy relevant extracts of which is at Annexure—'B'. [Placed in Library. *See* No. LT-1388/77].

(b) Articles not covered by the Tourist Baggage Rules or ITC P.N. 13 of 1971 are liable to penal action under the Customs Act. In addition duty is also chargeable. The general rate of duty on items in passenger's baggage is 120%.

FOREIGN MONEY RECEIVED BY GANDHI EYE HOSPITAL, ALIGARH

4296. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether information is given to the Government regarding receipt of foreign money by various institutions in India; and

(b) if so, the foreign money received by the Gandhi Eye Hospital, Aligarh, during the past three or five years from each foreign institution and individuals country-wise ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir. Under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, every association having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme is required to intimate to the Central Government in the prescribed manner, about the foreign contribution received by it.

(b) Since the promulgation of the Foreign Contribution (Regulations) Act on the 5th August, 1976, the Gandhi Eye Hospital, Aligarh, has received the following foreign contributions :

Name of the foreign organisations	*Amount in Rs.*
1. MISEREOR, WEST GERMANY (through Indo-German Social Service Society, New Delhi)	Rs. 1,94,965.10
2. Operation Eyesight Universal, Alberta, Canada.	Rs. 1,98,886.25
Total	Rs. 3,93,851.35

INSTITUTIONS CHANGING SOLID AND MUTILATED NOTES

†4297. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the institutions which are taking interest in doing he job of changing soiled and mutilated currency notes at present and the names of the institution which have been authorised at present to do this job; and

(b) whether Goverment have received complaints to the effect that State Banks in district headquarters do not change soiled and mutilated notes and if so, the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) All the public sector banks have been authorised to provide facilities for exchange of slightly mutilated notes and notes divided into two halves both of which are clearly identifiable as being parts of the same Note. In addition, Posts and Telegraphs Offices and the Railways have been requested to accept slightly mutilated or badly soiled notes in payment of dues. Notes with major mutilations are, however, required to be sent to or tendered at the Offices of the Reserve Bank of India located at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna for examination and payment if admissible under Reserve Bank of India (Note Refund) Rules, 1975.

(b) Occasionally complaints are received regarding non-acceptance of soiled and mulated notes by State Bank of India and the public sector banks at some places. Such complaints are looked into by the Reserve Bank of India and they advise the Head Offices of the Bank concerned to offer necessary exchange facilities to the public.

MUTILATED CURRENCY NOTES

†4298. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that the currency notes get mutilated very soon because of the holes done in an haphazard manner when these are put on wads;

(b) if so, whether any step has been taken to ensure that currency notes do not get mutilated as a result thereof;

(c)whether any suggestion was received by the Reserve Bank that currency notes of five rupee and above should be punched uniformly at the time of their printing so that the notes do not get mutilated; and

(d) if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) & (b) The new note packets are stitched by machines in a uniform manner with a thin steel wire, at the currency and bank note printing Presses, and this does not damage the notes. In subsequent handling, however, by the banks, commercial organisations and the general public, the note packets are stitched or stappled in an haphazard manner and in the process, the notes do get damaged somewhat, though it is unavoidable.

(c) & (d) A suggestion to make two holes on the notes, at the time of printing, for passing a cord through these holes, was received but it was not considered feasible because, apart from the manual operation of passing a cord through the holes and tying each and every packet being a tedious and time consuming job, there is the likelihood of damage to the currency notes as the perforations are likely to become bigger in the course of frequent handling of notes.

खाद्य पदार्थों तथा आवश्यक कच्ची सामग्री के निर्यात पर प्रतिबन्ध

4299. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य पदार्थों तथा कच्ची सामग्री जैसे चीनी, कपास (रा काटन), चावल, चमड़ा और खालें, लौह-अयस्क, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, फल तथा सब्जियां और मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना चाहेगी;

(ख) क्या ऐसी मदों का निर्यात केवल उस स्थिति में करने दिया जाएगा जब कि वे मदें देश में फालतू होंगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) सब्जियों (प्याज सहित), कपास, खालों तथा कच्ची चमड़ियों के निर्यातों पर पहले से ही रोक लगी हुई है। लौह अयस्क से सम्बन्धित सप्लाई स्थिति अच्छी है। जहां तक अन्य मदों का सम्बन्ध है उनके निर्यातों पर रोक लगाने की कोई प्रस्तावना नहीं है। परन्तु उनकी उपलब्धता तथा घरेलू मांग को देखते हुए उनके निर्यातों को विनियमित किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं

4300. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने की दृष्टि से राष्ट्रीयकृत बकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं कि गांवों में लोगों, विशेषकर छोटे किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें मिलें; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की प्राथमिकता को देखते हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से जुटाई गयी जमाओं का 60 प्रतिशत उन्हीं क्षेत्रों में लगाने की

सलाह दी है। सरकार ने बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मार्च, 1979 तक, उनके कुल अग्रिमों का 33 1/3 प्रतिशत कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त तथा उपेक्षित क्षेत्रों को दिया जाने लगे। विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके अग्रिमों का कम से कम दो तिहाई उनको ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से दिया जाये तथा इस योजना के अन्तर्गत कुल अग्रिमों का कम से कम एक तिहाई भाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को दिया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की व्याप्ति को बढ़ाने के लिए बैंकों को महानगर/पत्तन नगर तथा बैंक युक्त केन्द्रों में एक-एक कार्यालय और खोलने में समर्थ होने के लिए बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में चार कार्यालय खोलने होंगे। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि देश में प्रत्येक बैंक रहित सामुदायिक विकास खण्ड में जून, 1978 के अन्त तक बैंक कार्यालय अवश्य खुल जायें। सरकार ने विशेषकर छोटे/सीमांतिक किसानों तथा ग्रामीण आबादी के कमजोर वर्गों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है।

राष्ट्रीयाकृत बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

4301. **श्री बी० के० नायर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शाखायें खोले जाने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बैंकों की अनेक शाखायें छोटे नगरों में भी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खोली जा रही हैं जिससे बहुत अधिक संसाधनों की बर्बादी हो रही है और प्रवास निष्फल हो रहे हैं ; और

(ग) क्या प्रसार के इस प्रकार के कार्यों पर कोई रोक लगाई जाएगी और साथ ही देहातों में दूरस्थ स्थानों में अधिकतम सुविधायें बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) बैंकों को सलाह दी गई है कि शाखा खोलने के लिए स्थान का चुनाव करते समय, बिना बैंकों वाले सामुदायिक विकास खण्डों/ खण्ड मुख्यालयों और जिलों/ ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं की जनसंख्या की अपेक्षा कम व्याप्ति वाले जनजाति क्षेत्रों में केन्द्रों को प्राथमिकता दें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि अपनी शाखा विस्तार कार्यक्रम बनाते समय उन केन्द्रों को प्राथमिकता दी जाये जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा विकास केन्द्रों के रूप में निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) शहरों/ महानगरों/ पत्तन शहरों के कुछ इलाकों में बहुत पास-पास शाखाएं खोलने के उदाहरण ध्यान में आये हैं, जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक महत्व और इन इलाकों की व्यापारिक क्षमता तथा इन केन्द्रों में उचित स्थानों की कमी के कारण खोली गई थीं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि महानगरों/ पत्तन शहरों और शहरों के रिहायशी इलाकों के केन्द्रों के बीच निटकतम विद्यमान शाखा से कम से कम 400 मीटर का अंतर रखा जाए। अन्य इलाकों में भी ऐसे भवन में शाखा न खोलने की सलाह दी गई है जिसमें अथवा जिसके सामने अथवा जिसके आस-पास अन्य शाखा कार्य कर रही हो।

बिना बैंक वाले ग्रामीण केन्द्रों में बैंकों द्वारा अधिक शाखाएं खोला जाना सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया है कि किसी बैंक को बिना बैंक वाले ग्रामीण केन्द्रों में 4 शाखाएं खोलने पर ही महानगरीय और बैंक वाले केन्द्र में एक एक शाखा खोलने का अधिकार मिलेगा।

अमरीका, रूस और यूरोपीय देशों को सप्लाई की अजाने वाली वस्तुओं की दरों में अत्यधिक विषमताओं का दूर किया जाना

4302. **श्री बी० के० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अमरीका, जैसे देश और अन्य यूरोपीय देशों को चाय, काफी, काजू, नारियल जटा और मक्की (कार्न) के उत्पादों जैसी वस्तुओं के निर्यात का प्रति एकक रुपयों में कितना-कितना मूल्य वसूल किया गया ; और

(ख) दरों में जहां कहीं अत्यधिक विषमतायें हैं उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) औसत मूल्य प्राप्ति प्राय: एक देश से दूसरे देश के बीच काफी भिन्न नहीं होती, क्योंकि किसी विशिष्ट मद के लिए आयातक देश द्वारा आफर की गई कीमतें अनेक बातों पर निर्भर होती हैं, अर्थात् उत्पाद की क्वालिटी, संविदा की शर्तें, निर्यात का समय, भुगतान का तरीका, किसी विशेष समय पर मांग का स्वरूप तथा सप्लाई की स्थिति।

विवरण

निर्यात के लिए औसत इकाई मूल्य (जहाज पर नि:शुल्क)

क्रमांक	मद/देश	इकाई	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**चाय**	रु० प्रति कि० ग्रा०					
	ब्रिटेन		7.79	6.98	7.69	8.38	10.13
	सं० रा० अमरीका		7.09	7.41	8.39	10.83	12.59
	सोवियत संघ		8.19	8.70	12.28	12.43	13.36
	पं० जर्मनी		10.50	11.94	14.80	16.51	15.78
2.	**काफी**	रु० प्रति कि० ग्रा०					
	ब्रिटेन		7.29	11.94	10.62	13.03	22.00
	सं० रा० अमरीका		6.39	7.10	8.30	10.27	23.70
	सोवियत संघ		5.18	16.20	10.68	10.90	20.90
	पं० जर्मनी		8.52	14.73	10.19	10.91	26.70

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	**काजू गिरियां**	रु० प्रति कि० ग्रा०					
	ब्रिटेन		10.39	13.67	15.90	17.82	21.21
	सं० रा० अमरीका		10.78	13.89	17.77	17.03	21.09
	सोवियत संघ		8.98	14.71	18.33	17.37	18.76
	पं० जर्मनी		8.93	11.44	15.00	18.81	18.44
4.	**कयर तथा कयर के उत्पाद**	रु० प्र० मे०					
	ब्रिटेन	टन	3641	5961	5124	6807	6800
	सं० रा० अमरीका		2932	3198	3000	4976	5333
	सोवियत संघ		3787	5140	5362	6302	7500
	पं० जर्मनी		3090	3265	4524	5955	5500

नोट :—निर्यातों की औसत इकाई मूल्य को मात्रा से भाग करके निकाली जाती है।

स्रोत :—डी० भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े (वा० जा० तथा अं० सं० महानिदेशालय)

S.C /S.T. EMPLOYEES WORKING IN L.I.C. AND UNITED FIRE AND GENERAL INSURANCE COMPANY

4303. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number, designation-wise, of employees working in the various categories/ classes in the Life Insurance Corporation of India, United Fire and General Insurance Company and other nationalised Insurance Companies, company-wise;

(b) the designation-wise number of employees belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them and the percentage thereof :

(c) whether quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been filled in these companies; and

(d) if not, the reasons therefor and the special steps taken or being taken by Government to fill the quota there ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) :

(a)	Officers	Development Staff.	Clerical	Others
'National' .	757	1146	4025	1050
'New India' .	796	1668	3881	706
G. I. C. .	79	—	156	33
'United India' .	970	1319	4034	1143
'Oriental' .	1187	1292	4280	1110
Total : . .	3789	5425	16376	4042
L. I. C. . .	4086	7356	36719	7997
GRAND TOTAL .	7875	12781	53095	12039

(b) **Scheduled Castes/Scheduled Tribes (% indicated in brackets)**

	Officers	Development Staff	Clerical	Others
'National' . .	—(—)	21(1·8)	68(1·6)	33(3·1)
'New India' . .	2(·3)	—(—)	49(1·3)	31·(4·3)
G. I. C. . .	1(1·2)	—(—)	12(7·6)	10(30)
'United India' . .	1(0·1)	1(0·8)	170(4·2)	98(8·5)
'Oriental' . .	—(—)	2(.06)	124(2·9)	110(9·3)
L. I. C. . .	23(0·5)	50(·68)	1335(3·6)	1327(17)

(c) & (d) The LIC has been providing for reservation for S.C./S.T. in its services from 1965 onwards. After nationalisation of the life insurance business in 1956 most of the employees belonging to various grades were inherited from the erstwhile life insurance companies where there was no provision for reservation of S.C. and S.T. For the first time the Corporation introduced reservations for S.C. and S.T. with effect from 1965. However, as no direct recruitment to class I could be held from 1965-66 to 1975-76, it could not be possible to increase the intake of S.C./S.T. candidates in class I service of LIC. The direct recruitment to Class I service has been resumed since last year and provision for reservation of posts for S.C./S.T. has been made. As regards recruitment to class II posts (Development Officers) generally selection to this cadre is made from amongst successful agents. The Corporation has issued instructions to its Zonal and Divisional offices to make efforts to enroll more and more candidates belonging to S.C./S.T. communities as insurance agents so that sufficient number of suitable candidates belonging to these communities would be available for appointment to this cadre of development officers in the near future. To improve the intake of S.C./S.T. in the service of the Corporation, the Corporation has taken the following special measures :—

(i) Relaxation of 10% marks at each of the three stages of selection, viz., (1) eligibility, (2) pre-recruitment test, and (3) interview;

(ii) Relaxation of upper age limit by 5 years;

(iii) Separate interview for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates;

(iv) Re-imbursement of T.A. for candidates called for interview;

(v) Recourse to *ad-hoc* recruitment in the event of unsatisfactory response from Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates at the time of general selection.

(vi) Extension of reservation and other concessions in the matter of promotion as well; and

(vii) Appointment of Liaison officers for the effective implementation of the Reservation orders.

After nationalisation of general insurance business it took some time for the various general insurance companies to be fully integrated and they started functioning on an integrated basis only from 1975. Most of the employees of G.I.C. and its subsidiaries are transferred employees from over 100 insurance companies which were not following any reservation rules. In Recruitment Rules, the G.I.C. has provided for 20% of vacancies for members of Scheduled Castes and 10% for members of Scheduled Tribes.

मैसर्स केडबरी इंडिया लिमिटेड द्वारा बाहर भेजी गई राशि

4304. **श्री जयोतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1948 में और 1976 में भारत में कार्यरत एक विदेशी बहु-राष्ट्रीय फर्म मैसर्स केडबरी इंडिया लिमिटेड की कुल प्रदत्त पूंजी क्या है ;

(ख) वर्ष 1960-61 से 1976-77 तक इस कम्पनी ने, वर्षवार कितना मुनाफा कमाया ;

(ग) वर्ष 1970-71 से 1976-77 तक इस कम्पनी द्वारा वर्षवार प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि बाहर भेजी गई ;

(घ) क्या इस कम्पनी पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन करने सम्बन्धी आरोप लगाया गया था, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इस कम्पनी के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ; और

(च) क्या सरकार इस कम्पनी द्वारा धनराशि बाहर भेजे जाने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मैसर्स कैडबरी इंडिया लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 1948 और 1976 में क्रमशः 3.24 लाख रुपए और 12.96 लाख रुपये थी।

(ख) कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	करों की अदायगी के बाद लाभ (लाख रुपए)
1960	6.7
1961	10.6
1962	8.3
1963	13.2
1964	16.9
1965	15.9
1966	16.3
1967	14.0
1968	19.2
1969	26.6
1970	28.6
1971	23.7
1972	25.5
1973	26.7
1974	15.5
1975	39.9
1976	41.4

(ग) : वर्ष 1973 को छोड़कर जबकि कम्पनी ने लाभांश के रूप में 9.6 लाख रुपए की धनराशि बाहर भेजी थी, शेष अवधि के दौरान कोई धनराशि बाहर नहीं भेजी गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(च) जी, नहीं।

ग्रिंडलेज बैंक द्वारा लघु बचत को हतोत्साहित करना

4305. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु बचत को हतोत्साहित करने की प्रक्रिया अपनाये जाने के परिणामस्वरूप ग्रिंडलेज बैंक ने अपने कर्मचारियों में से बहुत से व्यक्तियों की सेवाओं को फालतू (सरप्लस) कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रिंडलेज बैंक का कार्यकरण सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किये गये दृष्टिकोण के अनुसार हो रहा है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है जिससे ग्रिंडलेज बैंक के रवैये को ध्यान में रखते हुए देश में लघु बचत को प्रोत्साहन दिया जा सके ?

वित्त मंत्री (एच० एम० पटेल) : (क) यद्यपि बताया गया है कि ग्रिण्डलेज बैंक के पूर्वी क्षेत्र के कार्यालयों में बचत बैंक खातों की संख्या कम हो गयी है, जो दिसम्बर, 1976 के अंत के 1,53,000 से घट कर जून, 1977 के अंत में 1,46,000 हो गयी है (अर्थात् 76000 खाते कम हो गये हैं) किन्तु ग्रिण्डलेज बैंक का कहना है कि उनके कर्मचारियों की संख्या को निर्धारित करने का मुख्य आधार उनके कारोबार की मात्रा और उनके लेन देन की संख्या है। रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस बैंक के द्वारा अपने कर्मचारियों की कोई छटनी नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) ग्रिण्डलेज बैंक को उसके बचत बैंक खातों के परिचालन सम्बंधी कोई निदेश न तो सरकार ने जारी किये हैं और न ही रिजर्व बैंक ने जारी किये हैं। फिर भी क्योंकि इस बैंक के नियम अन्य बैंकों के नियमों की तुलना में अधिक कठोर हैं और यह आभास दे सकते हैं कि यह जान बूझकर धनी लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है और सामान्य व्यक्तियों की उपेक्षा कर रहा है, इसलिये रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक को सलाह दी है कि वह इस स्थिति की समीक्षा करें।

ग्रिंडलेज बैंक में बचत तथा सावधि निक्षेप खाते

4306. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण निदेशों के अन्तर्गत चल रहे ग्रिन्डलेज बैंक ने बचत तथा सावधि निक्षेप खातों में रखी जा रही न्यूनतम राशि को बढ़ाकर तथा निदेशकों के मामूली से उल्लंघन के लिये भी जमाकर्त्ताओं से जुर्माने के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को बहुत अधिक बढ़ाने की पद्धति अपना कर और ग्राहकों से वसूल किये जाने वाले प्रासंगिक डाक व्यय को बढ़ाकर छोटे ग्राहकों को अलग कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये निदेशों का उल्लंघन है जो उसने इस बैंक को भारत में अपना कारोबार करने के लिये पहले लगाई गई शर्त के रूप में दिये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रिंडलेज बैंक द्वारा उन्हें दी गयी सूचना के अनुसार, ग्रिंडलेज बैंक ने बचत बैंक खाते खोलने के लिये न्यूनतम बकाया राशि बढ़ा दी है और सावधिक (फिक्स) जमा खातें खोलने के लिए न्यूनतम बकाया राशि 2500/- रुपये रखी है। अलबत्ता, इस बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी सूचना के अनुसार, यह बचत बैंक खाते अथवा बचत जमा खातों के परिचालन संबंधी नियमों के उल्लघंन के लिए न तो कोई दण्डात्मक प्रभार (पेनाल्टी चार्जेज) वसूल करता है और नही बचत बैंक खातों पर कोई आकस्मिक प्रभार (इनसीडेंटल चार्जेज) वसूल करता है। बचत जमा खातों के बारे में, बैंक के नियमों में यह

प्रावधान है कि किसी खाते में छः माह के दौरान बकाया राशि 250/- रुपये से नीचे होती है तो यह उस खाते में उस छमाही के लिए उस खाते की देखभाल में अन्तर्ग्रस्त कार्य को देखते हुए, आकस्मिक प्रभार के रूप में 10/- रुपए या इससे अधिक वसूल करता है। जहां तक डाक खर्च का संबंध है रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बैंक के ग्राहकों से इस प्रकार के प्रभारों को वसूल किया जाता है अथवा नहीं परन्तु सामान्य रूप से बैंकों की यह प्रथा है कि अपने ग्राहकों की ओर से अपने द्वारा खर्च किये गये वास्तविक डाक-व्यय को वसूल करते हैं।

(ख) और (ग) रिजर्व बैंक ने ग्रिण्डलेज बैंक को बचत और सावधिक जमा खातों के परिचालन के बारे में कोई निदेश नहीं दिये हैं, परन्तु, क्योंकि इस बैंक के नियम अन्य बैंकों की तुलना में अधिक कठोर हैं और यह आभास दे सकते हैं कि यह जानबूझ कर धनी लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा है और सामान्य व्यक्तियों की उपेक्षा कर रहा है, इसलिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक को सलाह दी है कि वह इस स्थिति की समीक्षा करे।

विभिन्न विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों द्वारा धनराशि भेजना

4307. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित विदेशी नियंत्रण वाली कम्पनियों अर्थात् यूनियन कार्बाइड, आई० टी० सी०, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कैडबरी इंडिया, कोलगेट, पामोलिव तथा नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक की मूल और चालू प्रदत्त पूंजी कितनी है; और

(ख) उनमें से प्रत्येक कम्पनी ने प्रत्येक शीर्ष अर्थात् लाभ, लाभांश, ब्याज, स्वामित्व, तकनीकी शुल्क तथा मुख्यालय और प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत 1970 से 1976 तक वर्षवार कुल कितनी राशि भेजी ?

वित्त मंत्री (एच० एम० पटेल) :

(क) विदेशी नियंत्रित कम्पनियों की मूल और चालू चुकता पूंजी

देश का नाम	भारत में निगमन की तारीख	मूल शेयर पूंजी	31-12-1976 को चालू चुकता शेयर पूंजी	टिप्पणी
		रुपए	रुपए	
1. यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता	20-6-34	20,040	18,42,75,000	
2. आई० टी० सी० लिमिटेड, कलकत्ता	24-8-10	4,16,00,000	18,95,00,000	
3. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई	17-10-33	28,00,000	16,85,29,550	
4. कैडबरी इंडिया लि०, बम्बई	19-7-48	3,24,100	12,96,100	
5. कौलगैट - पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	23-9-37	1,50,000	1,50,000	
6. नैशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक	यह शाखा है इसलिए कोई इक्विटी नहीं है।			

(ख) विदेशी-नियंत्रित कंपनियों द्वारा 1970 से 1976 तक की गई प्रेषणाएं

(रुपयों में)

	लाभांश	तकनीकी जानकारी की फीस		रायल्टी	मुख्यालय व्यय
1 यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लि०					
1970-71	29,75,588		99,04,088	2,54,348	—
1971-72	96,90,465		45,12,186	1,60,447	—
1972-73	1,23,16,670		28,35,022	1,50,836	—
1973-74	1,20,32,676		2,18,639	—	—
1974-75	56,13,801		56,63,911	—	—
1975-76	96,67,167		61,95,159	1,48,080	—
2. आई० टी० ई०					
1970-71	1,43,60,994		—	—	—
1971-72	76,90,392		—	—	—
1972-73	2,27,33,704		—	—	—
1973-74	—		—	—	—
1974-75	—		—	—	—
1975-76	59,03,866		—	—	—
3. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड					
1970-71	1,29,22,956		—	—	—
1971-72	73,87,037		—	—	—
1972-73	1,45,66,863		—	—	—
1973-74	6,42,136		—	—	—
1974-75	1,00,38,798		—	—	—
1975-76	71,33,658		—	—	—
4. कैडबरी फ्राई इंडिया लि०					
1970-71	—		—	—	—
1971-72					
1972-73					
1973-74	9,66,973		—	—	—
1974-75	—		—	—	—
1975-76					

	लाभांश	तकनीकी जानकारी की फीस	रायल्टी	मुख्यालय व्यय
5. कोलगैट-पामोलिव लिमिटेड				
1970-71	26,16,075	—	84,375	—
1971-72	54,71,527	—	1,12,500	—
1972-73	57,37,062	—	—	—
1973-74 / 1974-75	—	—	—	—
1975-76	13,370	—	—	—
6. नेशनल एण्ड ग्रिंड-लेज बैंक लिमिटेड				
1970-71	90,69,040	—	—	1,05,31,654
1971-72	90,88,494	—	—	
1972-73	1,95,82,087	—	—	—
1973-74	92,24,728	—	—	—
1974-75	35,41,924	—	—	—
1975-76	75,49,738	—	—	—

COMPLAINTS AGAINST OFFICERS ISSUING LICENCES FOR OPIUM PRODUCTION FROM JHALAWAR TO BHAWANI MANDI (RAJASTHAN)

4308. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there are many complaints against officers issuing licences for opium production from Jhalawar (Rajasthan) in Bhawani Mandi area;

(b) whether complaints for bungling in regard to the machine used for spraying the opium plants to protect it from insects have also been received; and

(c) if so, the details in this regards ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (c) The Government had received some complaints alleging corruption harassment, etc. in the issue of opium poppy growing licences to the cultivators. However, immediate remedial steps were taken. The condition regarding purchase of spraying machine for issue of licences for growing opium poppy was also withdrawn. The specific allegations contained in the complaints are curently being enquired into by a Senior Officer of the Narcotics Department.

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपनी सेवाएं बढ़ाने की योजना

4309. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स अपनी सेवाएं बढ़ाने की योजनाएं बना रही है जैसा कि 24 नवम्बर, 1977 के "इकनोमिक टाइम्स" में समाचार था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

इंडियन एयरलाइंस

इंडियन एयरलाइंस के प्लान प्रोजेक्शनों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इस बीच, तीन नये बोइंग 737 विमानों के परिचालन आरंभ होने से इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं में निम्न प्रकार से वृद्धि करने का प्रस्ताव है :—

(i) **नई सेवायें**

— कलकत्ता/जोरहाट/डिब्रूगढ़/कलकत्ता (आईसी-213/214)—सप्ताह में तीन बार

— दिल्ली/नागपुर/हैदराबाद/नागपुर/दिल्ली (आईसी-516/515) दैनिक परिचालन करेगी ।

— दैनिक बम्बई/कलकत्ता सेवा (आईसी-175/176) पर नागपुर एक हाल्ट होगा ।

— कलकत्ता-पटना-कलकत्ता (आईसी-207/208) सप्ताह में तीन बार 15-11-77 से चालू की गई ।

(ii) **सेवाओं की संख्या में वृद्धि**

बम्बई/त्रिवेन्द्रम (आईसी-532/531) मार्ग पर अतिरिक्त दैनिक सेवा

— कलकत्ता/गोहाटी/इम्फाल (आईसी-217/218) पर सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर सप्ताह में पांच दिन । शेष दो दिन, यह सेवा कलकत्ता/गोहाटी/डिब्रगढ़ सेवा के रूप में परिचालन करेगी ।

— आईसी-469/470 पर जबलपुर और रायपुर के लिए सेवा की संख्या को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार कर दिया गया है ।

— कलकत्ता/हैदराबाद/बंगलौर (आईसी-269/270) सप्ताह में पांच दिन से बढ़ा कर दैनिक ।

— दिल्ली/काठमांडू (आईसी-413/414) सेवा को सप्ताह में तीन बार से बढ़ाकर सप्ताह में छः बार कर दिया गया । (15 नवम्बर 1977 से चालू की गई ।

— आईसी-137/138 सेवा बम्बई/केशोद/पोरबन्दर सैक्टर पर दैनिक परिचालन करेगी ।

— सेवा आईसी 411/412 का कानपुर में दैनिक हाल्ट ।

(iii) **टर्बो-प्रॉप के स्थान पर बोइंग-737 विमान रखना**

— बम्बई/हैदराबाद (आईसी-117/118) मार्ग पर कारवेल विमान द्वारा सप्ताह में दस सेवाओं को बदल कर उसके स्थान पर बोइंग 737 द्वारा प्रतिदिन दो सेवाएं की जाएंगी ।

— कलकत्ता/अगरतला (आईसी-235/236) एफ-27 के स्थान पर बोइंग-737 रखना ।

— बम्बई/कराची (आईसी-131/132) कारवेल के स्थान पर बोइंग-737 रखना ।

— बम्बई/भावनगर (आईसी-135/136) एचएस 748 के स्थान पर बोइंग-737 रखना ।

— त्रिवेन्द्रम/कोलम्बो (आईसी-507/508) एचएस748 के स्थान पर बोइंग-737 रखना ।

— बम्बई/मंगलौर/बम्बई (आईसी-159/160) एचएस-748 के स्थान पर बोइंग-737 रखना ।

— बम्बई/गोआ/बंगलौर (आईसी-523/524) बोइंग-737 के स्थान पर कारवेल रखना ।

एयर इंडिया

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिये धारिता में विस्तार और अतिरिक्त विमान प्राप्त करने के कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं । उस अवधि के दौरान, जिसके कि लिये इस समय योजनाएं तैयार की जा रही हैं, एयर इंडिया कांटिनेंटल गेटवे से होते हुए संयुक्त राज्य अमरीका के लिए एक नया मार्ग खोलने, कनाडा के लिये परिचालन प्रारंभ करने और लुसाका (जाम्बिया) के लिए परिचालन प्रारंभ करने पर बल दे रही है । एयर इंडिया सातवीं योजनावधि के दौरान प्रशान्त के उस पार एक नया मार्ग खोलने की संभाव्यता की भी जांच कर रही है ।

अहमदाबाद और कलकत्ता में व्यक्तियों, फर्मों और लिमिटेड कम्पनियों द्वारा आयकर की राशि के वापसी भुगतान के लिये दावे

4310. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद और कलकत्ता स्थित उन व्यक्तियों, फर्मों और लिमिटेड कम्पनियों के नाम और पतों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने वर्ष 1975-76, 1976-77 और वर्ष 1977-78 के दौरान अब तक आयकर की धनराशि के वापसी भुगतान के लिए दावे पेश किये हैं ;

(ख) इन दावों के बारे में देय ब्याज की राशि कितनी है और इस पर किस दर से ब्याज की गणना की जाती है; और

(ग) विभाग के रिकार्ड के अनुसार भाग (क) के बारे में उपयुक्त ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

फिल्म अभिनेताओं द्वारा आयकर का भुगतान

4311. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिये कितने और किन किन फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों तथा फिल्मी कलाकारों ने आयकर की देय राशि जमा नहीं कराई है; और

(ख) उनसे आयकर की राशि वसूल करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) । (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है; सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायेगा ।

कोल्हापुर में हवाई पट्टियां

4312. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद**
श्री राजाराम शंकरराव माने } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्हापुर में हवाई पट्टियों के निर्माण में क्या प्रगति हुई; और

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) कोल्हापुर की वर्तमान हवाई पट्टी हल्के विमानों द्वारा परिचालन के लिये उपयुक्त है। नागर विमानन विभाग की बड़े विमानों द्वारा परिचालन के लिये इस हवाई पट्टी का विकास करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली के श्री चिरंजीलाल के निवास स्थान से आयकर प्राधिकारियों द्वारा पकड़ा गया सामान

4313. **डा० वी० ए० सईद मोहम्मद**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के श्री जी० एस० बस्सी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मई, जून और अगस्त, 1973 में आयकर अधिकारियों द्वारा दिल्ली के कई स्थानों, अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर छापे मारे गये थे;

(ख) क्या नई दिल्ली के श्री चिरंजीलाल के निवास स्थान से 2 लाख 20 हजार रुपये की राशि पकड़ी गई थी ;

(ग) क्या उनका कर-निर्धारण फिर से किया गया है और उसे पूरा कर दिया गया है; और

(घ) क्या सूचना देने वाले व्यक्ति को उसका देय पुरस्कार दिया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) श्री जी० एस० बस्सी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में, दिसम्बर, 1973 में श्री चिरंजीलाल तथा अंसल समूह के अन्य व्यक्तियों के परिसरों में तलाशी लेने तथा अभिग्रहण की कार्यवाही की गई थी। इसके परिणामस्वरूप बहुत सा बहीखाते और दस्तावेज़ तथा 2.2 लाख रु० नकद पकड़े गये जिसमें श्री चिरंजीलाल के निवास से पकड़े गये 46,000 रु० भी शामिल हैं।

(ग) श्री चिरंजीलाल के मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से की गयी थी। इन्हें पूरा कर लिया गया है।

(घ) सूचना देने वाले को अब तक 2,700 रु० अदा कर दिये गये हैं। सूचक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर जैसे ही अतिरिक्त कर की वसूली होगी, वैसे ही अतिरिक्त पुरस्कार की स्वीकार्यता पर विचार किया जायगा।

बम्बई-जामनगर उड़ान बन्द करना

4314. **श्री विनोद भाई बी० शेठ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई/जामनगर के बीच एक उड़ान बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे विशेषकर जामनगर में विकसित औद्योगिक नगर होने तथा वहां तीन यूनिट होने के कारण असन्तोष व्याप्त है; और

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उड़ान को पुनः आरम्भ करने का है और यदि हां, तो कब से ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) औद्योगिक अशांति के परिणामस्वरूप उपयोग के लिये उपलब्ध विमान साधनों में कमी आ जाने के कारण जिस सेवा को बंद कर देना पड़ा था उसे बहुत शीघ्र ही पुनः चालू किया जा रहा है ।

आयकर विभाग में अनिर्णीत अपीलों की संख्या

4315. श्री विनोदभाई बी० शेठ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1977 की समाप्ति तक आयकर विभाग में कितनी अपीलें अनिर्णीत पड़ी थीं; और

(ख) कितने अपीलीय आयुक्त सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये और बहुत जटिल कराधान कानूनों के बारे में निर्णय देने के लिए उनसे किस प्रकार की पृष्ठभूमि-जानकारी की अपेक्षा की जाती है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) जून 1977 के अन्त में आयकर विभाग में 2,90,102 अपीलें विचाराधीन थीं ।

इस समय कोई अपीलीय आयकर आयुक्त नहीं है । अपीलों की सुनवाई सहायक अपीलीय आयकर आयुक्त द्वारा की जाती है ।

सहायक आय-कर आयुक्तों की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा नहीं की जाती है। इस समय अपीलीय सहायक आय-कर आयुक्तों के रूप में नियुक्त 190 सहायक आयुक्तों में से 131 को सीधे आय-कर अधिकारी (ग्रुप ए) के रूप में भर्ती किया गया था । ग्रुप ए के जिन आय-कर अधिकारियों ने उस ग्रेड में कम से कम आठ साल की सेवा की हो उन्हें सहायक आय-कर आयुक्त के रूप में पदोन्नति के लिये विचार किये जाने योग्य समझा जाता है । इन पदों पर पदोन्नतियां योग्यता के आधार पर चयन की पद्धति से की जाती हैं । यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त समझा जाता है कि सहायक आयुक्तों के रूप में नियुक्त अधिकारी, जिनमें अपीलीय सहायक आयकर आयक्तों के रूप में तैनात अधिकारी भी शामिल हैं उन्हें सौंपे गये कार्यों को करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों के बारे में अनिर्णीत अपीलें

†**4316. श्री विनोदभाई बी० शेठ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न समाहर्ता कार्यालयों में सीमा शुल्क समाहर्ताओं के समक्ष कितनी अपीलें अनिर्णीत पड़ी है और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों के बारे में बोर्ड के समक्ष कितनी अपीलें अनिर्णीत हैं; और

(ख) केन्द्रीय बोर्ड स्तर पर इन अपीलों के निपटान का कार्य कितने अपीलीय प्राधिकारियों को सौंपा गया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) 1 नवम्बर, 1977 को अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

सीमाशुल्क अपीलीय समाहर्ताओं के पास अनिर्णीत अपीलें . .	11,702
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीली समाहर्ताओं के पास अनिर्णीत अपीलें	6,440
कुल . .	18,142
उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड के पास अनिर्णीत अपीलें	
सीमाशुल्क के मामले	2,701
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले	1,621
कुल .	4,322

(ख) 30-9-1975 तक बोर्ड का एक सदस्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क दोनों सम्बन्धी अपीलों के निपटान से पूर्णतः सम्बन्धित था। 30-9-1975 को एक सदस्य की सेवा निवृत्ति पर अपील का काम का पुनः आवंटन किया गया। वर्तमान में बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को अपनी ड्यूटी के अलावा अपीलों के निपटान का काम सौंपा गया है।

सीमा शुल्क गोदामों में चोरी

4317. **श्री विनोद भाई बी० शेठ**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा शुल्क गोदामों में नियमित रूप से और प्रक्रियाबद्ध तरीके से चोरी होती रहती है;

(ख) सीमा शुल्क गोदामों में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई अथवा रोकी गई वस्तुओं की कितनी मात्रा में चोरी होती है; और

(ग) 30 सितम्बर, 1977 तक इस प्रकार चुराई गई वस्तुओं की कुल कीमत कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) जी, नहीं। सीमा शुल्क गोदामों से कोई नियमित और सुव्यवस्थित चोरी नहीं होती।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

RELEASE OF RAILWAY RECEIPTS OF CONSIGNMENTS FROM BANK

4318. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that several black-marketers get the railway receipt of the consignment released from the banks on making payment in cash and thus convert their black money into white money and add to the volume of black money and also evade income tax;

(b) if so, whether Government will issue instructions to banks to release the R.R. only on payment by cheques so as to check this corruption; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M. PATEL) : (a) to (c) Release of a railway consignment on cash payment out of unaccounted funds will not by itself convert

the latter into 'white' so long as the transaction is kept outside the books of account. Sub-section (3) of Section 40A of the Income-tax, 1961 provides for disallowance of any expenditure in respect of which payment in a sum exceeding Rs. 2,500/- is made otherwise than by a crossed cheque or a crossed bank draft, unless the case falls within the specified exceptions. The exceptions are constantly under review.

IMPORT OF WATCHES

4319. SHRI OM PRAKASH TYAGI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government have decided to go in for the import of watches;

(b) if so, the value and quantum of the imports to be made; and

(c) the reasons for resorting to this import ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) Yes, Sir. An import licence for Rs. 6.76 crores has been granted in favour of H.M.T. for the import of 5 lakh watches.

(c) The present level of indigenous production is not adequate to meet the demand.

सरकार द्वारा सोने की खरीद

4320. **श्री शंकरसिंह जी बाघेला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा भारत गोल्ड माइन्स (कोलार) से वर्ष-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का सोना खरीदा गया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : पिछले तीन वर्षों में भारत गोल्ड माइन्स से जितना सोना खरीदा गया है उसकी मात्रा और 84.40 रुपये प्रति दस ग्राम की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मूल्य दर के हिसाब से आंके गये उसके मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	खरीदे गये सोने की मात्रा फाइन ग्राम में	84.40 रुपये प्रति दस ग्राम की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मूल्य दर पर सोने का मूल्य
		रुपए
1974-75 . .	1,796,211	1,52,34,681
1975-76 . . .	1,713,754	1,45,35,310
1976-77	2,211,772	1,87,19,228

कमर्शियल बैंक की सन्देहास्पद वसूलियां

4322. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 अक्तूबर, 1977 के 'ब्लिटज' साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित 'इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि असुरक्षित ऋण तथा ओवरड्राफ्ट, बेनामी सौदों, ऋण लेने वाले व्यक्तियों के दवाब में आकर बैंक के शेयरे बेचने, बसूल न हो सकने वाले ऋण की जिम्मेदारी जानबूझ कर अपने ऊपर लेने और बैंक के शेयरों की उसी या अन्य बैंको से

ऋण लेने के लिये जमानत के रूप में उपयोग करने के कारण लक्ष्मीकमर्शियल बैंक को कुल मिलाकर लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि की वसूली में संदेह है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री एम० एम० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इन आरोपों पर ध्यान दिया है।

UNIFORMITY IN THE DISTRIBUTION OF SUGAR, VANASPATI AND PULSES

4323. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) the measures being adopted by Government to bring uniformity in the distribution of sugar, vanaspati and pulses throughout the country; and

(b) the States where these commodities are distributed through rationing system and whether the prices thereof are uniform in all these States

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL): (a) & (b) In regard to distribution of levy sugar, the Government of India have advised the States to gear up the distribution machinery to ensure distribution of sugar at enhanced level of 425 gms. per capita and also to treat the rural and urban population in a similar manner. As a result, the allocation of levy sugar has been stepped up from the normal level of 2.05 lakh tonnes to 2.71 lakh tonnes from December, 1977, an increase by 32%. The enhanced allocation is subject to implementation by the State Governments of the policy regarding similarity of treatment between rural and urban areas and other parameters communicated to the State Governments. Levy sugar is distributed through the Fair Price Shops throughout the country, at a uniform retail price of Rs. 2.15 per Kg. Distribution of vanaspati and pulses is not presently undertaken through the Fair Price Shops.

खरीदे गये परिष्कृत अभ्रक का भंडार और उसके रख-रखाव पर व्यय

4324. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'मिटको' अभ्रक व्यापारियों से अभ्रक के सम्बन्धित ग्रेडों और किस्को के बाजार मूल्यों से 15 से 40 प्रतिशत कम मूल्यों पर परिष्कृत अभ्रक खरीद रहा है और व्यापार के कमजोर वर्ग को हानि पहुंचा कर एक अच्छी किस्म/उच्चतर ग्रेड की मांग कर रहा है;

(ख) 'मिटको' द्वारा अब तक खरीदे गये परिष्कृत अभ्रक का वर्तमान भंडार कितना है और 1974-75 तथा 1975-76 के अंत में इन भंडारों का मूल्य कितना था;

(ग) गोदामो में रखने तथा रूकी हुई पूंजी पर बैंक दर के रूप में इन भंडारों के रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय हुआ;

(घ) क्या यह सच है कि परिष्कृत अभ्रक के इन भंडारों में अधिकांश निर्यात योग्य नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इन भंडारों का क्या करने का है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं । मिटको एफ० ए० एस० न्यूनतम कीमतों से 15 से 25 प्रतिशत तक कम कीमत पर अभ्रक खरीदता है जो ग्रेडों पर निर्भर होती है, और सामान्यत: विभिन्न मदों के न्यूनतम संभावित व्यवसाय, ऊपरी खर्चों तथा उचित लाभांश को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) 1 अप्रैल, 1977 को साधित अभ्रक के स्टाक 2133 मे० टन के थे। 1974-75 तथा 1975-76 के अंत में मिटको के पास अभ्रक का स्टाक क्रमश: 3.18 करोड़ रु० तथा 4.80 करोड़ रु० का था।

(ग) गोदाम प्रभारों, बैंक ब्याज आदि के रूप में इन स्टाकों के रख-रखाव पर वार्षिक खर्च 12.55 लाख रु० होने का अनुमान है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

POSTS OF VARIOUS CATEGORIES LYING VACANT IN MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

4325. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of posts of Lower Division Clerks, Upper Division Clerks, Assistants and Section Officers lying vacant in his Department and the Ministry at present; and

(b) the future scheme and the policy of Government to fill them?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) There are, at present, 21 vacancies in the grade of Lower Division Clerk in the cadre of the Minister of Tourism and Civil Aviation. There is no vacancy in the grades of Upper Division Clerk, Assistant and Section Officer.

(b) On the basis of existing instructions, 19 vacancies in the grade of Lower Division Clerk were reported to the Department of Personnel for being filled on the result of Clerks' Grade Examination, 1977, held by Staff Selection Commission. To tide over the difficulty, Department of Personnel & Administrative Reforms have agreed to the filling of 12 out of 19 vacancies of Lower Division Clerks on an *ad-hoc* basis pending availability of regular incumbents. Action to fill these vacancies has already been initiated and the Regional Employment Exchange has been requested to sponsor suitable candidates.

POSTS OF LDCs, UDCs, ASSISTANTS AND SECTION OFFICERS LYING VACANT IN THE MINISTRY OF FINANCE

4326. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of posts of Lower Division Clerks, Upper Division Clerks, Assistants and Section Officers lying vacant in his Ministry and Department at present; and

(b) the Government's policy and future scheme to fill the vacant posts ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) A statement is attached.

(b) All these posts are filled partly on the basis of open or limited Departmental Competitive Examinations conducted by the U.P.S.C./Staff Selection Commission, or by promotion. It is the policy of the Government to fill the vacancies as and when qualified persons are available, except that some vacancies may have to be kept unfilled to take care of likely reversions of persons promoted to higher posts on short-term basis, or for persons reverting from deputation.

Statement

NUMBER OF VACANT POSTS OF LDCs, UDCs, ASSISTANTS AND SECTION OFFICERS IN THE SECRETARIAT OF THE MINISTRY OF FINANCE.

Department	Lower Division Clerks.	Upper Division Clerks.	Assts.	Section Officers.
1. Deptt. of *Economic Aflairs .	32	6	7	—
2. Deptt. of Expenditure	54	1	19	—
3. Deptt. of Revenue	43	4	15	—
Total	129	11	41	—

*Excludes vacancies in the Office of the Controller of Insurance, Simla. which is in the process of being wound up.

विमानों के उतरने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रकाश का बेहतर प्रबन्ध

4327. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री नटवर लाल बी० परमार } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय सरकार देश के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमानों के उतरने के लिये प्रकाश का बेहतर प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य में कुल कितना खर्च होगा; और

(घ) विमान दुर्घटनाओं को, जो गत छह महीनों से बढ़ रही हैं, रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चारों अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर दृश्य प्रकाश उपकरणों का आधुनिकीकरण करने के लिये दो चरणों में स्कीमें बनाई हैं। प्रथम चरण के अन्तर्गत मुख्य धावनपथों पर दोनों किनारों पर "वर्ग 1" के अनुरूप एप्रोच लाइटिंग तथा वासी (विजूअल एप्रोच स्लोप इंडिकेटर) और सहायक धावनपथों पर साधारण "एप्रोच लाइटिंग" की व्यवस्था पहले ही कर दी गयी है । पुरानी फिटिंगों, केबलों तथा नियंत्रण उपकरणों को बदला जा रहा है । दिल्ली तथा बम्बई विमान क्षेत्रों पर वर्ग II लाइटिंग की व्यवस्था करने की योजनाएं हैं।

प्रथम चरण के 1979 तक पूरा हो जाने की आशा है, और उस पर 157 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है। चरण II के 1982-83 तक पूरा हो जाने की आशा है और उस पर 720 लाख रुपये का खर्च होने का अनुमान है।

(घ) विमान दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि का जो उल्लेख किया गया है, ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है। वस्तुत: 1977 के दौरान चारों अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर ऐसी कोई घातक या बड़ी विमान दुर्घटना नहीं हुई है, जिसमें कोई भारत या विदेश में भी पंजीकृत विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो।

सातवां वित्त आयोग

4328. श्री आर० के० महालगी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवें वित्त आयोग ने उसे सौंपे गए कार्य के बारे में अब तक क्या प्रगति की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सातवें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1978 के अन्त तक पेश करनी है। अपने विचारणीय विषय के अनुसार आयोग अपने काम की प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट पेश करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार भी आमतौर पर इस तरह के सांविधिक आयोगों से, जिनका काम अर्द्ध न्यायिक होता है, काम की प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मांगती।

सरकार की नीतियों के बारे में बैंकों की मार्गदर्शी सिद्धान्त

4329. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के नए निदेशकों को महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार की नीतियों के बारे में न केवल बैंकों को प्रभावी बनाने अपितु बैंकिंग प्रणाली में समानता सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या नई सरकार ने कोई निदेश अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्होंने इन बैंकों से देश के रूग्ण यूनिटों को अपने अधिकार में लेने के लिए भी कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की गतिविधियों और कारोबार की सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबन्ध कार्य उसके निदेशक मंडल में निहित होता है। सरकार अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी मामलों में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त/निदेशन/आदेश अलग-अलग बैंकों के निदेशक मंडलों के समक्ष उनकी सूचना के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) : बैंकों को, रुग्ण एककों को अपने अधिकार में ले लेने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी बैंकों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने प्रधान कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयों में रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए विशेष कक्षों की स्थापना करें। इसके साथ साथ, बैंकों को ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि वे रुग्ण एककों का पता लगायें और एक करोड़ रुपये या इससे अधिक की ऋण सीमा का लाभ उठाने वाले एककों के कार्यानिष्पादन पर निगरानी रखें। उन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि वे प्रारम्भिक रुग्णावस्था के चिन्ह प्रकट करने वाले एककों के बारे में उपचारात्मक कार्यवाही करें। बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे उन रुग्ण एककों के मामलों में सहायता कार्यक्रम शीघ्र ही शुरु करें जो आर्थिक रूप से सक्षम हों।

DAILY AIR SERVICE FROM NEW DELHI-BHOPAL-JABALPUR-RAIPUR

4330. SHRI SHARAD YADAV : Will the MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether adequate number of passengers are available for New Delhi-Bhopal-Jabalpur-Raipur air service; and

(b) whether this air service cannot be operated daily ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. However, the frequency on this route is being increased shortly from twice to thrice weekly.

आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे

4331. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर अधिकारियों ने गत छः महीनों और विशेषकर अक्तूबर, और नवम्बर 1977 में कुल कितने छापे मारे;

(ख) क्या नवम्बर के दौरान मारे गए छापों में विदेशी खातों सम्बन्धी कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे;

(ग) यदि हां, तो समस्त राज्यों में कितनी फर्मों, औद्योगिक गृहों और निजी फर्मों पर छापे मारे गए;

(घ) कितनी कीमत की वस्तुएं और नगदी बरामद हुई; और

(मैं) क्या वर्तमान सरकार बड़े पैमाने पर छापे मारने के बारे में गम्भीर नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार :

महीना	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई परि-सम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपये)
जून 77 से सितम्बर 77 तक	160	106
अक्तूबर 77	49	13
नवम्बर 1977	48	10
जोड़े	257	129

उपर्युक्त तलाशियों में फार्मों और औद्योगिक/व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों के मामलों में ली गई तलाशियां शामिल हैं ।

(ख) आयकर प्राधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों के सम्बन्ध में अब तक ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) जहां कहीं भी उचित समझा जाता है, आयकर प्राधिकारियों द्वारा तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही की जाती है।

छपाई की मशीनरी पर आयात शुल्क से छूट

4332. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एन० ई० एस० ने समाचार पत्रों को छापने वाली मशीनरी को आयात शुल्क से छूट देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) जी हां। अप्रैल 1977 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुरोध किया गया था कि समाचार-पत्र उद्योग के लिए छपाई मशीनों पर आयात शुल्क मूल्यनुसार 40 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत कर दिया जाय।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मामले की अभी जांच की जा रही है।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों में धन लगाना

4333. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में संयुक्त उद्यमों में धन लगाने की अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) जी हां। विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय निवेश से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा की जा रही है। अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों तथा 'टर्नकी' परियोजनाओं के लिए सतत निधि (रिवाल्विंग फंड)

4334. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी:** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार मंडल ने विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों तथा 'टर्नकी' परियोजनाओं का वित्त पोषण करने हेतु 'सतत निधि' के गठन का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) यद्यपि विदेश स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों तथा टर्नकी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवर्ती निधि का सुझाव 15 नवम्बर, 1977 को नई दिल्ली में हुई भारतीय संयुक्त उद्यम कार्यशाला के अवसर पर दिया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में सरकार को कोई विस्तृत प्रस्थापना नहीं मिली है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सहकारिता आन्दोलन के गैर-सरकारीकरण के लिए संकल्प पारित किया जाना

4335. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता आन्दोलन के गैर-सरकारीकरण के लिए वर्ष 1958 में एक संकल्प पारित किया था;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद के इस निर्णय को त्याग दिया गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी नवम्बर, 1958 में हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी कानून तथा कार्यविधि को सरल करने के प्रश्न पर विचार किया था और कहा था कि "कई वर्तमान कार्य विधियां सहकारिता के एक ऐसे लोकप्रिय आन्दोलन के रूप में विकसित होने में बाधक हैं, जिसमें छोटे-समूह तथा समुदाय स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकें और अपने कार्यों तथा गतिविधियों का आयोजन सहकारी आधार पर बिना अत्यधिक सरकारी दखल तथा लालफीताशाही के कर सकें। वर्तमान सहकारी कानून के प्रतिबन्धात्मक उपबन्ध हटा दिए जायें।"

(ख) व (ग) भारत सरकार के सुझाव के अनुसार लगभग सभी राज्य सरकारों ने या तो विशेष समितियां गठित कीं अथवा उन्होंने अपने सहकारी कानूनों की राज्य सहकारी परिषदों के पास विचार के लिए भेजा और और उन्होंने अपने सहकारी कानून में या तो नया अधिनियम बना करके अथवा वर्तमान कानून में संशोधन करके परिवर्तन किया है।

कुछ राज्य सहकारी कानूनों में ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें पंजीयक या राज्य सरकार की सहकारी समितियों को साधारण सभा अथवा प्रबन्ध समिति के प्रस्तावों को निरस्त अथवा रद्द करने की शक्तियां दी गई हैं।

संघ क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सुनियोजित पैकेज योजनायें

4336. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने संघ क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और उसे बढ़ाने के लिए सुनियोजित पैकेज योजनायें बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) पैकेज योजनाओं की मुख्य बातें ये हैं—सहकारी आन्दोलन को पुष्ट करना तथा सहकारी समितियों के लाभ को समाज के कमजोर वर्गों को पहुंचाना; ग्रामीण और शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना; उपभोग ऋण तथा कृषि विकास के लिए कृषि ऋण देना; और औद्योगिक सहकारी समितियों तथा गृहनिर्माण गतिविधियों का विकास करना। ग्राम ऋण सहकारी समितियों का भी पुनर्गठन करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में 38.34 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 1977–78 में 46.00 लाख रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है और दिल्ली प्रशान ने राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 के लिए 59.09 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।

निर्यात संवर्धन के लिए मंत्रियों के पेनल का गठन

4337. **श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए मंत्रियों का पनल गठित किया है ;

(ख) उक्त पेनल के क्या-क्या कार्य होंगे ; और

(ग) क्या सरकार का विचार श्रमसाध्य वस्तुओं, विशषकर आलू, प्याज और सब्जियों के निर्यात के सम्बन्ध में अपनी नीति का पुनर्विलोकन करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहाकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। निर्यात के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल की एक समिति वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित की गई है।

(ख) इस समिति का कार्य है—निर्यात संवर्धन के सभी पहलुओं की समीक्षा करना तथा विशेषरूप से :—

(i) निर्यात उत्पादन तथा निर्यात संवर्धन के सभी मामलों पर विचार करना तथा निर्णय लेना ;

तथा

(ii) विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना से संबंधित नीतियों और मामलों पर विचार करना।

(ग) इस प्रकार की कृषिगत मदों की निर्यात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जब भी माल उपलब्ध होता है तब निर्यातों की अनुमति दी जाती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की मात्रा

4338. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय कितना व्यापार हो रहा है ;

(ख) क्या व्यापार की वर्तमान मात्रा को बढ़ाने की कोई सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) हाल के वर्षों में भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार की मात्रा निम्नोक्त रही :—

(मूल्य लाख रु० में)

	1975-76	1976-77	1977-78 (अप्रैल–जून)
भारत से निर्यात . .	78	888	400
पाकिस्तान से आयात	2212	1.48	0.47

(ख) जी हां।

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यात एवं आयात की नई मदों का पता लगाया जा रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये किये जा रहे साधन ये हैं: वीज़ा प्राप्ति सुलभ बनाना, जानकारी देकर तथा सम्पर्क बनाने एवं संविदाएं प्राप्त करने में सहायता के जरिए प्रोत्साहन देना। 1977-78 के लिये भारतीय निर्यातों का लक्ष्य 1018 लाख रु० निर्धारित किया गया है।

भारत और चीन के बीच व्यापार की मात्रा

4339. **श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत और चीन के बीच कितना व्यापार होता है ;

(ख) क्या व्यापार के वर्तमान स्तर में वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) चीन के साथ व्यापार लगभग 15 वर्षों के बाद आरम्भ हुआ। तब से भारतीय सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों ने चीन के समकक्षी अभिकरणों के साथ लगभग 4 करोड़ रु० के कारोबार की संविदाएं की हैं।

(ख) जी हां।

(ग) अभी ठीक-ठीक बताना संभव नहीं है कि भारत और चीन के बीच व्यापार का विस्तार किस मात्रा तक होने की संभावना है, फिर भी, व्यापार के विस्तार के सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

भारत-पोलैंड संयुक्त औद्योगिक उपक्रम

4340. **श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–पोलैण्ड संयुक्त उद्योग उपक्रम का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह उपक्रम किन विशिष्ट क्षेत्रों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) भारतीय फर्म मैसर्स केल्विनेटर इंडिया लि० ने पोलिश फर्म मैसर्स रैबेक्स के सहयोग से समुद्री उत्पादों के विनिर्माण की प्रस्थापना प्रस्तुत की है। यह प्रस्थापना अब परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

बंगलौर स्थित अशोक होटल में श्रमिक विवाद

4341. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित अशोक होटल में श्रमिक विवाद कब से विचाराधीन है जिसके कारण कर्मचारियों मे असंतोष व्याप्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अन्तर्गत कर्मचारियों से बंगलौर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एण्ड जनरल वर्कर्स यूनियन, होटल अशोक और इम्प्लाईज यूनियन, इंजीनियरिंग एण्ड जनरल वर्कर्स एसोसिएशन यूनिट, होटल अशोक के माध्यम से उनके विभिन्न विचाराधीन मांगों के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर अप्रैल, 1977 में हस्ताक्षर किये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों द्वारा उक्त समझौते को पूरा न किये जाने के कारण कर्मचारियों ने सितम्बर, 1977 में 14 दिन की हड़ताल की थी ; और

(घ) सरकार ने उक्त विवाद को हल करने और कर्मचारियों को तीसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) फिलहाल होटल अशोक, बंगलौर में केवल एक श्रमिक विवाद बकाया है जिसका संबंध महंगाई भत्ते के फार्मूले सहित वेतन में संशोधन करने की मांग से है।

(ख) जी, हां। यह सत्य है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अंतर्गत प्रबंधकों तथा दोनों यूनियनों, अर्थात् बंगलौर इंडस्ट्रीयल एस्टेट एण्ड जनरल वरकर्स यूनियन (ए० आई० टी० यू० सी०) तथा होटल अशोक एम्प्लाईज़ यूनियन (आई० एन० टी० यू० सी०) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) जी, हां। होटल अशोक बंगलौर के कर्मचारियों ने 18 सितम्बर, 1977 के अपराह्न से 30 सितम्बर, 1977 के अपराह्न तक हड़ताल की थी। कर्मचारियों ने हड़ताल केवल अंतरिम सहायता के विषय को लेकर की थी न कि उक्त समझौते के पूरा न किये जाने के कारण।

(घ) सभी विवादों को प्रबंधकों तथा होटल अशोक, बंगलौर के कर्मचारियों के बीच आपसी बातचीत से हल कर दिया गया है तथा वेतन का और आगे पुनरीक्षण करने एवं महंगाई भत्ते को बढ़ाने आदि के प्रश्न को छोड़कर, जो कि सरकार द्वारा 5 अगस्त, 1977 को गठित "वेज रिव्यू कमेटी" को सोंप दिया गया है, विभिन्न मांगों पर 9 नवम्बर, 1977 को कर्मचारियों के साथ समझौता हो गया है।

एयर इंडिया में भारतीय और विदेशी विमान परिचारिकाओं की भर्ती और सेवा की शर्तें

4342. डॉ० बसन्त कुमार पंडित : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया में विमान परिचारिकाओं की भर्ती करते समय भारतीय और विदेशी उम्मीदवारों के बीच भेदभाव किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया के केबिन क्रू एसोसिएशन ने भारतीय और विदेशी विमान परिचारिकाओं के बीच किये जा रहे भेदभाव और उनकी नियुक्ति के मामले में करार की भिन्न-भिन्न शर्तों के बारे में शिकायत की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय क्रू ने यात्री केबिनों में हथियारों के होने के बारे में विरोध प्रकट करने के लिये नवम्बर में 24 घंटे की हड़ताल की थी ; और

(घ) भारतीय और विदेशी विमान परिचारिकाओं की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में एयर इंडिया की सामान्य नीति क्या है और उनके एसोसिएशन की क्या मांगें हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (घ) एयर इंडिया में भारतीय तथा विदेशी राष्ट्रिकता वाली विमान परिचारिकाओं की नियुक्ति करने में कोई भेदभाव नहीं है। विदेशी विमान परिचारिकाओं तथा भारतीय विमान परिचारिकाओं की सेवा शर्तें केवल ऐसी अवस्थाओं को छोड़ कर, जहां स्थानीय कानूनों के अनुसार उन्हें भिन्न करना पड़ता है, एक जैसी हैं। उदाहरण के तौर पर, फ्लाइट/फ्लाइट ड्यूटी टाइम, विश्राम अंतराल, ले-ओवर भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें विदेशी तथा भारतीय विमान परिचारिकाओं दोनों के मामले में सामान हैं। अंतर केवल सेवा-निवृत्ति की आयु तथा विवाह के बाद सेवा में रहने के संबंध में है।

(ख) एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन ने हाल ही में प्रबंधक वर्ग से अनुरोध किया है कि वह भारतीय विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति की आयु को फ्लाइट पर्सरों की भांति 58 वर्ष तक बढ़ाने की संभावना पर विचार करें तथा उन्हें विवाह के बाद भी कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करें।

(ग) केबिन क्रू एसोसिएशन ने आकस्मिक हड़ताल 26 अक्तूबर, 1977 को की थी, नवम्बर, 1977 में नहीं।

जून से अगस्त, 1977 तक के निर्यात आंकड़ों में कमी

4343. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, जुलाई और अगस्त 1977 में हुए निर्यात के आंकड़े वर्ष 1976 की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1977-78 की शेष अवधि में इस स्थिति में सुधार करने की क्या योजनाएं हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जून एवं अगस्त, 1977 के निर्यातों के मासिक आंकड़े 1976 के उन्हीं महीनों की तुलना में अधिक रहे हैं जबकि जुलाई, 1977 महीने के निर्यात आंकड़े 1976 के उसी महीने की तुलना में कम थे। परन्तु यह भी कहना जरूरी है कि सीमा-शुल्क द्वारा सूचित क्रमिक समायोजनों के कारण मासिक आंकड़ों में संशोधन होता रहता है। अप्रैल–अगस्त, 1977 के संचित निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) अनन्तिम रूप से 2118 करोड़ रु० के रहे जो पिछले वर्ष की उसी अवधि में हुए 1880 करोड़ रु० के निर्यातों से लगभग 13 प्रतिशत अधिक हैं।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4344. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री राज्यों को सहायता के बारे में 5 अगस्त, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर के अनुबंध के कालम (2) के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसमें उल्लिखित कौन से आंकड़े प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) के पैरा 1 में उल्लिखित पांच सिद्धान्तों में से प्रत्येक से संबंधित हैं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : विभिन्न राज्यों को राज्य की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन 1974-75 से 1978-79 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए गाडगिल सूत्र के अनुसार किया गया। इन कुल मिलाकर पांच वर्ष के आबंटनों में से 1977-78 के लिए उपयुक्त रकम की व्यवस्था की गई। अतः गाडगिल सूत्र में समाविष्ट पांच सिद्धान्तों में से प्रत्येक के आधार पर 1977-78 के लिए आबंटनों का एक संक्षिप्त ब्यौरा निकालना व्यावहारिक नहीं है।

INCOME TAX MORE THAN ONE LAKH OUTSTANDING AGAINST INSTITUTIONS IN RAJASTHAN

4345. **SHRI LALJI BHAI** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of institutions and industrialists in Rajasthan State against whom amount of income-tax to the tune of more than Rs. 1 lakh is still outstanding; and

(b) the action being taken, against such institutions or industrialists ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The Commissioners of Income-tax, Jaipur and Jodhpur have territorial jurisdiction over the state of Rajasthan.

On the basis of information presently available, a statement showing the names of all persons, including institutions and industrialists, assessed to income-tax by the Income-tax authorities functioning under these Commissioners, against whom gross income-tax arrears exceeding Rs. one lakh were outstanding as on 30-9-77, is annexed [Paced in Library. See No. L.T.-1389/77]. The statement does not include the names of such of the institutions and industrialists in Rajasthan as may be assessed to tax by income-tax authorities elsewhere.

(b) Depending on the facts and circumstances of each case, suitable steps are taken from time to time by the income-tax authorities concerned for recovery of tax arrears in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. These steps include :—

(i) levy of interest for delayed payment of tax;

(ii) imposition of penalty for non-payment of tax;

(iii) attachment of monies due to the defaulter; and

(iv) attachment and sale of movable/immovable properties.

REDUCTION IN PRICES OF COTTON TEXTILES BY COTTON TEXTILE EXPORT PROMOTION COUNCIL

4346. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the Cotton Textile Export Promotion Council has agreed to reduce the prices of cotton textiles whereas cost of production and prices are increasing constantly;

(b) whether it has been resulted in three to eight per cent reduction and sick and mismanaged mills as well as cotton textile exporters have been adversely affected; and

(c) whether textile mills and cotton textile exporters of India will have to suffer a loss of Rs. 1 crore because of this ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) & (b) No general reduction in the prices of cotton textile exports has been made by the Cotton Textile Export Promotion Council. However, in the case of exports to USSR during October 1977-March 1978 a reduction of three to eight per cent was made in view of world prices and stock position of these commodities.

(c) It is difficult to assess the loss due to these exports at reduced rates.

SETTING UP OF SPECIAL COURTS FOR DISPOSAL OF CASES OF ECONOMIC OFFENCES

4347. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the question of setting up of special courts for the disposal of cases of economic offences is under consideration of his Ministry; and

(b) if so. details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) & (b). The Law Commission in its 47th Report had recommended that Parliament should enact legislation for setting up of Special Courts for the trial of economic offences and for laying down a special procedure to secure effective and speedy prosecution. The recommendation was examined and a draft Bill for creation of Special Courts was considered by the former Government in November, 1976. The

then Government, however, decided that the matter be examined further in the light of the 42nd Constitution amendment.

After the present Government has taken office, the matter is again being looked into.

LICENCES ISSUED TO GOLDSMITHS IN GUJARAT

4348. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of licences issued to gold-smiths in Gujarat state, districtwise indicating the dates of issue of these licences;

(b) the number of applications pending for grant of fresh licences;

(c) when these applications are likely to be disposed of;

(d) whether a demand has been received for liberalising the policy of grant of licences to gold-smiths; and if so, what type of demand that is and the action proposed to be taken by Government in the matter; and

(e) the number of fresh licences given so far in Gujarat State districtwise after the Gold Control Act came into force ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Representations have been received from several Goldsmiths Associations which contain various demands including the liberalisation of the provisions of Gold (Control) Act relating to goldsmiths. The Gold Control (Licensing of Dealers) Rules, 1969 has been amended by issue of notification S.O. 751 (E) dated 4-11-1977 by which the limit of turnover, qualifying goldsmith for Gold dealer's licence without reference to sub-rule (f) of Rule 2 of the above Rules has been lowered from 5 kgs. to 2 kgs.

ELEVEN DAYS TIME LIMIT FOR NON-TRANSFERABLE SPECIFIC DELIVERY CONTRACT

4349. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the businessmen are facing lot of difficulties because of 11 days time limit for non-transferable specific delivery contract as it is a very short period;

(b) if so, whether Government propose to increase this time limit from 11 days to one month;

(c) whether demand for increase in the time limit has been received and if so from whom, when and the nature of the demand; and

(d) the time by which Government will increase this time limit and for how many days ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) (a) No, Sir. The time limit of 11 days is not applicable to non-transferable specific delivery contracts.

(b) to (d) Do not arise.

REQUEST FROM SARDAR VALLABBHAI PATEL SUGAR INDUSTRIES COOPERATIVE SOCIETY LIMITED, DHORAJI, DISTRICT GUJARAT

4350. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will be the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Sardar Vallabbhai Patel Sugar Industries Cooperative Society Limited, Dhoraji, District Rajkot, Gujarat has requested the National Cooperative Development Corporation, New Delhi to grant it interest-free loan of Rupees two crores for the development and functioning of the sugar factory and if so, when such a request was made;

(b) the action taken or proposed to be taken in the matter of grant of said loan to this cooperative society; and

(c) the time by which the loan is expected to be given to it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) to (c). In pursuance of the prescribed procedure, the Sardar Vallabbhai Patel Sugar Industries Cooperative Society Limited, Dhoraji, has submitted a representation to the State Government vide its letter dated the 29th July, 1977 requesting the State Government to recommend its case for grant of a loan of Rs. 2 crores without interest from the National Cooperative Development Corporation (NCDC) with a copy to NCDC. The reaction of the State Government to the Society's request has not yet been received in the NCDC. The NCDC's pattern of assistance to cooperative sugar factories, however, does not envisage any interest free loan.

लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों पर बैंक ब्याज-दर कम करना

4351. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योग को दिये गये ऋणों तथा अपना व्यापार अथवा उद्योग आरम्भ करने के लिये शिक्षित बेरोजगार युवकों को दिये गये ऋणों पर बैंक-ब्याज दर कम करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ब्याज की वर्तमान भारी दर के कारण कोई नया उद्योग चल नहीं सकता ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) छोटे पैमाने के उद्योगों और शिक्षित बेरोजगारों को दिये जाने वाले ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का एक अंग हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये जाने वाले 2 लाख रुपये से अनधिक के और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ऋण गारंटी योजना द्वारा व्याप्त ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के न्यूनतम ब्याज दर निदेश से बाहर हैं।

उन छोटे पैमाने के उद्योगों को सावधिक ऋणों के मामले में, जिनके बारे में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध होती है, बैंक 11 प्रतिशत ब्याज की दर वसूल करते हैं और निर्दिष्ट पिछड़े जिलों में 9.5 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 दिसम्बर, 1977 को घोषित ऋण नीति के अनुसरण में, छोटे पैमाने के उद्योगों में पूंजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले एककों से 1 जनवरी, 1978 के बाद स्वीकार किये जाने वाले तीन वर्ष से अनधिक परिपक्वता वाले सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत से अधिक न वसूल करें :—

(1) ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत व्याप्त छोटे पैमाने के एकक/और तकनीकी उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित एकक।

(2) निर्दिष्ट पिछड़े जिलों/क्षेत्रों के छोटे पैमाने के एकक।

(3) छोटे सड़क परिवहन परिचालक।

इस उपाय से, छोटे पैमाने के एककों और शिक्षित बेरोजगारों को सहायता उपलब्ध कराने में काफी समय लग जाने की सम्भावना है।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की समय-सारिणी

4352. **श्री बसन्त साठे:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की उड़ान के लिये निर्धारित समय में निकट भविष्य में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारी नागपुर के लिये विमान-सेवा में सुधार करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं और विमानों के सुचारू रूप से संचालन और यात्री सुविधाओं के लिये विमान-मार्गों पर कुछ सम्भावित फेर बदल करने की योजना बना रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो एयरलाइन्स के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) जी, हां ।

(ख) 20 दिसम्बर, 1977 से लागू की जाने वाली प्रस्तावित अनुसूची परिवर्तनों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

नई सेवायें :—

—दैनिक बम्बई/कलकत्ता सेवा (आई० सी०—175/176) पर नागपुर में हाल्ट

—कलकत्ता /पटना/कलकत्ता (आई० सी०-207/208) सप्ताह में तीन बार (15 नवम्बर, 1977 से चालू की गयी) ।

—कलकत्ता /जोरहाट/डिब्रुगढ़/कलकत्ता (आई० सी०-213/214) सप्ताह में तीन बार

—दिल्ली /नागपुर/हैदराबाद/नागपुर/दिल्ली (आई० सी० 516/515) दैनिक परिचालन करेगी ।

सेवाओं की संख्या में वृद्धि :

—7 दिसम्बर, 1977 से चालू की गयी बम्बई/त्रिवेन्द्रम मार्ग पर अतिरिक्त दैनिक सेवा आई० सी०—532/531)

—कलकत्ता/गोहाटी/इम्फाल की सेवा (आई० सी०—217/218) को सप्ताह में चार दिन से बढ़ाकर सप्ताह में पांच दिन कर दिया गया है शेष दो दिन यह सेवा कलकत्ता/गोहाटी/डिब्रुगढ़ सेवा के रूप में परिचालन करेगी ।

—आई० सी०—137/138 सेवा बम्बई/केशोद/पोरबन्दर सैक्टर पर प्रतिदिन परिचालन करेगी ।

—दिल्ली/काठमांडू (आई० सी०—431/414) सेवा को सप्ताह में तीन बार से बढ़ाकर सप्ताह में छः बार कर दिया गया (15 नवम्बर, 1977 से चालू की गयी) ।

—कलकत्ता/हैदराबाद/बंगलौर (आई० सी०—269/270) की आवृत्ति को सप्ताह में पांच दिन से बढ़ाकर दैनिक कर दिया गया ।

—सेवा आई० सी०—411/412 पर कानपुर में दैनिक हाल्ट।

—आई० सी०—469/470 पर जबलपुर और रायपुर के लिए सेवा की संख्या को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार कर दिया गया है।

टर्बो-प्राप्त को बोइंग-737 विमान से बदलना :

—बम्बई/हैदराबाद (आई० सी०—117/118) मार्ग पर कारवेल विमान की सप्ताह में दस सेवाओं को बदलकर बोइंग 737 की प्रतिदिन दो सेवायें कर दी गई हैं।

—कलकत्ता/अगरतला (आई० सी०—235/236) एफ०—27 के स्थान पर बोइंग—737 विमान

—बम्बई/कराची (आई० सी०—131/132) कारवेल के स्थान पर बोइंग—737 (7 दिसम्बर 1977 से चालू किया गया)

—त्रिवेन्द्रम/कोलम्बो (आई० सी०—507/508) एच० एस० 748 के स्थान पर बोइंग—737 (2 नवम्बर, 1977 से चालू किया गया)।

—बम्बई/गोआ/बंगलौर (आई० सी०—523/524) बोइंग—737 के स्थान पर कारवेल।

—बम्बई/भावनगर/बम्बई (आई० सी०—135/136) एच० एस० 748 के स्थान पर बोइंग 737 (7 दिसम्बर, 1977 से चालू किया गया)।

—बम्बई/मंगलौर/बम्बई (आई० सी०—159/160) एच० एस० 748 के स्थान पर बोइंग—737 (7 दिसम्बर, 1977 से चालू किया गया)

विविध :

—आई० सी०—461/462 (दिल्ली/अहमदाबाद/दिल्ली) सेवा दिल्ली/अहमदाबाद/बम्बई सैक्टर पर दैनिक परिचालन करेगी (7 दिसम्बर, 1977 से चालू की गयी)।

—आई० सी०—211/212 कलकत्ता/गोहाटी/तेजपुर/दीमापुर/जोरहट/लीलाबाड़ी/डिब्रुगढ़ सैक्टर पर दैनिक परिचालन करेगी।

—आई० सी०—439/440 सेवा का दिल्ली/मद्रास/दिल्ली सैक्टर पर सीधे दैनिक परिचालन करेगी।

—आई० सी०—403/404 सेवा का दिल्ली/बंगलोर/दिल्ली क्षेत्र पर सीधे दैनिक परिचालन किया जाना।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस बम्बई और नागपुर के बीच की वर्तमान एच० एस० —748 सेवा को हटा रही है और बम्बई तथा कलकत्ता के बीच सीधी बोइंग—737 सेवा पर नागपुर में एक दैनिक हाल्ट चालू कर रही है। इससे केवल बम्बई/नागपुर की मांग की पूर्ति ही नहीं होगी, अपितु नागपुर/कलकत्ता एयरलिंक को पुनः चालू कर दिया जाएगा। और भी, नागपुर को दिल्ली और हैदरावाद से जोड़ने वाली एक नई दैनिक बोइंग—737 सेवा चालू की जा रही है और दिल्ली/मद्रास सेवा पर से नागपुर के हाल्ट को हटाया जा रहा है तथा वहां के लिए सीधी दैनिक सेवा पुनः चालू की जा रही है।

महाराष्ट्र में स्वर्ण व्यापारियों के लाइसेंस

4353. **श्री बसन्त साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण सम्बन्धी लाइसेंसों को जारी करने के नियमों को पुनरीक्षित शिथिल किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए परिवर्तन/पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) महाराष्ट्र में 31 मार्च, 1977 को कुल कितने स्वर्ण व्यापारियों के पास लाइसेंस थे और उसके बाद स्वर्ण व्यापारियों से लाइसेंसों के लिए कितने नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन पत्रों का अब तक निपटान किया गया है तथा कितने विचाराधीन हैं ; और

(घ) इस प्रक्रिया को सरल बनाने और स्वर्ण व्यापारियों को लाइसेंस शीघ्रता से देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है । ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) अधिसूचना संख्या का० आ० 751 (ई), दिनांक 4-11-1977, जारी करके स्वर्ण नियंत्रण (व्यापारियों को लाइसेंस देना) नियमावली, 1969 को संशोधित किया गया था जिसके फलस्वरूप प्रमाणित स्वर्णकारों के लिए स्वर्ण व्यापारियों का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बिक्री की अर्हक सीमा को 5 किलोग्राम घटा कर 2 किलोग्राम कर दिया गया है । इसी प्रकार गहनों के निर्यात के लिये, व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु, मात्रा और मूल्य संबन्धी शर्त को भी एक हजार ग्राम तथा एक लाख रुपये से घटाकर क्रमश: एक सौ ग्राम तथा दस हजार रुपये कर दिया गया है । कतिपय शर्तों पर व्यापारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिये, व्यापारी लाइसेंस धारी किसी भागीदारी फर्म के भागीदारों को अलग-अलग करने की भी व्यवस्था की गई है । स्वर्ण-व्यापार किसी लाइसेंस शुदा फर्म के वे कर्मचारी भी, जिन्हें निर्धारित अनुभव प्राप्त हो, कतिपय शर्तों पर स्वर्ण व्यापारियों का लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(ग) 31-3-1977 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में स्वर्ण-व्यापारी लाइसेंसों की कुल संख्या 1811 थी । उसके पश्चात् 131 नये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 90 आवेदन-पत्रों का निपटान किया जा चुका है तथा 41 अनिर्णीत पड़े हैं ।

(घ) वर्तमान कार्यविधि को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि स्वर्ण व्यापारियों के लाइसेंस जारी करने के संबन्ध में स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके । फिलहाल और अधिक सरलीकरण आवश्यक प्रतीत नहीं होता । तथापि, मामले की समीक्षा की जाती रहती है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की दरों का पुनरीक्षण

4354. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की वर्तमान दरें मूल्य सूचकांक को देखते हुए बहुत ही कम हैं : और

(ख) क्या सरकार सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों विशेष रूप से छोटे पदों से सेवा निवृत होन वाले कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की दरों का पुनरीक्षण करने की कोई कार्यवाही कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य पेंशन की दरों का नियतन समय-समय पर वेतन आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा जांच करने के पश्चात् किया जाता है। विद्यमान दरों का नियतन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1-1-73 से किया गया था और इसलिए इतना जल्दी ही इन दरों की समीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा जाता। जहां तक मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने का संबंध है सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें निम्नतर पदों से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी भी शामिल है समय-समय पर पेंशन में राहत दी जाती है। एसी राहत की वर्तमान दर पेंशन का 30 प्रतिशत, परन्तु कम से कम 30 रुपए प्रतिमाह और अधिक से अधिक 150 रुपए प्रतिमाह है।

गत तीन महीनों में स्टाफ कारों के उपयोग पर हुआ खर्च

4355. श्री के० रामामूर्ति : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से जून, 1977 तक के तीन महीनों में भारत सरकार की स्टाफ कारों के उपयोग पर कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) वर्ष 1976 की इसी अवधि में हुआ खर्च उस से कम था या अधिक ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है। इसे यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

4356. श्री मुकुन्द मण्डल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 जून, 1975 से 20 मार्च, 1977 के बीच आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक मामले में किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया ;

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरण क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जाती है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 26-6-1975 तथा 20-3-1977 के बीच लाइसेंसों के दुरुपयोग के 2932 मामले सरकार के नोटिस में आये ?

(ख) से (घ) : उपर्युक्त 2932 मामलों में से, 677 फर्मों को आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत विशिष्ट अवधियों के लिए आया सुविधाएं प्राप्त करने से वंजित कर दिया गया है। इन मामलों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-1390/77]**। इन 677 फर्मों में से 169 मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए हैं ताकि दोषी फर्मों पर न्यायालय में मुकदमे चलाये जा सकें। अन्य 174 मामले

समाप्त, कर दिए गए हैं, क्योंकि जांच करने पर इन फर्मों के खिलाफ कोई भी अपराध प्रकट नहीं हुआ। शेष 2081 मामलों के सम्बन्ध में जांच अभी भी चल रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक आफ इंडिया और रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों को 5 करोड़ रुपये से अधिक का दिया गया ऋण

4357. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जिन व्यक्तियों, फर्मों, तथा कम्पनियों और एकाधिकार गृहों को 5 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया है, उनके नाम और पते क्या हैं और कितना-कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या सरकार को ऐसा ऋण देने में इन बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्यक मामले का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) ऐसी प्रयत्क फर्म, कम्पनी अथवा व्यक्ति का नाम क्या है जिन्होंने ऋण का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया है तथा प्रत्येक पर ऋण की कितनी राशि बकाया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों को कोई ऋण नहीं मंजूर करता है। बैंकरों में प्रचलित प्रणालियों और प्रयासों के अनुसार और साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कम्पनी (उपकरणों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मंजूर किए जाने वाले 5 करोड़ रुपये और इसे अधिक के ऋणों का जहां तक सम्बन्ध है, अलग-अलग ऋणकर्ताओं के मामले से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जाती है। लेकिन, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 5 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों के बारे में बकाया राशि निम्न प्रकार है।

(करोड़ रुपयों में)

ऋण सीमा की रेंज	अन्तिम शुक्रवार की स्थिति					
	दिसम्बर, 1974			दिसम्बर, 1975		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
5 करोड़ रुपये से अधिक	133	1664.02	706.25	169	2652.44	1587.93

(ख) और (ग): इतने बड़े ऋण प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई अनियमिततओं के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतें पूछताछ और समुचित कार्यवाही के लिए या तो भारतीय रिजर्व बैंक की या फिर सम्बन्धित बैंक को भेजी जाती ह । इस प्रकार के मामले में, सरकार ने एक बैंक द्वारा मंजूर की गई ऋण सुविधाओं की जांच करने के लिए एक एक-सदस्यीय जांच समिति की नियुक्ति की थी और इस एक-सदस्यीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

ऋण स्वीकार करने में बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं के सभी मामलों की जांच, सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अधीन किए जाने वाले बैंक-निरीक्षणों के दौरान की जाती है ।

इलाहाबाद बैंक के डाइरेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

4358. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार की इलाहाबाद बैंक के डायरेक्टरों के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण के बारे में सरकार की मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार को इलाहाबाद बैंक के दो निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं, जिनमें से एक गैर-सरकारी निदेशक है जो अब निदेशक के पद पर नहीं रहा है। इसके मामले में मिली शिकायत कानपुर में एक छोटे पैमाने के एकक द्वारा की गई ऋण सुविधाओं के बारे में थी, जिसमें इस निदेशक के सम्बन्धियों के साझेदारी के हित निहित थे। दूसरे निदेशक के मामले में जो कि अभी निदेशक के पद पर है, उस पर लगाये गए आरोप बैंक के कर्मचारी के रूप में तथा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के रूप में उसकी गतिविधियों से सम्बन्धित हैं। इन आरोपों पर इलाहाबाद बैंक के परामर्श से विचार किया गया था। बैंक ने आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की है।

(ग) और (घ) : सरकार को इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण के विरुद्ध अनेक आरोपों की सूचना मिली है। इन आरोपों को निम्नलिखित मुख्य वर्गों में रखा जा सकता है :—

(क) दलाली की अदायगी और ब्याज की ऊंची दर पर अन्तः बैंक जमाओं की स्वीकृति

(ख) कुछ अनियमित अग्रिमों का देना

(ग) पदोन्नति और तैनाती में कुछ अधिकारियों के प्रति पक्षपात,
और (घ) पिछले और वर्तमान मुख्य कार्याधिकारियों द्वारा की गयी अन्य अनुचित कार्रवाई सम्बन्धी आरोप

सभी आरोपों की जांच कर ली गयी/की जा रही है और यथापेक्षित उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

सामान्य बीमा कम्पनी द्वारा कांग्रेस दल को सप्लाई की गई जीपों के लिए बैंकों को दी गई गारंटी

4359. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा कम्पनी ने अपने चेयरमैन के कहने पर कांग्रेस दल को सप्लाई की गई जीपों के लिए बैंकों को गारण्टी दी थी;

(ख) यदि हां, तो जीपों के लिए बैंक को कितनी राशि की गारण्टी दी थी; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर जांच करेगी और सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। साधारण बीमा कम्पनियों ने कांग्रेस दल को जीपों की सप्लाई के लिए कोई क्षतिपूर्ति पालिसियां जारी नहीं की थीं। बीमा कम्पनियों ने अपने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किराया खरीद वित्त कम्पनियों को किराया खरीद क्षतिपूर्ति पालिसियां जारी की थीं, प्रत्येक मामले में क्षतिपूर्ति की सीमा किराया खरीद वित्त कंपनी की आवश्यकताओं, उसके पहले के रिकार्ड और प्रतिभूतियों के स्वरूप और इसके द्वारा पेश की गई प्रतिगारटियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। किन-किन व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के निकायों को किराया-खरीद आधार पर मोटरगाड़ियों (जिनमें जीपें भी शामिल हैं) देने के सबध में निर्णय करने का काम बीमा कम्पनियों का नहीं बल्कि किराया खरीद वित्त कम्पनियों का था।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

निम्न और मध्य आय वर्ग के अपने देश के पर्यटकों को सुविधाएं

4360. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 नवम्बर, 1977 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित उनके एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि देश के निम्न और मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सरकार विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गई है,

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी और ये सुविधाएं किस प्रकार प्रदान की जायेंगी, और

(घ) क्या यह सच है, कि जो सुविधाएं इस प्रकार प्रदान की जायेंगी वे वित्तीय दृष्टि से ऐसे पर्यटकों के सामर्थ्य के भीतर होंगी और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां

(ख), (ग) और (घ) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के महानगरों और अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों में ऐसे सस्ते होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है जो मध्य आय

वर्गीय पर्यटकों की पहुंच के अन्तर्गत होंगे। केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण किए जाने वाले ऐसे होटलों की सख्या तथा स्थान छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए साधनों पर निर्भर करेंगे। छठी योजना पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

निम्न आय वर्गीय अन्तर्देशीय पर्यटकों के लिए, राज्य सरकारों, धार्मिक ट्रस्टों आदि के साथ परामर्श करके धर्मशालाओं आदि में सुधार करने के लिए एक स्कीम तैयार की जा रही है ताकि ऐसे पर्यटकों के लिए स्वच्छ तथा आरामदेह आवास की व्यवस्था की जा सके।

पड़ोसी देशों में क्षेत्रीय आधार पर पर्यटन

4361. श्री दुर्गाचन्द : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों में क्षेत्रीय आधार पर पर्यटन को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या इस बारे में पड़ौसी देशों से कोई सम्पर्क किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय आधार पर पर्यटन को प्रात्साहन देने के लिये भारत सरकार विश्व पर्यटन संस्था (डब्ल्यूटीओं) के ढांचे (फ्रेम-वर्क) के अन्तर्गत कार्य करती है। विश्व पर्यटन संस्था में छः आयोग हैं। इन में से एक आयोग दक्षिण एशिया, के बारे में है और इसके सदस्यों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, ईरान, नेपाल तथा श्रीलंका शामिल हैं। इस आयोग के उद्देश्य हैं :— क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना तथा क्षेत्र के पर्यटक आकर्षणों को विशिष्ट रूप से प्रचारित करने के लिये संयुक्त रूप से प्रोत्साहन कार्य के लिये उपाय करना। सदस्य देशों के बीच अंतर-क्षेत्रीय पर्यटन के विकास के लिये भी प्रयत्न किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपायों व साधनों पर विचार-विमर्श करने के लिये सदस्य देशों में से किसी एक में आयोग की वर्ष में दो बैठकें होती हैं।

क्षेत्र को विशिष्ट रूप से प्रचारित करने के लिये क्षेत्रीय आयोग के भावी कार्यक्रमों में संयुक्त रूप से ब्रोशरों का प्रकाशन, संयुक्त रूप से विज्ञापन प्रसारित करना तथा प्राइमरी टूरिस्ट जेनरेटिंग मार्किटों में "सेल्स सेमिनारों" का आयोजन करना शामिल है। सूचना बुलेटिनों तथा सूचनात्मक सामग्री का सदस्य देशों के साथ नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है।

दक्षिण एशिया का पर्यटकों के लिये एक लोकप्रिय गन्तव्य क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिये भारत इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ घनिष्ट सहयोगपूर्वक कार्य कर रहा है।

साहित्यकारों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के स्थानों का विकास

4362. श्री दुर्गाचन्द : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों की रुचि के स्थानों के विकास के लिये देश के साहित्यकारों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के स्थानों के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है, कि मंत्री ने अपने साक्षात्कार में, जो 20 नवम्बर, 1977 के "नवभारत टाइम्स" में छपा था, इस प्रस्ताव का उल्लेख किया था, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये किन-किन स्थानों को चुना गया है, अथवा चुना जाना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :(क) और (ख) : देश के साहित्यकारों तथा अन्य प्रख्यात व्यक्तियों से सम्बद्ध स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं । तथापि स्थान के महत्व के आधार पर प्रख्यात विभूतियों से सम्बद्ध स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर विभाग ने तीसरी योजना में शान्ति निकेतन में एक विश्राम गृह का निर्माण किया तथा पोरबन्दर और साबरमती में पर्यटक बंगलों के निर्माण में हुए व्यय के 50 प्रतिशत व्यय का वहन किया, इसने चौथी योजना में साबरमती आश्रम में एक "ध्वनि एवं प्रकाश" प्रदर्शन लगाया; तथा चालू योजनावधि में इसने पोरबन्दर में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया; सेवाग्राम में एक यात्री निवास के लिये व्यय की मंजूरी दे दी है तथा पर्यटकों को कन्याकुमारी में विवेकानन्द शिला स्मारक तक ले जाने के लिये एक मोटर लौंच की व्यवस्था की है ।

(ग) जी, हां।

(घ) फिलहाल, केवल सेवाग्राम में यात्री निवास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

कुल्लू/मनाली को छोटी एयर बस के रूट में शामिल करना

4363. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में छोटे कस्बों को मिलाने वाली 15 से 20 यात्रियों की क्षमता वाली छोटी एयर बसों को शुरू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन रूटों पर इन एयर बसों के कब तक चलने की संभावना है, और

(घ) क्या इस प्रस्ताव में कुल्लू-मनाली तथा कांगड़ा घाटी को शामिल किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) : थर्ड लेविल-स्थानीय विमान सेवाओं का परिचालन करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है, तथा सरकार ने छोटे शहरों/ कस्बों को विमान सेवाओं से जोड़ने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। कुल्लू-मनाली को ऐसे थर्ड लेविल परिचालनों से जोड़ने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा अनियमित ढंग से की गई खरीद

4364. **श्री समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने (1) बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड से 1976 में अनियमित ढंग से 30 लाख रु० मूल्य का विशिष्ट ब्रांड का, "क्रिस्टल कोटिड आई पेपर," आर्ट पेपर खरीदा (2) निविदायें मांगें बिना और सम्बद्ध मंत्री के निदेश की अवहेलना करके उसी कम्पनी से 30 लाख रु० के मूल्य के आर्ट पेपर की एक और खेप खरीदी, (3) निविदाएं मांगने की सामान्य प्रक्रिया की उपेक्षा करके अकबर होटल के लिये 18 लाख रुपये के मूल्य के फर्नीचर और फिटिंग्स के लिये एक गैर सरकारी अनजानी कम्पनी को आदेश दिया, और (4) जुलाई, 1974 में जयदयाल कपूर डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी से अनियमित तरीके से 16.5 लाख रुपये के मूल्य का कागज खरीदा और उसी कम्पनी के साथ 1972 से 1977 के बीच में उसी प्रकार के अनियमित सौदे भी किये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा इन मामलों में कोई जांच की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है ।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न उद्योगों में पूंजी विदेश/ऋण दिया जाना

4365. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1974--77 के दौरान (एक) बड़े उद्योगों (दो) थोक व्यापारियों, (तीन) लघु उद्योगों, (चार) कुटीर उद्योगों, (पांच) किसानों को जो ऋण दिये गये/पूंजी निवेश किया गया, उसके तथ्य क्या हैं ?

(ख) वित्तीय लाभ प्राप्तकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से, जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसे ऋण पूंजी, निवेश अथवा अग्रिम धन पर कितना ब्याज मांगा गया है;

(ग) समय पर भुगतान किये गये तथा न भुगतान किये गये ऐसे ऋण/अग्रिम धन/पूंजी/पूंजी निवेश के बारे में तथ्य क्या हैं ?

(घ) क्या सरकार ने ऋण /अग्रिम धन आदि देने की नीति पर पुनः विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं, तथा इसी अवधि के दौरान ऋण /अग्रिम धन आदि का वितरण करने के बारे में राज्य-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि मांगे गये आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बारे में है। जून, 1973 से 1976 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की बकाया राशियों के क्षेत्रवार वितरण के

उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध 1 में दिये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1391/77] ।

(ख) दिसम्बर, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार उपलब्ध अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 10,000/- रुपये से अधिक के ऋण-खातों के बारे में ब्याज की सीमा (रेंज) और व्यवसाय के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के वितरण संबंधी आंकड़े अनुबन्ध-II में दिये गये हैं [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1391/77]।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष ऋणों के बारे में ही ऋणों की वसूली संबंधी आंकड़े इकट्ठा कर रहा है। ताजा से ताजा उपलब्ध आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि जून, 1976 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार इस क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग 415.59 करोड़ रुपये जिसमें से 215.87 करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके थे और 199.72 करोड़ रुपये अथवा कुल बकाया राशियों का 48.1 प्रतिशत अतिदेय के रूप में बकाया था ।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे उपेक्षित क्षेत्रों में अपने ऋणों की गति को इस प्रकार बढ़ाये कि मार्च, 1979 तक कुल ऋणों में उनका भाग 33.3 प्रतिशत तक हो जाये। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने ऋण प्रभार में भी सुधार करें ताकि उपर्युक्त तारीख तक उनकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं में ऋण : जमा अनुपात बढ़कर, कम से कम 60 प्रतिशत तक हो जाये। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत व्याप्त छोटे पैमाने के, एककों, तकनीकी उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित एककों को और पिछड़े जिलों में अवस्थित छोटे पैमाने के एककों की ऐसी अवधियों के लिये दिये गये ऋणों के लिये जिनकी परिपक्वता-अवधि 3 वर्ष से कम न हो, 11 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर वसूल न करें। इसी परिपक्वता अवधि के लिये छोटी सिंचाई और भूमि विकास के वास्ते कृषि के निमित्त दिये गये सावधिक ऋणों पर 10.5 प्रतिशत और विविधीकृत प्रयोजनों के लिये 11 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज न वसूलने के लिये कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि छोटे किसानों को 1 जनवरी, 1978 के बाद मंजूर किये जाने वाले ऐसे ऋणों पर जो व्यक्तिगत रूप से दिये गये हों, और जिनकी राशि 2500/- रुपये से अधिक न हो, 11 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज वसूल न करें।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों (मंजूरी के अनुसार) की जून, 1973 और जून, 1976 के अन्त की राज्यवार स्थिति के आंकड़े अनुबन्ध III में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1391/77]।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाएं

4366. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, देश की कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं से लगभग 3 करोड़ ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनायें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) महाराष्ट्र में ऐसी कितनी परियोजनाएं प्रारम्भ की जानी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं । लेकिन विश्व बैंक की 1977 वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय वर्ष 1977 में अनुमोदित विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से अनेक सदस्य देशों में चलाई जाने वाली 84 कृषि परियोजनाओं से सम्बद्ध उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि इनमें लगभग 50 लाख किसान परिवारों या 3 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई, कृषिऋण, अनुसंधान और विस्तार, क्षेत्र विकास, पशुधन, वन विज्ञान और मीन उद्योग, फसल संसाधन, भंडारण और विपणन जैसे कार्य आते हैं ।

(ग) विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष 1977-78 में महाराष्ट्र राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त एक सिंचाई एव सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना शुरु की जाने की सम्भावना है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल हैदराबाद के कर्मचारी संघ के सचिव द्वारा भूख हड़ताल के बारे में

RE. HUNGER STRIKE BY GENERAL SECRETARY OF WORKING UNION OF BHARAT HEAVY ELECTRICAL, HYDERABAD

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : भारत इलेक्ट्रिकल्ज हैदराबाद पदोन्नति नीति को कार्यान्वित करने के लिये संघर्ष कर रहा है और युनियन के महासचिव अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों को पुलिस द्वारा तंग किया जा रहा है । मेरा अनुरोध है कि उद्योग मंत्री इसमें दखल करें । भूख हड़ताल का आज नवां दिन है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कई बार एक ही बात का जिक्र किया है ।

श्री मल्लिकार्जुन : प्रबन्धक पहले समझौते से पीछे हट रहे हैं । अतः उद्योग मंत्री सुनिश्चित करें कि पदोन्नति नीति को कार्यान्वित किया जायेगा और महासचिव को भूख हड़ताल समाप्त करने के लिये कहा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमड हार्बर) : मैंने दो विशेषाधिकार प्रस्तावों की सूचना दी है जिनमें से एक श्री एच० एम० पटेल के विरुद्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रस्ताव मुझे दस बज कर 30 मिनट के बाद मिला ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे विचार में 10 बजे से पहले दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे 10 बज कर 30 मिनट के बाद मिला ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप प्रश्नकाल में सभा को नियमित करने में असफल हुये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या नियमित करने का अर्थ केवल आपको बोलने की अनुमति देना है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार नहीं किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

श्री वयाला रवि : मैंने एक स्गथगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार नहीं किया है।

****कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया**
NOT RECORDED

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमाशुल्क अधिनियम, आयकर अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1653 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1365/77]।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 827 (द) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1366/77]।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) सा० सां० नि० 730 (ङ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा० सां० नि० 731 (ङ) जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1367/77]।

निर्यात ऋण तथा प्रतिपूर्ति निगम और भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (1) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1368/77]

(ख) (1) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1369/77]

(ग) (1) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1370/77]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1675 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1371/77]।

ओरिऐंटल फायर एण्ड जनरल इन्सोरेंस कम्पनी लिमिटेड, युनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंसोरेंस लिमिटेड नेशनल इंसोरेन्स कम्पनी तथा जनरल इन्सोरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरण

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इन्सोरेन्श कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत हैं और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1372/77]।

(ख) (एक) यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंसोरेन्श लिमिटेड, मद्रास के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1373/77]

(ग) (एक) नेशनल इंसोरेन्श कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है, और इसलिये कम्पनी के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1374/77]।

(घ) (एक) जनरल इंसोरेन्श कारपोरेशन आफ इंडिया, बम्बई का 31 दिसम्बर, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिये कारपोरेशन के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1375/77]।

अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति का अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदन और एक व्याख्यात्मक टिप्पण

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन (अप्रैल, 1977) की एक प्रति ।

(2) अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन (भाग 1) (अक्तूबर, 1977) की एक प्रति ।

(3) उपर्युक्त (8) और (9) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखने के कारण बताने वाला तथा यह भी बताने वाला कि अन्तिम प्रतिवेदन के भाग 1 में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०-1376/77]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 13 दिसम्बर, 1977 को पास किए गए कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

SHRI RAMANAND TIWARY (Buxar) : In the first instance I would like to say that reply to my calling attention motion tabled in Hindi has been given in English Hindi is having neglected.

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी की प्रति उपलब्ध क्यों नहीं हुई ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : This is my fault. I will enquire from the Ministry.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आनन्द मार्ग की आतंकमयी गतिविधियों में गत एक वर्ष में हुई वृद्धि

SHRI RAMANAND TIWARI (Buxar) : Sir, I call the attention of the Home Minister to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Reported disclosure by the Prime Minister that letters threatening to kill him are being sent to him by Anand Marg; the statement made by Minister of External Affairs describing the activities of Anand Marg as terrorist and irresponsible; and wide-spread anxiety in the country on account of increase in the terrorist activities of Anand Marg during the last one year".

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : आनन्दमार्ग तथा विदेश में इसके सम्बद्ध संगठनों से इसके मुख्य संस्थापक श्री पी० आर० सरकार उर्फ आनन्दमूर्ति को रिहा करने की मांग करते

हुए धमकी भरे पत्र प्राप्त हो रहे हैं। 15 नवम्बर को दूसरे सदन में विदेश मंत्री ने विदेशों में स्थित विभिन्न केन्द्रों पर हमारे कर्मचारियों पर किए गए आक्रमण तथा सम्पत्ति की हुई क्षति का ब्यौरा देते हुए एक वक्तव्य दिया था।

2. निःसंदेह इस सदन के सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि श्री पी० आर० सरकार को दिसम्बर, 1971 में, षडयंत्र तथा आनन्दमार्ग के उन छः अनुयायियों की हत्या करने की अवप्रेरणा के आरोपों पर, जिन्होंने संगठन का कथित त्याग कर दिया था, गिरफ्तार किया गया था। मई 1972 में पटना उच्च न्यायालय में श्री सरकार तथा अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था। मजिस्ट्रेट ने नवम्बर, 1972 में मुकदमें को सेशन कोर्ट को सुनवाई के लिए सुपुर्द कर दिया था। श्री सरकार को हत्या करने, हत्या की अवप्रेरणा तथा ऐसे अपराध की अवप्रेरणा जिसके कारण साक्ष्य लुप्त हो गया था के आपराधिक षडयंत्र के अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। और आजीवन कड़ा दण्ड भोगने की सजा दी गई थी। सेशन कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध एक अपील पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। इन परिस्थितियों में श्री पी० आर० सरकार को रिहा करने का प्रश्न नहीं हो सकता। श्री पी० आर० सरकार के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यह सरकार के इस निर्णय के संदर्भ में है कि श्री पी० आर० सरकार के अनुयायी उनको रिहा कराने में सरकार को बाध्य करने के प्रयास में आतंकवादी गतिविधियों का आश्रय लेते रहे हैं। अब तक प्राप्त लगभग सभी धमकियां यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रिवोलूशनरी फेडरेशन द्वारा भेजी हुई बताई गई हैं, जो विदेश में हमारे कर्मचारियों पर आक्रमण और हमारी सम्पत्ति की क्षति के उत्तरदायित्व का खुले रूप से दावा करता है। हालांकि आनन्द मार्ग प्रचारक संघ ने यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रिवोलूशनरी फैडरेशन के साथ अपने सम्बन्धों का खण्डन किया है, तो भी उसने की गई हिंसा की निन्दा नहीं की है। चूंकि उनकी रिहाई कराने के लिए इन धमकियों में केवल श्री सरकार के अनुयाइयों का हाथ है, अतः आनन्द मार्ग के इस सार्वजनिक दावे को कि उसका यूनिवर्सल प्राउटिस्ट रिवोलूशनरी फेडरेशन से कोई सरोकार नहीं है, अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

3. आतंकवादी गतिविधियों से, जिनमें श्री पी० आर० सरकार के अनुयाइयों का हाथ है, हमें भारी चिन्ता हो गई है और जनता के मन में उचित शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। निगरानी कड़ी कर दी गई है और सभी आवश्यक पूर्वोपाय किये गये हैं। स्पष्टतया सरकार बहकाये हुए लोगों के किसी दल के ऐसे अभित्रास के सामने बिल्कुल नहीं झुक सकती।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इसकी व्याख्या हिंदी में करें क्योंकि कुछ सदस्यों ने शायद अंग्रेजी में न समझा हो।

SHRI RAMANAND TIWARY : I have followed. The Government is having pressurised with a view to active some particular target. The Anand Marg is indulging in terrorist activities throughout the world since August. The Foreign Minister also confessed in the Rajya Sabha that activities of Anand Marg are causing anxiety to the Government of India I would like to know the action taken by the Government in this behalf.

The Prime Minister and Home Minister are also receiving threatening letters. The main object behind these activities of Anand Marg is to secure the release of P. R. Sarkar. They bombed Indian Embassies in various foreign countries. We are having defamed in the world. What have you done to check the activities of the Universal Proutist Revolutionary Federation and what have been done to ensure the safety of our Embassadors.

There should be no doubt that some international agencies are supporting the Anand Marg to defame the Janta Party at the international level. Anand Marg is an undemocratic organisation. The Government should be aware of these international agencies. I request the Government to deal with their activities firmly.

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : यह एक गम्भीर मामला है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पाबंदी लगाए।

SHRI CHARAN SINGH : The question reg. transfer from the jail do not seems to be relevant.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे स्थानान्तरित होने से इनकार करते हैं। यह प्रश्न इनकार करने का है।

SHRI CHARAN SINGH : I will find out the fact of transfer and refusal to be transferred.

The Government is not going to surrender to the threatenings of the Anand Marg. The Government has elerted its police force and asked other agencies to deal with these activities firmly. We are taking all the possible measures.

I will be happy to have any more relevant suggestions from Tiwaryji or any other member.

SHRI RAMANAND TIWARY : The passports of all the Anandmargis went abroad should be cancelled. I will give some other suggestion also.

SHRI CHARAN SINGH : I will consider the suggestion of the hon. member.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

20वां और 54वां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (डम डम): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के तम्बूओं, एसेम्बली, स्प्रिंगों, अंगोला कमीजों और गन-मेटल सिलों की खरीद से सम्बन्धित पैराग्राफ 38, 39, 41 और 42 पर 20वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां, खंड 1, अप्रत्यक्ष कर (सीमा शुल्क प्राप्तियां) के पैराग्राफ 15 पर 54वां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

पहला और सातवां प्रतिवेदन

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) कृषि और सिंचाई मन्त्रालय (कृषि विभाग)––दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भूमि का आवंटन पर पहला प्रतिवेदन ।

(2) रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड)––पश्चिम रेलवे की वर्कशापों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के सम्बन्ध में समिति के 40वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।

सदस्यों की अनुपस्थित सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

चौथा प्रतिवेदन

श्री नटवरलाल बी० परमार (ढंढूका) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मूल्य समिति की सिफारिशों सम्बन्धी सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT re. GOVERNMENT DECISIONS ON RECOMMENDATIONS OF OIL PRICES COMMITTEE

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : माननीय सदस्यों को मालूम है कि विश्व में अशोधित तेल (क्रूड) की नई स्थिति और अन्य सम्बन्धित मामलों के संदर्भ में अपनाई जाने वाली मूल्य निर्धारण नीतियों के बारे में सिफारिश करने के लिए मार्च, 1974 में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के डिप्टी गर्वनर डा० के० एस० कृष्णास्वामी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने तेल मूल्य समिति गठित की थी । इस समिति ने फरवरी, 1975 में एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की थी और उस पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय 14 जुलाई, 1975 के संकल्प में शामिल किये गये थे । इस नई मूल्य निर्धारण व्यवस्था के मुख्य अंग इस प्रकार थे––तेल के दीर्घ कालीन सामाजिक सीमान्त (मार्जिनल) लागत के सिद्धान्त के आधार पर स्वदेशी अशोधित तेल का मूल्य निर्धारित करना (परियोजना की अवधि 15 वर्ष मान कर 10% की कटौती करते हुए), अंशोधित तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों के मूल्य के निर्धारण में आयात समता (इम्पोर्ट पैरिटी) की प्रणाली की बजाय कतिपय मानदण्डों और पैरामीटरों के अनुसार लागत और निवेश (इन्वैस्टमेंट) पर उचित लाभ की प्रणाली को अपनाना, और हर तेल शोधक कारखाने के हर उत्पाद के लिये "रिटेंशन मूल्य" लागू करना ।

तेल मूल्य समिति ने नवम्बर, 1976 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश की । मैं सदन को तेल मूल्य समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों से अवगत कराना चाहता हूं ।

देश को अभी भी भारी मात्रा में अशोधित तेल और कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है । गत सात आठ वर्षों में आयातित अशोधत तेल के दाम लगभग दस गुना बढ़ गया है । तैयार किये हुए पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन लागत में क्रूड ही मुख्य तत्व है । तेल के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि प्रभाव को कम करने लिये यह उपाय

किया गया है कि स्वदशी अशोधित तेल का मूल्य आयात समता (इम्पोर्ट पैरिटी) के आधार पर तय न करके तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अनुमानित व्यय स्तर और राजस्व पर समुचित लाभ के आधार पर तय किया जाये । इस प्रकार यह निर्णय किया गया है कि देश के भीतरी भागो से निकलने वाले अशोधित तेल का मूल्य 41.44 रुपये प्रति बैरल (4.58 डालर प्रति बैरल अथवा 34° ए० पी० आई० ग्रेविटी का क्रूड 305.41 रुपये प्रति मेट्रिक टन) बना रहेगा और अपतटीय (आफशोर) क्रूड का मूल्य 58.84 रुपये प्रति बैरल (6.54 डालर प्रति बैरल अथवा 34° ए० पी० आई० ग्रेविटी का क्रूड 433.65 रुपये प्रति मेट्रिक टन) रहेगा ।

ओपेक (आर्गेनाइजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कण्ट्रीज) के मंत्री स्तर के सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को छोड़ कर, 1 जनवरी, 1977 से अशोधत तेल के दामों में 10% की वृद्धि करने का निश्चय किया। सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने उसी तारीख से यह वृद्धि 5% तक सीमित रखी परन्तु 1 जुलाई, 1977 से दुबारा 5% मूल्य बढ़ा दिया । फलत: ओपेक द्वारा अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि 1 जनवरी, 1977 से औसतन लगभग 8% रही । मुझे सदन को बताते हुए इस बात की खुशी है कि तेल कम्पनियों के प्रयत्नों और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की नीति के कारण हम इस असाधारण मूल्य वृद्धि का सामना कर सके हैं और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लागत सम्बन्धी ताजा आंकड़ों और समग्र पूंजी पर 15% कुल लाभ के आधार पर हर तेल शोधक कारखाने के लिए प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद का रिटेन्शन मूल्य संशोधित किया गया है ऐसा करते समय विभिन्न प्रकार की टैक्नोलोजी, संयत्रों की उम्र और हर तेल शोधक कारखाने को आवंटित विभिन्न प्रकार के क्रूड को ध्यान में रखा गया है और कार्यकुशलता के उच्च स्तर को दृष्टि में रख कर प्रत्येक यूनिट के लिये मानदण्ड और पेरामीटर निर्धारित किये गये हैं । हमने हिदायतें दी हैं कि इन मानदण्डों और पैरामीटरों को पूरा करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाये ।

रिटेंशन/मार्जिन/मूल्य के प्रत्यय को विपणन कार्यों, पर लागू किया गया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की सभी विपणन कम्पनियों को समान लाभ मिल सके । हमने ये हिदायतें भी दी हैं कि विपणन कम्पनियों की उत्पाद सम्बन्धी हानियों और वस्तु सूचियों (इन्वैंट) के स्तरों पर कड़ी निगरानी रखी जाये ।

एक ओर जहां कार्य कुशलता में कमी के लिये दण्ड दिया जायेगा, दूसरी ओर कार्य दक्षता के लिये पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई है । मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में जिन मानदण्डों और पैरामीटरों की व्यवस्था है, उनमें सुधार लाने से जो बचत होगी, उसे तेल कम्पनियां अपने पास रख सकेंगी । इस नई प्रणाली का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधन और विपणन कम्पनियों अपना कामकाज अधिक कुशलता और न्यनतम लागत से कर सकें ।

पेट्रोलियम का विपणन करने वालों की कार्य क्षमता में भी सुधार अपेक्षित है। इस उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों के बाजार शेयर भविष्य में इस तरह से नियत्रित किये जायेंगे जिससे सुव्यस्थित रुप से उनका विकास हो सके और उनकी सारी सुविधाओं का अधिक विवेक पूर्ण उपयोग किया जा सके। विपणन के लाभ की दृष्टि से रिटेंशन मूल्य लागू करने का एक परिणाम यह होगा कि तेल कम्पनियों में परस्पर पेट्रोलियम उत्पादों का खुल कर आदान प्रदान हो सकेगा। इस प्रणाली को अपनाने से उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे तेल शोधक कारखाने आसानी से उत्पादों का परस्पर विनियम कर सकेंगे और इससे अधिकतम किफायत हो सकेगी। फलस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण अधिक कुशलता के साथ हो सकेगा, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से होगी और खर्च में भी कमी आयेगी ।

अभी तक लुब्रीकेन्टस और ग्रीज़ेज के लिये कोई मूल्य नीति निर्धारित नहीं की गई थी और उन पर एक प्रकार का "ब्लाक कण्ट्रोल" लागू था। इसका कारण यह था कि विभिन्न कम्पनियों के अनेक प्रकार के ब्रांड (लुब्रीकेन्ट्स और ग्रीजेज के) थे। और ये कम्पनियां हाल तक प्राइवेट क्षेत्र में थीं। अब अपने देश में "एडिटिवपैकेज" भी तैयार होने लगे हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में आटोमोटिव ल्यूब्स के मूल्य अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये गये हैं। देश में बिकने वाले कुल ल्यूब्स का 70% गैर एडिटिव सैकेण्ड्री ग्रेड ल्यूब्स हैं और उनके मूल्य भी निर्धारित कर दिये गये हैं । फलतः आम इस्तेमाल होने वाले ल्यूब्ज के कुछ ग्रेडों के मूल्यों में कमी हो जायेगी। शेष ल्यूब्स अधिकतर औद्योगिक ग्रेड के हैं, जिनके मूल्य वर्तमान स्तर पर स्थिर कर दिये गये हैं।

उपरोक्त निर्णयों के कारण उत्पाद/कस्टम्स शुल्क की दरों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें अधिसूचित किया जा रहा है।

अभी तक रिफाइनरी गैस, मोम पेट्रोलियम कोक, स्पिरिट और साल्वेन्ट्स जैसे कुछ विशेष उत्पाद मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं आते थे परन्तु इन्हें अब उसके अन्तर्गत ला दिया गया है जिससे मूल्य निर्धारण की व्यवस्था अधिक सुचारु हो गई है।

हमने यह व्यवस्था की है कि प्रति मास सभी तेल कम्पनियों के मुख्य कार्यकारियों (चीफ एक्जीक्यूटिव्स) से हम मिलें और उनके साथ उद्योग की समस्याओं की समीक्षा करें। हम इस बात की चेष्टा करेंगे कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की नई नीति के घोषित उद्देश्यों की पूर्ति इन बैठकों के जरिये हो सके।

महोदय मैं आपकी आज्ञा से 16 दिसम्बर, 1977 के सरकारी संकल्प की प्रति जिसमें सरकार द्वारा लिये गये निर्णय सन्निहित हैं और तेल मूल्य समिति की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों और निष्कर्षों के सारांश की प्रति सदन के पटल पर रखता हूं।

मैसर्स बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिक्ल वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता के प्रबन्ध के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. TAKEOVER OF MANAGEMENT OF MESSRS BENGAL CHEMICAL & PHARMACEUTICAL WORKS LTD. CALCUTTA

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मेसर्स बंगाल केमिकल फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लि० की स्थापना 1901 में पश्चिम बंगाल में आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय द्वारा की गई थी, जो औषधों और रसायनों के निर्माण में एक पथ-प्रदर्शक थे। इस कम्पनी की स्थापना के दो उद्देश्य थे---भारत को औषधों और रसायनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के नए ज़रिए कायम करना।

कम्पनी के निम्नलिखित चार उत्पादन एकक हैं जिनमें लगभग 2200 कर्मचारी काम करते हैं।

(1) मानिकतला---औषध और भेषज

(2) पानीहाट---रसायन

(3) बम्बई---औषध और घरेलू पदार्थ

(4) कानपुर---औषध और घरेलू पदार्थ

कम्पनी, 1968-69 तक लाभ कमा रही थी किन्तु उसके बाद निरंतर हानियां होती रहीं और 1969-70 से 1976-77 के दौरान कम्पनी को 269 लाख रुपये की हानि हुई। कुछ समय से सरकार को कम्पनी की दुर्व्यवस्था और अकुशल कार्य-संचालन के बारे में रिपोर्टें मिलती रही थीं। परिणाम-स्वरूप सरकार ने औद्योगिक (विकास एवं विनियमन, अधिनियम (आई० डी० आर०) की धारा 15 के अन्तर्गत कम्पनी के कार्य की जांच करने के लिए 22 अगस्त, 1977 को आदेश जारी किये थे। समिति की रिपोर्ट 24 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुई है।

समिति ने इस कम्पनी के कार्यकलापों के सभी प्रमुख पहलुओं की जांच की है। समिति ने यह राय व्यक्त की थी कि उपयुक्त मात्रा में पूंजी लगाने, कुछ चुने हुए विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने, उत्पाद-मिश्रण को सुव्यवस्थित करने, विपणन कार्य में सुधार करने और कुशल प्रबन्धकों को नियुक्त करने से कम्पनी की स्थिति सुधारी जा सकती है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि कम्पनी के प्रबन्ध को शीघ्र ही आई० डी० आर० अधिनियम की धारा 18(क) के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

मुझे सदन को बताने में खुशी है कि समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने कम्पनी के प्रबन्ध का तुरन्त अधिग्रहण करने का फैसला किया है। सरकार ने कम्पनी के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध मण्डल की नियुक्ति भी की है।

मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के महान सपूत आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय की इस शानदार धरोहर को सुदृढ़ बनाने में श्रमिक वर्ग पूरा सहयोग देगा जिससे यह संस्था देश के रासायनिक और भेषज उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान देती रहे।

श्रीमती पार्वती कृष्णन: पिछले प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को लगभग एक महीने से वेतन नहीं दिया गया। मंत्री द्वारा भुगतान का आश्वासन दिए जाने से कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस पर विचार करें।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): आपकी अनुमति से मैं सोमवार, 19 दिसम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य के लिए जाने की घोषणा करता हूं।

(1) संविधान (44वां संशोधन) विधेयक, 1977

(विचार तथा पास करना)

आज की कार्य सूची में बचे किसी अन्य सरकारी कार्य पर विचार।

(3) बहु राज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 1977

(संयुक्त समिति को सौंपना)

(4) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक;

(क) **बेतवा नदी बोर्ड** (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(ख) पत्तन विधि (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(ग) बालक (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(5) दो गम्भीर रेल दुर्घटनाओं पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

(6) मूल्य वृद्धि के बारे में प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): सत्र के समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन सम्बन्धी विधेयक का निरसन करने वाले विधेयक को पेश करने की इच्छा सरकार प्रकट कर चुकी है। सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि मेरे मत से सदस्यों को पेंशन देना नैतिकता की दृष्टि से गलत है।

औद्योगिक सम्बन्धों पर भी एक विधेयक बजट सत्र में लाया जाए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि निर्धनों को कानूनी सहायता देने का विधेयक कब तक लाया जाएगा। दल-बदल विधेयक को पेश करने की सरकार की इच्छा से मैं अवगत हूं। फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। विपक्षी नेता इस ठोस कदम का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : कार्य मंत्रणा समिति ने बेरोजगारी की समस्या, मजदूरी निर्धारण, विश्वविद्यालय में असंतोष सम्बन्धी विषयों पर चर्चा के लिए कोई समय तय नहीं किया है।

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय किया था कि सोमवार को केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या अल्प सूचना प्रश्नों को ही लिया जाएगा।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं जानना चाहता हूं कि औद्योगिक सम्बन्ध सम्बन्धीय विधेयक कब पेश किया जाएगा।

श्री वयालार रवि : हमने डा० लोहिया की मृत्यु सम्बन्धी रिपोर्ट पर चर्चा किए जाने की कई बार मांग की है। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू पैदा करने वाले क्षेत्र में नीलामी स्थलों की स्थापना के लिए तम्बाकू उपकर अधिनियम में संशोधन किया जाए। मैंने इस सम्बन्ध में तीन मंत्रियों को कहा है, परन्तु इसे सरकारी कार्य-सूची में शामिल नहीं किया गया है।

मैं कापड़िया, सेन्ट्रल बैंक और रिजर्व बैंक का मामला सदन के सामने लाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करता रहा हूं यह 26 करोड़ के गोलमाल का मामला है। कुछ निहित स्वार्थ इसे न लाए जाने के लिए प्रयत्न शील हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई प्रस्ताव की सूचना दी है और वह ली नहीं गई है।

ज्योतिर्मय बसु : आप जानते हैं कि मैं कई प्रस्ताव दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह विशेषधिकार का प्रश्न है तो यह उसमें नही आता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे अध्यक्ष पीठ पर आरोप लगाने को बाध्य न करें (व्यवधान) यह एक गम्भीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं आपसे और संसदीय कार्य मंत्री से आश्वासन चाहता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : राष्ट्रपति के अभिभाषण म कहा गया था कि आंसुका को निरसन करने वाला विधेयक लाया जाएगा? अब वर्ष के इस अन्तिम सत्र का एक सप्ताह रह गया है, क्या इस सप्ताह में इस आशय का विधेयक लाया जाएगा यदि ऐसा नहीं है तो मैं एक अन्तिम दिन वाला प्रस्ताव का प्रस्तुत करता हूं।

नारियल बोर्ड विधेयक के सम्बन्ध में भी क्या स्थिति है यह बताया जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त : कार्य मंत्रणा समिति में अनवरत आयोजना पर सदन में चर्चा किए जाने का निर्णय किया गया था परन्तु इसे सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह

बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और प्रत्येक सदस्य मेरी इस बात से सहमत होगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री कृष्ण कान्त : जनता सरकार और गृह मंत्री ने यह आवश्वासन दिया था कि इस सत्र के समाप्त होने से पहले आंसुका का निरसन करने वाला विधेयक लाया जाएगा ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : सदस्यों ने कहा है कि कार्य सूची में अनेकों महत्वपूर्ण विषयों को शामिल नहीं किया गया है । मैं मानता हूं कि कुछ मामले महत्वपूर्ण थे परन्तु सभी को शामिल नहीं किया जा सकता ।

वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों को प्रभावित करने वाले सदस्यों की पेंशन सम्बन्धी विधेयक विपक्षी दलों से बात किए जाने के अभाव में नहीं लाया जा सका ? आशा है एक सर्वसम्मत राय बन जाएगी और हम विधेयक ला सकेंगे ।

जहां तक श्रमिक सम्बन्धों सम्बन्धी विधेयक का सम्बन्ध है मैं स्वयं श्रम मन्त्री होने के नाते उसे शीघ्रातिशीघ्र लाना चाहता हूं । परन्तु यह एक व्यापक विधेयक है इसलिए अधिक सावधानी बरता जाना आवश्यक है । मुझे विश्वास है अगले सत्र में प्रारम्भ में ही इसे पेश करना सम्भव होगा ।

करेंसी सहायता देने सम्बन्धी विधेयक में अब आशा है देरी नहीं होगी और अगले सत्र में विधेयक लाया जाएगा ।

दल-बदल विरोधी विधेयक पर भी विपक्षी दलों से बात चीत चल रही है । इसके पूरा होते ही हम इस विधेयक को पेश कर देंगे ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या वे सदन को यह आवश्वासन देंगे कि इस बीच उनकी पार्टी अन्य दलों से आदमियों के आने पर रोकेगी और इस प्रकार अपनी दल बदल रोकने की इच्छा को व्यक्त करेगी ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : दल बदल के सम्बन्ध में जनता पार्टी की राय से सब अवगत हैं । डा० लोहिया की मृत्यु सम्बन्धी रिपोर्ट पर अभी चर्चा नहीं हो सकेगी बाद में कभी होगी ।

आंसुका का निरसन करने सम्बन्धी विधेयक के इसी सत्र में पेश होने की आशा है भले ही इसके सारे चरण पूरे न हों ।

श्री कंवर लाल गुप्त का यह कहना सही है कि कार्य मन्त्रणा समिति में इसी सत्र में योजना पर चर्चा किए जाने का निर्णय किया गया था । इस सत्र में इसके लिए समय नहीं मिल सकेगा इसे निःसन्देह अगले सत्र में लिया जाएगा ।

तम्बाकू विधेयक पर विचार किया जाएगा । जहां तक उनकी दूसरी बात का प्रश्न है लगता है वे सरकार द्वारा समय निकाले जाने के प्रति इच्छुक नहीं वरन् वे अपनी बात सदन को बताने में अधिक रुचि रखते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कापड़िया, सेन्ट्रल बैंक और रिजर्व बैंक के मामले का क्या हुआ । उसके लिए कुछ समय अवश्य निकाला जाए ।

श्री के० लकप्पा : उत्तर प्रदेश में चुनावों में हरिजनों को वोट डालने से जनता पार्टी के लोग रोक रहे हैं । मैं चाहता हूं कि हरिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए ।

ब्याज विधेयक

INTEREST BILL

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ मामलों में ब्याज अनुज्ञात किए जाने से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि कुछ मामलों में व्याज अनुज्ञात किए जाने से सम्बधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (44वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध नहीं करना चाहता । मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह मेरी इस बात पर विचार करें ।

42वां संशोधन आपात स्थिति के दौरान किया गया ? संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए यद्यपि संसद संशोधन करने में सक्षम नहीं थीं । यही देश के मुख्य न्याय-विदों की राय थी लेकिन तत्कालीन सरकार का विचार था कि संसद सर्वोच्च है और वह संविधान में कुछ भी संशोधन करने के लिए पूर्णतया सक्षम है लेकिन हम इस बात को मानते है कि संसद संविधान के मूलभूत तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकती । आशा है आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होगें अब हम इस विधेयक द्वारा संविधान में किए संशोधनों का निरसन करना चाहते हैं । यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार जो कि मूल अधिकारों की मुख्य बातों में परिवर्तन नहीं कर सकती अब ऐसा परिवर्तन किस प्रकार कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहे हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा ।

अध्यक्ष महोदय : तब आप कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते ।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं माननीय सदस्य श्री गुप्त को व्यवस्था का प्रश्न केवल उसी स्थिति में उठाना चाहिए था जबकि मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित कर देते ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है और मैंने व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उठाया ।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको अनुमति नहीं दी मैं केवल यह जानना चाहता था कि आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है । यदि आपका प्रश्न विधान सभा की सक्षमता के बारे में है तो इस पर चर्चा कराई जानी आवश्यक है और यदि आप 42वे संशोधन को कानून ही नहीं मानते तो यह कानून है या नहीं इसका निर्णय न्यायालय करेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : स्थिति बहुत विचित्र है । मेरा प्रश्न यह है कि संसद जोकि संविधान के आधार मूल ढांचे में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है अब संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन किस प्रकार कर सकती है ।

अध्यक्ष महोदय: इस मामले का निर्णय न्यायालय करेंगें । मेरे विचार में यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रो० पी० डी मावलंकर (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इसका विरोध करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ । जिस ढंग से यह विधेयक पेश किया गया है वह उचित नहीं । वास्तव में सरकार को समूचे संविधान (42 वें संशोधन) विधेयक के निरसन हेतु एक विधेयक लाना चाहिए था ।

भूतपूर्व सरकार ने जब यह संशोधन सभा में पेश किया था तब मैंने इसका पूरा पूरा विरोध किया था मैं इस विधेयक की विषयवस्तु का विरोध नहीं कर रहा लेकिन जिस ढंग से यह विधेयक पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूँ ।

अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने कहा था कि 42 वें संशोधन द्वारा सारी सत्ता एक व्यक्ति के अर्थात प्रधानमंत्री के हाथ में केन्द्रित कर दी गई है अतः वह उस संशोधन को रद्द कर देंगे सरकार एक ऐसा विधेयक पेश क्यों नहीं करती जिसके द्वारा 42वें संशोधन विधेयक का पूरी तरह निरसन ही कर दिया जाए । क्या ऐसा वह राज्य सभा में प्रतिपक्ष दल के लोगों की बहुसंख्या को देखते हुए नहीं कर रही है । यदि यही कारण है तो देश यह जान ले कि राज्य सभा के कांग्रेसी सदस्य इस विधान को अर्थात 42वें संशोधन के पूर्णतया निरसन करने के विरुद्ध हैं । इस प्रकार के जो खंडशः उपाय किए जा रहे हैं वह उचित नहीं है । यह जनता के प्रति विश्वासघात है । अतः सरकार को समूचे संविधान (42वें संशोधन अधिनियम को रद्द करने के लिए एक नया विधेयक पेश करना चाहिए ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं बड़ी विषम परिस्थिति में हूँ जिस भावना से यह विधयक लगया गया है तथा जिस ढंग से अथवा जिस परिप्रेक्ष्य में अथवा जिस नीति से विधेयक सभा में पेश किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं । मुझे इस विधेयक को इस ढंग से पेश करने के औचित्य में गम्भीर सन्देह है कि संवैधानिक संशोधन एक-एक करके सभा के

समक्ष पेश किए जा रहे हैं । मुझे गम्भीर सन्देह है कि सरकार धीरे-धीरे श्रीमती गांधी द्वारा विछाए गए जाल में फंसती जा रही है । हम यह नयी घटना देख रहे हैं । कि जब श्रीमती गांधी का दल किसी बात से सहमत होगा तभी वह संसद में प्रस्तुत किया जाएगा । हम इस तरह मूक दर्शक मात्र बन कर चुप नहीं रहेंगे । विधि मंत्री को सभा को आश्वासन देना चाहिए कि वह जनता से की गई प्रतिज्ञाओं तथा दिए गए वचनों को पूरा करेंगे ।

5 अप्रैल को विधि मंत्री ने श्री समर गुह के एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सरकार का विचार संवैधानिक संशोधन के संबंध में एक व्यापक विधेयक लाने का है और 42वां संशोधन विधेयक भी इसमें शामिल होगा । फिर सितम्बर, में प्रैस रिर्पोटरों को भी बताया गया कि जनता सरकार, भूतपूर्व, सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ परिवर्तनों को समाप्त करने हेतु एक व्यापक संवैधानिक संशोधन विधेयक नवम्बर के सत्र में लायेगी । सदन में और सदन के बाहर सभी लोगों को यह वचन दिया गया कि एक व्यापक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा लेकिन अब मंत्री महोदय केवल तीन अथवा चार खंडों वाला विधेयक ला रहे हैं। जनता को जो पहले से आश्वासन दिया गया है उसका यह उल्लंघन करता है । मैं चाहता हूं सदन इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

मैं विधेयक के विषय वस्तु का विरोध नहीं कर रहा क्योंकि यह अहानिकर है लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में सारा मामले सदन के समक्ष रखा जा रहा है वह बिल्कुल गलत है और जब तक विधि मंत्री हमें यह आश्वासन नहीं देते कि इसी संबध में एक व्यापक विधेयक पेश किया जाएगा तब तक वह लोगों को दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

श्री वयालर रवि (चिरियंकील) : विधि मंत्री ने इस सभा में कहा था कि संविधान संशोधन विधेयक पेश करने से पहले उसके संबंध में प्रतिपक्ष के सदस्यों से पहले विचार विमर्श किया जाएगा (**व्यवधान**)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के संबंध में अपने विचार प्रगट किए हैं मैं उनका आभारी हूं । माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां व्यक्त की है वह कुछ गलत फहमी में की गई लगती है। उन्हें पूरी स्थिति के संबंध में कुछ गलत फहमी है । मैं उन मिथ्या विचारों का निराकरण करना चाहता हूं और सदन को यह आश्वासन देता हूं कि जनता पार्टी का अथवा सरकार का अपने बायदों से फिरने का प्रश्न हीं नहीं उठता ।

प्रो० मावलंकर ने कहा है कि 42वें संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से रदद् करने के लिए एक विधेयक लाया जाना चाहिए था । यदि आंशिक निरसन विधेयक लाया जाता तो क्या इससे संविधान संशोधन का उद्देश्य हल हो जाता । उपबन्धों के लागू होने के बाद और जिस उदेश्य हेतु वह लाए गए हैं उनकी प्राप्ति के बाद निरसन विधेयक के द्वारा संविधान को पहले जैसा रुप देने का उद्देश्य हल नहीं हो पाता । इसलिए निरसन विधेयक लाना विल्कुल बेकार था ।

संविधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और संविधान संशोधन का मामला एक गम्भीर मामला है । भूतपूर्व सरकार ने जिस प्रकार संविधान संशोधन जैसे पवित्र मामले को हल्के-फुल्के ढंग

से लेकर संशोधन विधेयक पेश किए उनकी काफी आलोचना हुई है । किसी भी संशोधन के संबंध में उचित वाद-विवाद, विचार-विमर्श होना चाहिए । उसके प्रत्येक खंड पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

देश भर में चर्चा हो रही है । प्रैस अपने विचार व्यक्त कर रहा है । विभिन्न बार एसोसिएशनों ने समितियों की नियुक्ति की है, कई गोष्ठियां हुई हैं और कई अन्य समितियों ने इस पर विचार करके प्रतिवेदन दिए हैं। कई मंचों पर इस विषय की चर्चा हुई है।

खंडश : उपायों के बारे में भी उल्लेख किया गया। खंडश : दृष्टिकोण अपनाना भी कुछ कारणों से आवश्यक हो गया था । हम प्रतिपक्ष दल के साथ इस पर चर्चा करना चाहते हैं । यह नहीं कि हम उनसे डरते हैं हम कोई विधान केवल इसीलिए नहीं बनायेंगे क्योंकि विरोधी दल उसका समर्थन नहीं करता । यदि चर्चा के बाद यह महसूस किया जाता है कि हमारे कुछ संशोधन जो हम करना चाहते है उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं तो हम मामले को सदन के समक्ष फिर भी लायेंगे ।

इस सत्र में व्यापक विधेयक लाना संभव नहीं है । अगले सत्र में इसे पेश किया जाएगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय व्यापक विधयक लाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा तो है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राष्ट्रपति के अभिभाषण में आश्वासन दिया गया था कि सरकार इसी वर्ष ऐसा करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने कहा है कि विपक्ष के साथ बातचीत के बाद ऐसा किया जाएगा।

श्री पी० जी० मावलंकार : हम मंत्री महोदय से आश्वासन चाहते है कि वह ऐसा विधेयक कब तक लाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी है, मैं उन्हे बोलने की अनुमति नहीं देता।

प्रश्न यह है : "कि भारत के सविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

MATTERS UNDER RULE 377

(उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए)

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) भारतीय पूर्वी समाचार पत्र सोसाइटी और भारतीय भाषा समाचार पत्र संघ द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के वेतन बोर्डो का बहिष्कार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बरज) : भारतीय पूर्वी समाचार पत्र सोसायटी और भारतीय भाषा समाचार पत्र संघ के समाचार पत्र के मालिकों ने श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकरों

के वेतन बोर्डों का बहिस्कार करने का निर्णय किया है। जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली हमने प्रधान मंत्री को इस बारे में बता दिया। श्रम-जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों की समुचित अंतरिम राहत देने के मामले पर ही वेतन बोर्ड का बहिस्कार करने का निर्णय लिया गया। उद्योगपतियों अनुभवी राज-नीतिज्ञ और प्रसिद्ध कार्मिक संघ नेता श्री बी० सी० भगवती को शामिल करने का भी विरोध किया है। समाचारपत्रों के मालिकों ने यह स्थिति इसलिए पैदा की है श्री भगवती और अन्य गैर-सरकारी सदस्य श्रमजीवी पत्रकारों और गैर पत्रकारों के हितों की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकारों को समुचित अन्तिम राहत प्राप्त हो।

(दो) 'स्ट्रेप्टोमाईसिन' औषधि का उपलब्ध न होना

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दूर्गापुर) : समाचारपत्रों में यह समाचार दिया गया है कि बाजार में स्ट्रेप्टोमाइसिन उपलब्ध नहीं है और इसके कारण लाखों रोगियों को बहुत कठिनाई हो रही है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार को स्ट्रेप्टोमाइसिन की कमी के कारणों की जांच करनी चाहिए तथा सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि लोगों को अब इसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(तीन) कोटा के आणविक शक्ति केन्द्र, कोटा में हड़ताल

(SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Sikar) : I want to draw the attention to the Minister of Labour to the three-month old strike in the Atomic Power Station, Kota. An agreement had been reached between the official and Labour Leaders through the good-affairs of the hon. Minister but it has not been implemented so far. I call upon the hon. Minister through you to clarify the position and see that the situation there improves.

(चार) महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित हड़ताल

श्री वयालर रवि (चिरयंकिल) : महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी गत तीन दिनों से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर हैं। महाराष्ट्र सरकार 1300 करोड़ रुपए के कुल राजस्व में से लगभग 500 करोड़ रुपए कर्मचारियों को दे रही है। राज्य सरकार ने भोले आयोग की सिफारिशों से बढ़कर वित्तीय सहायता दी है। लेकिन शायद इससे कर्मचारी और उनके नेता संतुष्ट नहीं।

देश के वित्तीय मामलों को नियमित करना केन्द्रीय सरकार का प्रथम कर्तव्य है उसे राज्यों के लिए इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने चाहिएं। धन सम्बन्धी मामलों आय और वितरण के बारे में वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य-सरकारें बहुत हद तक केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती है। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल से महाराष्ट्र सरकार को भारी नुकसान होगा और केन्द्र सरकार की सहायता के बिना राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय जिम्मेदारी को पूरा करना असंभव है।

बताया गया है कि एक केन्द्रीय मंत्री कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए भड़का रहा है। उसका उद्देश्य वहां की कांग्रेसी सरकार का तख्ता पलटने का है। यह बहुत आवश्यक है

कि केन्द्रीय मंत्री सविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही कार्य करें उन्हें ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए । प्रधान मंत्री को अपने मत्रियों के क्रियाकलापों का ध्यान रखना चाहिए तथा उन पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वह संविधान के ढांचे के अन्तर्गत ही कार्य करें ।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन—विधेयक

SUPREME COURT (NUMBER OF JUDGES) AMENDMENT BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी जाए ।"

यह विधेयक बहुत ही साधारण है । संविधान के एक उपबन्ध द्वारा उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की संख्या सीमित की गई है लेकिन संविधान में एक समर्थकारी उपबन्ध भी है जिसके अन्तर्गत संसद को संविधान में निर्धारित संख्या से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के शक्ति प्राप्त है । संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करके पहले मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की सख्या 13 तक बढ़ाई भी थी ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय सहित देश में ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक हो गई जो बहुत समय से विचाराधीन है तथा जिनमें न्याय नहीं मिल सका है । 1962 में उच्चतम न्यायालय में 1700 मुकद्मे विचाराधीन पड़े थे और अप्रैल 1977 में बकाया मुकद्मों की संख्या बढ़ कर 14,700 हो गई । लोकतंत्र में केवल किसी व्यक्ति को अपनी कानूनी अधिकारों के प्रत्यावर्तन का ही अधिकार प्राप्त है अपितु उसे उचित समय में न्यायालय से न्याय भी दिलाया जाना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक देश में वास्तव में कानून का शासन नहीं स्थापित किया जा सकता । एक आम आदमी को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उसके मुकद्मे के निपटान में होने वाले विलम्ब से वह अपने उचित और कानूनी अधिकारों से वंचित रह गया है ।

इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 17 करने की है जब मुकद्मों की शीघ्रता से फैसला करने की आवश्यकता पड़ेगी तभी इस शक्ति का प्रयोग कर अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी । यह मांग एक समर्थनकारी विधेयक और इस विधेयक द्वारा हम उच्चतम न्यायालय में चार और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए संसद की स्वीकृति ले रहे हैं ।

आशा की जाती है कि इस विधेयक के पीछे जो भावना है उसका स्वागत किया जाएगा । देश के सभी लोग और समाज के सभी वर्ग न्याय प्राप्त करने में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए कोई उचित समाधान ढूंढ़ने में रत हैं और उन उपायों को ढूंढ़ना भी संभव होगा जिससे न्याय की कोटि में किसी तरह का ह्रास हुए बिना उसे जल्दी प्राप्त किया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद (कालीकट) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु ऐसा करते समय कुछ कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से मुकदमों की संख्या नहीं घटेगी और मामले शीघ्र नहीं निपटेंगे। उद्देश्य और कारणों के विवरण में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जोकि इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि किस प्रकार वर्षानुवर्ष बकाया मुकद्दमों की संख्या बढ़ती गई है। 1960 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 10 से बड़ाकर 13 कर दी गई लेकिन 1960 से 1976 तक 5000 मुकद्दमे दाखिल किए गए लेकिन बकाया पड़े मुकद्दमों की संख्या तो और भी आश्चर्यजनक है। 1968 में 2319 मुकद्दमे बकाया थे और 1976 में इनकी संख्या बढ़ाकर 14109 हो गई। अतः हमें उन कारणों का पता लगाना चाहिए कि जिसकी वजह से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के बावजूद भी विचाराधीन पड़े मुकद्दमों की संख्या इतनी अधिक बढ़ी।

अनुच्छेद 226 की शब्दावली 'किसी अन्य प्रयोजन' से उच्च न्यायालय को अनावश्यक रूप से सरकार के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया है और इससे न्यायालयों में मुकद्दमों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमें इस शब्दावलि 'किसी अन्य प्रयोजन' का लोप करने पर विचार करना चाहिए और साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए।

गत वर्ष सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन करते समय हमने एक समय सीमा निर्धारित की थी जिसके अन्तर्गत न्यायाधीशों को फैसला दे देना चाहिए। लेकिन पता चला है कि कुछ न्यायाधीशों ने इस समय सीमा निर्धारित करने का खण्डन किया है। यह समझ में नहीं आता कि इसमें नाराज होने की क्या बात है। समय सीमा निर्धारित करने का अर्थ किसी के आचरण अथवा सम्मान अथवा योग्यता पर आक्षेप करना नहीं होगा।

निर्णय में विलम्ब का एक अन्य कारण यह है कि वर्तमान विधि प्रक्रिया बहुत जटिल और अस्पष्ट है। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने, जोकि इस विषय के अच्छे ज्ञाता हैं, नागपुर विश्वविद्यालय में इस संबंध में काफी भाषण दिए हैं। उन्होंने भद्दे और पेचीदे प्रारूप की आलोचना की है। हो सकता है कोई उनकी शब्दावली से सहमत न हो परन्तु उनके इस विचार से सभी सहमत होंगे कि यदि मसौदे को सरल बना दिया जाय तो यह बड़ी सेवा होगी। कुछ शब्दावली की व्याख्या पर मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय तक गया है। यदि शब्दावली सरल कर दी जाए तो बहुत कुछ मुकद्दमेबाजी से बचा जा सकता है।

विधि मंत्री ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय केवल

योग्यता को ध्यान में रखा जाए, और वरिष्ठता इसका आधार नहीं होना चाहिए । मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता पर विचार किया जाए। मैं उनके इस तर्क को नहीं समझ पाता। सरकार हमें यह बताए कि जो बात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति में उचित नहीं वह उसी न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में क्यों उचित है ?

SHRI GANGA SINGH (Mandi) : I support the Bill. But keeping in view the sufficiently large number of cases pending in the Supreme Court, an increase in the strength of the judges by only 4 will not serve the purpose. There is need to increase the total strength of judges in the Supreme Court upto 40-50 to clear the arrears. The problem of arrears of cases is, however, not confined to Supreme Court alone, it exist in lower Courts as well. Therefore, it should be tackled as a national problem.

In addition to increasing the number of judges in courts, it is also necessary to change the process of law which is mainly responsible for delay in disposal of cases.

There is a practice that the lawyers quote court decisions of even 100 years back. There should be a limit to it. The appointment of judges on the basis of their experience in different kinds of cases would also go a long way in deciding the cases soon.

It is a fact that courts have no adequate apparatus and staff which lead to delay. It is also a fact that the talented people are not inclined to join judicial service under government because their emoluments are not attractive as compared to those who are engaged in private practice. Therefore, their emoluments should be increased.

Faulty administration orders are also responsible for an increase in cases being instituted in courts. There is need to streamline the administration. It would be better if separate administrative Courts are set up for this purpose. The budget allocations on the item of justice are also not adequate. We should give high priority to the matter of dispensation of justice.

It is most important that the independence of judiciary is maintained. There is need to frame rules for the appointment of judges to High Courts and Supreme Court and for their transfers.

श्री सोम नाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं न्यायधीश की संख्या बढ़ाए जाने का समर्थन करता हूं। पर यह ही एक मात्र हल है। लोकतंत्र तब तक ठीक प्रकार काम नहीं कर सकता जब तक न्यायपालिका ठीक प्रकार काम नहीं करती, लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय नहीं मिलता। अब यह एक तदर्थ उपाय है।

भारत जैसे बड़े देश के विभिन्न स्तर के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली आना पड़ता है । क्या वे इसका भार वहन कर सकते हैं। कानूनी सहायता देने पर चर्चा करते समय यह कभी नहीं सोचा गया कि उन्हें दिल्ली आने और ठहरने का व्यय भी दिया जाए। इसलिये सर्वोच्च न्यायलय की कुछ सर्किट पीठ रखा जाना आवश्यक है। सरकार यथासम्भव समीप न्याय देने की व्यवस्था करे। कानूनी सहायता देने के प्रश्न को भी शीघ्र हल किया जाए।

जहां तक कानून में आमूल सुधार करने और मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रक्रिया संबंधी कानूनों में परिवर्तन करने का प्रश्न है, न्याय की वास्तविक कसौटी' निपटाए गए मामले नहीं हैं वरन् वास्तविक निर्णय है। आंकड़ों से यह नहीं कह सकते कि एक न्यायधीश अच्छा है या बुरा अथवा न्यायालय अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहा है या नहीं। उसके लिये

दो बातें आवश्यक हैं--बेहतर पीठ और बेहतर बार। यह भी आवश्यक है कि न्यायधीशों का चुनाव किसी अन्य आधार पर नहीं वरन् योग्यता के आधार पर किया जाए।

यद्यपि यह सरकार राज्यों की न्यायपालिका से संबंधित नहीं परन्तु यह एक वास्तविकता है कि जिला न्यायधीशों में बैठने को स्थान नहीं है, पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं, कागजात रखने की जगह नहीं है, तथा छतें टपकती हैं। इस दिशा में क्या किया जा रहा है ? हमें लोगों को निचले स्तर पर सरलता से न्याय देने के बजाय सर्वोच्च न्यायलय के भवन को ही बढ़ाते नहीं चले जाना चाहिए।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : इस दिशा में यह तीसरा विधेयक है। पहला विधेयक 1956 में आया था, संविधान लागू होने के छः वर्ष बाद। उस समय जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 की गई तो ऐसा लगता था कि अब और न्यायधीश नहीं बढ़ाने होंगे। फिर चार वर्ष के अन्दर ही 1960 में न्यायधीशों की संख्या 3 की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया। उस समय यह कारण दिया गया कि विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या बहुत बढ़ गई है तथा उन्हें शीघ्रता से निपटाना असम्भव है, इसलिए और न्यायधीश नियुक्त किए जाएं। वही पहले दिया गया कारण वर्तमान विधि मंत्री ने दिया है।

जनता पार्टी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। परन्तु पहली बार जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायलय में दो न्यायधीशों की नियुक्ति की तो मूल व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। एक नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद उठा। गुजरात उच्च न्यायलय एडवोकेट संघ ने वरिष्ठ न्यायधीशों को बीच में छोड़कर न्यायधीश श्री ए० डी० देसाई की नियुक्ति का विरोध किया।

श्री शान्ति भूषण : इसका उत्तर पहले बड़े विस्तार से दिया जा चुका है। सभी उससे आश्वस्त थे।

श्री ओ० वी० अलगेशन : गुजरात उच्च न्यायलय एडवोकेट संघ ने वरिष्ठ न्यायधीशों को छोड़कर श्री ए० डी० देसाई की नियुक्ति पर काफी विरोध प्रकट किया है। श्री चागला, जोकि बम्बई उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं, ने भी इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सिद्धान्त का उल्लघंन किया गया है और नियुक्ति राजनैतिक है जनता पार्टी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का दम भरती है उसके यह बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री शान्ति भूषण : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 352 और 353 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 352 में कहा गया है ।

बोलते समय कोई सदस्य

(5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप न करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो।

नियम 353 के अनुसार

किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध-रोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी

पूर्णसूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके ।

मेरा निवेदन यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने सभा के बाहर किसी उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति के आचरण पर आक्षेप किया है तो उसकी सभा में तब तक पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उस सम्बन्ध में नियमों का पूरी तरह पालन न किया जाए ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : श्री चागला ने आगे यह भी कहा है कि गुजरात बार में कोई भी यह नहीं कहेगा कि न्यायधीश देसाई उन दो न्यायधीशों में से अधिक योग्य है जिन्हें छोड़कर उन्हें पद्दोन्नति प्रदान की गई है ।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़) : क्या श्री अलगेशन ने उच्चतम न्यायलय की बार के सदस्यों की इस संबंध में प्रतिक्रिया जानने की चेष्ठा की है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री अलगशन आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक

NATIONAL HOLIDAY ON NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE'S BIRTHDAY BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री समरगुह द्वारा 2 दिसम्बर, 1977 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव "कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश दिन के रूप में मनाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए" पर विचार करेंगे ।

श्री समरगुहा अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री समर गुह (कटाई) : यह विधेयक व्यक्ति पूजा अथवा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर राजनीतिक विचारधारा के प्रचार के उद्देश्य से नहीं लाया गया है ।

देश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान यहां अनेकों महान व्यक्ति पैदा हुए तथा प्रत्येक के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना असंभव है ।

[श्री एन० के० शेजवालकर पीठासीन हुए]

[SHRI N. K. SHEJWALKAR in the Chair].

परन्तु वैचारिक एतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से यह वांछनीय है कि नेताजी के जन्मदिन पर भिन्न रूप में विचार किया जाए । इसलिये मैं सरकार से नेताजी के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का अनुरोध करने के लिये सदन का सहयोग चाहता हूं ।

हमारे देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अनेक महान व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया लेकिन उनमें से केवल दो महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस ही भाग्य निर्माता थे । यदि महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के प्रगेता थे तो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस क्रांति के ज्योति पुंज । स्वतंत्रता संग्राम के सभी महान व्यक्ति जबकि महात्मा गांधी के अनुयायी थे, सुभाष चन्द्र

बोस अकेले व्यक्ति जिन्होंने बार-बार उनका विरोध किया। यह सर्वविदित है कि सुभाष चन्द्र बोस को कांग्रेस से निकालने का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने स्वयं तैयार किया था, जबकि वे दो बार कांग्रेस के सभापति चुने गए। महात्मा गांधी का आजादी हासिल करने का अपना तरीका था, तथा सुभाष चन्द्र बोस का अपना। दोनों ने ही देश की लड़ाई में मूलभूत योगदान दिया है। नेताजी एक मिशन लेकर इस संसार में आए थे वह कहते थे मैं स्वप्न दृष्टा हूं और बिना स्वप्न के मेरा जीवन निरर्थक है।

कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनसे यह ज्ञात हो कि आजादी केवल जैसे महात्मा गांधी ने ही अकेले हासिल की हो। महात्मा गांधी के प्रति मेरी अपार श्रद्धा है। सदन इस बात से अच्छी तरह अवगत है । 1950 के कुछ वर्षों बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास लिखने का कार्य एक समिति को सौंपा गया। जिसके अध्यक्ष महान इतिहासकार डा० रमेश चन्द्र मजूमदार थे। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दिए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए हमें सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दिए गये योगदान को भी ध्यान में रखना होगा । सत्याग्रहियों और क्रातिकारियों के योगदान को ध्यान में रख कर ही हम सही निष्कर्ष पर पहुच सकते हैं, लेकिन श्री नेहरू को यह बात स्वीकार नहीं थी इसलिये इस समिति का विघटन करके डा० ताराचन्द की अध्यक्षता में एक और इतिहास समिति बनाई गई जोकि पंडित नेहरू के मित्र थे और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति का सारा श्रेय गांधी जी को दिया। आपको स्मरण होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब गांधीजी लोगों की ब्रिटिश सेना का सहयोग देने के लिए कह रहे थे, बंगाल के दो क्रांतिकारी क्रांति की आहवान दे रहे थे। गांधी जी राजनीतिक मंच पर 1919 के बाद आए लेकिन 1942 से 1946 का युग नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का युग था।

8 अगस्त को जब भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तब कोई भी कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार होने से पहले सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तब नेताजी ने बर्लिन से आजाद हिन्द रेडियो पर देशवासियों को सत्ता छीनने के तथा गुरिल्ला युद्ध करने का आहवान दिया। गांधीजी सत्ता के हस्तांतरण में विश्वास करते थे जबकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सत्ता छीनने में क्रांतिकारियों का उद्देश्य सत्ता को छीनना था । इसलिए नेताजी ने आजाद हिन्द फौज का गठन किया। यह कहा जा सकता है कि आजाद हिन्द फौज असफल रही परन्तु यह सर्वथा गलत है। यह सर्वविदित है कि जापान के आत्म समर्पण और आज़ाद हिन्द फौज के बन्दिओं को भारत लाने पर क्या हुआ। कराची और बम्बई में नाविकों ने विद्रोह किया और यह समूचे भारत में फैल गया। नाविकों ने ही नहीं वरन् भारतीय रायल वायु सेना ने कलकत्ता, जबलपुर और दिल्ली में लाल किले में आजाद हिन्द फौज के बंदियों के समर्थन में आम हड़ताल की। यह विद्रोह के अलावा और कुछ नहीं था । देश में एक नए प्रकार की सैनिक भावना पैदा हो गई थी। उस समय सत्ता को हथियाने का स्वर्ण अवसर था। यदि हमारे नेताओं में साहस होता तो ऐसा हो सकता था। परन्तु उन्होंने इससे हिंसा की संज्ञा दी और क्रांति का नेतृत्व कर सशस्त्र सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहने के बजाय उनसे हथियार डाल देने को कहा और क्रांति पूर्णतः दब गई भारतीय जनता की सैनिक और क्रांतिकारी भावना की प्रतिक्रिया को रूप दिया गया। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसके परिणाम को समझने में भूल नहीं की।

गांधी जी के नेतृत्व में असाधारण जनसंघर्ष हुआ । निशस्त्र लोगों द्वारा किए गए ऐसे संघर्ष की विश्व भर में कोई मिसाल नही है । इसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया। लेकिन क्या इस सबके परिणामस्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली नहीं । ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है । गांधी जी ने लोगों को ललकारा लेकिन वह सेना और पुलिस को नही छू पाए गांधी जी ने भारतवासियों में देश भक्ति की भावना को उभारा और उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी परन्तु अंतिम चोट ब्रिटिश सरकार को नेताजी और अकेले नेता जी ने ही दी । नेताजी और आज़ाद हिन्द फौज ने भारतीय सेना की ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति उसकी भक्ति को कम किया जो गांधी जी के नेतृत्व में यथावत बनी हुई थी । इसी कारण बिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का निर्णय किया ।

ब्रिटिश सत्ता का भारत से हटना गांधी जी का अहिंसात्मक जन आन्दोलन और नेताजी का सशस्त्र अथवा क्रांतिकारी आन्दोलन के संयुक्त प्रयास का परिणाम है । नेताजी ने पुलिस और सेना को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया । ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस कर लिया कि अब जनता और सेना दोनों ही उनके विरुद्ध भड़क गई है और उनका भारत में अधिक देर तक टिक पाना मुशकल है अत: वह भारत छोड़ गए । मैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को नहीं मानता । इस दिन भारतीय स्वतंत्रता भारतीय राष्ट्रीयता को धोखा दिया गया। मेरे लिए तो 21 अक्तूबर 1943, जब सुभाष बोस भारत की स्वतंत्रता घोषित करने पर आजाद हिन्द फौज के अस्थायी राष्ट्रपति बने थे, का दिन ही स्वतंत्रता दिवस है ।

मैं इस विधेयक को ऐतिहासिक, दार्शनिक और राजनीतिक औचित्य सिद्ध करना चाहता हूं ।

एक ब्रिटिश इतिहासकार ने अपनी एक पुस्तक में कहा है नेताजी ही एक मात्र क्षेत्रीय थे, जो ब्रिटिश शासन को हिंसा की शक्ति से अपदस्थ करने के कारण थे । गांधी जी ने देश के लोगों को विद्रोही बनाया जबकि नेताजी ने भारतीय सेना को विद्रोही बनाया । लोगों और सेना के सम्मिश्रण व सहयोग द्वारा ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा ।

नेताजी साम्राज्यावादी विरोधी तथा उपनिवेशवादी विरोधी नेता हैं । उनके योगदान द्वारा ही समूचा उत्तर पूर्वी ऐशिया आजाद हुआ । नेताजी ने इंडोनेशिया में भी देशभक्ति की भावना पैदा की ।

श्री हो-ची-मिन्ह भी नेता जी का बहुत आदर करते थे जिन्होंने वियतनाम क्रांति की प्रेरणा उन्हीं से ली । ऐशिया के सभी देशों ने नेताजी की आजाद हिंद सेना सें प्रेरणा ली। उनका योगदान सारे एशिया ही नहीं बल्कि अफ्रीकी देशों के क्रांति के लिये भी रहा है क्योंकि इन देशों ने भी उनके संघर्षों से प्रेरणा ली ।

हिंदु-मुस्लिम एकता के लिये भी नेताजी का योगदान अतुल रहा है । नेताजी ने ही भारतीय राष्ट्रीयता की ज्योति जगायी । आजाद हिंद फौज में 80 प्रतिशत मुस्लिम थे । इस फौज की बैरेकों में हिन्दु-मुस्लिम, सिख सभी मिल-जुल कर रहते थे । वे सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे । भारतीय राष्ट्रीयता इससे पहले इतनी विकसित नहीं हुई थी ।

नेताजी सामाजिक-आर्थिक क्रांति के अग्रदूत भी थे । नेताजी जिया-उ-दीन के नाम से ही भारत छोड़ कर बाहर गए ।

राष्ट्रीयता के सच्चे प्रतीक नेताजी के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे । जब वे कांग्रेस अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक योजना आयोग का गठन भी किया था जिसका अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था । गांधी जी उनका विरोध ही करते रहे ।

वे शुरू से ही क्रांतिकारी रहे हैं । अपनी क्रांतिकारी मांगों के समर्थन में उन्होंने अनेक बार आमरण भूख हड़ताल भी रखी । वे या तो आजादी चाहते थे या भारत से बाहर जाना चाहते थे या मर जाना चाहते थे । वे युग पुरुष हैं । वे किसी विशेष मिशन से पैदा हुये । उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को देश के लिये मर जाना चाहिये । वे क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि युग-पुरुष भी थे । समुद्र द्वारा यात्रा करना उन दिनों कितना जोखिम का काम था लेकिन उन्होंने $3\frac{1}{2}$ महीनों में समुद्री जहाज द्वारा ही जर्मनी से सिंगापुर तक यात्रा की । देश की आजादी के लिये ही उन्होंने 25 देशों से होकर हजारों मील की हवाई तथा समुद्री यात्रा की ।

जापान के विदेश मंत्री श्री तोजो ने नेता जी को ऐशिया का सब से बड़ा क्रांतिकारी कहा था । इसी तरह फिलीपाईन के डा० लारेल ने भी कहा था कि सुभाषचन्द्र बोस महानतम थे । श्री बालबहादुर शास्त्री ने भी उन्हें देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कहा था । डा० पट्टाभिसीता रम्मैय्या ने भी कहा था कि सुभाष चाहे जिंदा हो या मर गये हों, उनकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी ।

हम एक महान देश की धरोहर ही नहीं रखेंगे वरन् एक भाग्य निर्माता की स्मृति को बनायेंगे जो देश-काल की सीमा से परे है । मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह आने वाली पीढ़ी को इस महान पुरुष के आदर्शों पर चलने के लिए बनाए रखें ।

SHRI DURGA CHAND (Kangra) : Netaji Bose was a legendary personality. During his short life he did so many miracles. His memory is fresh in the minds of the people of this country even now.

Shri Subhas Bose threw a challenge, that if Britain do not free India when the people were struggling through peaceful methods, resort will have to be taken to arms. He won the hearts of the people of this country. People's reverence for him is no less than the respect they gave to Gandhiji.

Birthday of Netaji should be declared a national holiday so that the people of this country continue to get inspiration from his life for all times to come.

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Mahatma Gandhi was the father of the nation and Netaji was the true leader of the country. He was living embodiment of India's bravery, courage and spirit of renunciation.

India is a land of great heroes. If we declare holidays for all of them hardly a day will be left for us to work. In foreign countries national holidays are not observed in the name of their leaders. In our country instead of observing birthdays of our great leaders as national holidays, we should observe them as national days. People should work on those days instead of whiling away time. That way we will be paying a befitting tribute to the memories of our great leaders.

SHRI LAXMI NARAIN NAYAK (Khujraho) : Prof. Samar Guha has hardly left anything to be said about Netaji. Mahatma Gandhi and Netaji played significant roles in

the independence struggle of this country. Netaji went to foreign countries and organised Azad Hind Fauj to fight for the freedom of the country. His call to march to Delhi had a tremendous impact. We should observe birthday of Netaji as a national holiday.

SHRI SUSHIL KUMAR DHARA (Tamluk) : Sir, I rise to support this Bill. It would have been better if the Government had brought forward a Bill to declare Netaji's birthday as a national holiday. The House should pass this Bill brought forwarded by Shri Samar Guha.

Netaji was a great patriot who was fired by the zeal to make India free. Birthday of such a great revoluntionary should be observed as a national holiday.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । प्रश्न केवल छुट्टी देने का नहीं है बल्कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका को मान्यता देने का है । हमें यह भी जान लेना चाहिये कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अनेकों धारायें थीं । अकेले महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली धारा को ही स्वतंत्रता प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त नहीं है । अन्य धाराओं ने भी स्वतत्रंता संग्राम में उतनी ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ।

भूतपूर्व रजवाड़ों में अनेकों संघर्ष हुए । परन्तु गृह मंत्री ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का भाग मानने से इन्कार कर दिया । उनका तर्क था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनका नेतृत्व नहीं कर रही थी ।

त्रावणकोर में द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वतंत्रता के लिये एक नये आन्दोलन ने जन्म लिया । उस समय सर सी० पी० रामास्वामी आय्यर त्रावणकोर के दीवान थे और उन्होंने भारतीय गणतंत्र से बाहर स्वतंत्र त्रावणकोर का नारा दिया । उसके विरुद्ध कामगर उठ खड़े हुए और उन्होंने अपना संघर्ष किया इसका नेतृत्व साम्यवादियों ने किया । इसमें क्या कमी थी? देश की स्वतंत्रता और एकता के लिये उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों को मान्यता दी जानी चाहिये ।

भूतपूर्व हैदराबाद रियासत में निजाम के शासनकाल में अंग्रेजों ने हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम की साठ-गांठ से एक षड़यंत्र बनाया । उस समय प्रसिद्ध तेलंगाना विद्रोह हुआ । उस समय देश की एकता के लिये कुछ लोग रजाकारों से लड़े । इसे स्वतत्रंता संग्राम का अंग माना जाये । केरल की भूतपूर्व मालाबार रियासत में भोपला विद्रोह को भी स्वतंत्रता संग्राम का अंक समझा जाना चाहिये ।

[**श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए**
SHRI TRIDIB CHOUDHRY *in the Chair*]

इस देश में कोई भी यह नहीं कह सकता कि श्री बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्व-पूर्ण भूमिका नहीं निभाई । उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह देश आने वाले युगों तक इसे याद रखेगा । और इसलिए उनकी इस भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए । इसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाए या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाए एक विषद चर्चा का विषय है । इस सम्बन्ध में हम समझौता कर सकते हैं । परन्तु हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस विचार को मानती है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की

मुख्य धारा में अनेक धाराएं आकर मिली हैं--जिनमें से कुछ का नेतृत्व साम्यवादियों ने किया, कुछ सामाजवादियों ने और कुछ लोगों के नेता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस थे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री समर गुह द्वारा पेश किय गये विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस समस्या पर नये सिरे से विचार करेगी।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमन्, मैं श्री समर गुह द्वारा पेश किये गये विधेयक का स्वागत करता हूं । यह ठीक ही कहा गया है कि सदन के सामने इस रूप में बहुत ही सीमित मामला रखा गया है । विधेयक के प्रस्तावक चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाये।

नेताजी ने न केवल इस देश की स्वतंत्रता के लिए ही कार्य किया बल्कि वह भारत के नये भविष्य का समाजवाद के आधार पर निर्माण करना भी चाहते थे । इतना ही नहीं उन्होंने तो नई मानवता के निर्माण के लिये भी संघर्ष किया था।

हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश की संकल्पना नई नहीं है । इस समय तीन राष्ट्रीय अवकाश हैं:--गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा महात्मा गांधी का जन्म दिवस । किसी राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करने का मुख्य सिद्धांत यह है कि दिवस सार्वजनिक महत्व का पर्व होना चाहिए और वह भारत के लिए महत्वपूर्ण विश्वविख्यात विभूति का जन्म दिवस होना चाहिए । यह सिद्धान्त सरकार को नेताजी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने से नहीं रोकता है ।

प्रश्न की मुख्य महत्ता यह है कि क्या 3 राष्ट्रीय अवकाशों के बजाय हम 4 राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा कर सकते हैं । यह केवल समायोजन का ही मामला है । यदि हम अपने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में नेताजी की भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो सरकार को इस विधेयक को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । बहुत से महान व्यक्ति ऐसे हुए है जिन्हें अच्छे या भले व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । अनेक भले व्यक्ति महान व्यक्ति नहीं बने । किन्य ऐसे व्यक्ति बिरले ही हुए हैं जो महान, भले, उदात्त और सबसे अधिक भाग्य निर्माता हुए हैं । नेताजी, गांधी के साथ-साथ ऐसे ही भाग्य निर्माता थे । भारत के इन दो महान पुरुषों ने जिन्होंने भारत के स्वतत्रंता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और विश्व के स्वतंत्रता आन्दोलनों के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है । नेताजी ने भारत के लाखों शोषित और विचलित व्यक्तियों के बारे में ही चिन्ता नहीं की थी बल्कि उन्हें समस्त विश्व के शोषित और पीड़ितों की भी चिन्ता थी। अतः इस दृष्टि से वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति भी थे ।

पश्चिम बंगाल में नेताजी के जन्म दिवस को राज्य भर में छुट्टी मनाई जाती है । सरदार पटेल का जन्म दिन गुजरात में अवकाश के रूप में मनाया जाता है । लेकिन ये दोनों महान आत्मा हमारी भी हैं । लोकमान्य तिलक और शिवाजी महान के जन्म दिवसों को फिर से

केवल महाराष्ट्र में ही अवकाश के रूप में मनाया जाता है । क्या हम स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय नेताओं का स्तर घटाकर उन्हें राज्य स्तर पर ला रहे हैं । सरदार पटेल, शिवाजी तथा तिलक और नेताजी ये सभी अखिल भारतीय स्तर के नेता रहे हैं । हमें इन नेताओं को अखिल भारतीय नेताओं के रूप में सम्मानित करना चाहिए । ये सभी परतंत्र भारत में अखिल भारतीय नेता थे, अब स्वतंत्र भारत में उन्हें क्षेत्रीय या प्रान्तीय नेता कैसे बनाया जा सकता है।

प्रश्न यह नहीं है कि हम नेताजी के जन्म दिवस को अवकाश घोषित करें अथवा नहीं । लेकिन इस दिवस को अवकाश कहने के बजाय हमें नेताजी की स्मृति में उनके विचारों को कार्यान्वित करने के लिए हमें इस दिवस को पावन दिवस के रूप में मनाना चाहिए । यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उनके तथा राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे । और यदि हमने अपने सभी राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवसों को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में माना तो वर्ष के 365 दिन भी कम रह जायेंगे । बल्कि हमें इस दिन कम से कम उनके विचारों, आदर्शों को स्मरण करना चाहिए और उनका आदर करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए । हमें उनके उच्च, उदात्त और महान तथा प्रेरक आदर्शों का पालन करना चाहिए तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में, जिसके प्रति हम वचनबद्ध हैं, अपने आप को पूर्णतः लगा देना चाहिए।

खेद है हमने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 2 घण्टे की अवधि बढ़ाई है । इस कारण हम 23 जनवरी, 1978 को राष्ट्रीय अवकाश नहीं मना पायेंगे । किन्तु सरकार चाहे तो यह कर सकती है । आशा है सरकार इस चर्चा की भावना को समझेगी और इसका आदर करेगी ।

श्री समर गुह : श्रीमन, जब इस विधेयक पर चर्चा के लिये समय बढ़ाया गया तो मैं यहां उपस्थित नहीं था वर्न मैं इस समय के बढ़ाये जाने का विरोध करता । 23 जनवरी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिवस है । मेरा विचार था कि इस विधेयक पर चर्चा आज समाप्त हो जायेगी और कल हम सरकार का उत्तर सुनेंगे और नेताजी के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मना सकते।

नेताजी भारतीय युवा पीढ़ी के प्रतीक थे । सरकार को नेताजी का जन्म दिन मनाने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया । पिछली सरकार ने नेताजी के योगदान को भी स्वीकार नहीं किया । वर्तमान सरकार को नेताजी के सम्मान में कुछ अवश्य करना चाहिये। मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्हें 23 जनवरी को, जो नेताजी का जन्मदिन है, कम से कम कुछ करना चाहिये । नेताजी के योगदान को स्वीकार करना चाहिये और नेताजी के प्रति राष्ट्र के ऋण को चुकाना चाहिये।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर अगले दिन चर्चा जारी रहेगी।

आधे घण्टे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

सभापति महोदय : अब हम आधे घन्टे की चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : इस देश में चीनी का स्वाद ही वास्तव में कड़वा है क्योंकि चीनी उद्योग में बहुत से धनी और राजनीतिक खुले और गैर-सरकारी व्यापार के पक्षपाती रहे हैं। 1968 में उस समय की सरकार से चीनी पर आंशिक नियत्रंण हटाने के लिये उन्होंने 40 लाख रुपये दिये थे। इससे उन्हें बहुत लाभांश प्राप्त हुआ। सारी समस्या यही रही कि सरकारी नियत्रंण और चीनी का व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते क्योंकि चीनी उत्पादक केवल लाभ कमाने को ही उद्देश्य मानते हैं। यदि उचित चीनी नीति बनाई जाती तो उसे ग्रामीण उन्नति का साधन बनाया जा सकता था। लेकिन इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे परम्परागत चीनी उत्पादक क्षेत्रों में इस उद्योग को दुर्बल करने का ही साधन बनाया गया। गन्ना उत्पादक, मिलों के श्रमिक और उपभोक्ताओं का खूब शोषण हुआ और कारखाने फलते-फूलते रहे। उनके मालिक धन के अम्बार लगाते रहे।

आज 103 चीनी मिले हैं। बिजली की कमी वाले क्षेत्र में ये सबसे अधिक हैं। इसका अर्थ है कि इसमें कुछ ही व्यक्तियों को भारी लाभ हुआ और अधिकतर लोगों का खून निचोड़ा गया।

निर्यात के लिये 8 हजार लाख रुपये की राज सहायता दी गई। 1967 के चुनावों से पूर्व दो वर्षों में 3750 लाख रुपये निर्यात की सहायतार्थ दिये गये। 1971 के चुनाव से पहले भी यह राशि कम न थी। मंत्री जी बतायें कि 1978 में क्या राजसहायता दी जायेगी। यद्यपि मिलें आरम्भ भी नहीं हुई होतीं कि उन्हें छूट मिलने लग जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि गरीब भारत के लोगों की पिछले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति खपत काफी कम हुई है।

इस सरकार ने हाल ही में 47 रु० की दर से उत्पादन शुल्क कम किया है इससे 183 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी होगी। अब सरकार का यह कर्तव्य है कि इस कमी से उपभोक्ताओं को पूरा पूरा-लाभ मिले।

गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि नहीं मिलती और खांडसारी के छोटे उत्पादक कष्ट में हैं। यह छोटा और कुटीर उद्योग है। यह भी कहा गया है कि खांडसारी में चीनी मूल्यों में वृद्धि को रोका गया है यदि ऐसा है तो सरकार उस पर उत्पादन शुल्क कम करने पर विचार क्यों नहीं करती? नई चीनी नीति से मूल्य 200 प्रतिशत तक बढ़े लेकिन गन्ने का मूल्य वही रहा। हालांकि देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है फिर भी हम विश्व में चीनी के लिये सर्वाधिक मूल्य चुका रहे हैं। अकेले 1974-75 के वर्ष में चीनी मिलों के पूंजीपतियों ने 200 करोड़ रुपये कमाये थे।

इसीलिये कृषकों, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास, गरीबों और उपभोक्ताओं के हित में यही है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये। अतः मैं इसके पूर्ण राष्ट्रीयकरण की मांग करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : गत 28 नवम्बर को अपने उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि वह राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं । परन्तु प्रश्न यह था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा था और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के मामले में उ० प्र० सरकर का वास्तविक प्रस्ताव क्या था और उनका इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है । मेरा दूसरा प्रश्न यह है । उन्होंने भगवती आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है । क्या इस प्रतिवेदन में इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर प्रतिबन्ध की बात कही गई है ? यदि नहीं, तो क्या सच नहीं है कि भार्गव समिति के अधिकांश सदस्यों ने राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की है ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रति अपनी स्वीकृति दे दी है ? गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिले, चीनी मिलों का आधुनिकीकरण हो और रुग्ण मिलें पुनः चालू हों, ये सब बातें सुनिश्चित करने के लिये वह कौन से उपाय कर रहे हैं ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या पर व्यावहारिक रूप से विचार करे। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचारधारा के आधार पर विचार किया जा रहा है या वास्तविक स्थित और उद्योग की जरूरतों और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है ?

क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत नहीं हैं कि चीनी उद्योगपति शोषण कर रहे हैं और हर प्रकार का दबाव डाल रहे हैं । क्या यह सरकार भी गरीबों की भलाई की बात करेगी और धनी लोगों का साथ देगी ?

मंत्री जी ने रुग्ण मिलों के बारे में कहा है कि सरकार उनकी ओर ध्यान देगी । परन्तु कैसे ? उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। क्या वे इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठायेंगे। यदि हां, तो वे ठोस कदम क्या हैं । मंत्री जी ने यह भी कहा है कि यदि मिलें अधिक रुग्ण हैं तो मैं उन्हें खत्म होने दूंगा । परन्तु मेरा तर्क यह है कि आपने ऐसा होने क्यों दिया ? मेरे विचार में समस्या का यह समाधान नहीं है । उन्हें रुग्ण किसने बनाया? सरकार का क्या उत्तरदायित्व है ?

जहां तक खांडसारी उद्योग का सम्बन्ध है, एक ओर तो इस उद्योग पर, जो ग्रामीण आधारित उद्योग है, अधिक उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है और दूसरी ओर चीनी उद्योगपतियों को रियायतें दी जा रही हैं ।

मंत्री जी ने चीनी उद्योग जांच आयोग के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये विभिन्न विचारों का उल्लेख किया है । राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सदस्यों के विचार भिन्न-2 हैं । मंत्री महोदय हमें यह स्पष्ट बतायें कि क्या ये भिन्न-भिन्न विचार तथ्यों और वास्तविकता और किये गये अध्ययन पर आधारित हैं या ये राष्ट्रीयकरण के प्रति रुचि एवं अरुचि और पूर्वाग्रह पर आधारित हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चीनी की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में बताना चाहता हूं। अमरीका में यह 50.8 किलोग्राम, मैक्सिको में 41.2, श्रीलंका में 24.8 और फिलीपीन में 16.6 है जबकि भारत में यह केवल 6.9 किलोग्राम प्रतिवर्ष है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : जहां तक राष्ट्रीयकरण का संबंध है हमने अपना पक्ष बहुत स्पष्ट कर दिया है । प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि मात्र राष्ट्रीयकरण करने हेतु राष्ट्रीयकरण करने में हमारी आस्था नहीं है । हम जब भी किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता समझेंगे तो हम ऐसे करने में झिझकेंगे नहीं लेकिन किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण मात्र विचारधारा के कारण से नहीं किया जाएगा ।

जहां तक समाजीकरण का संबंध है हम सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना को समुचित प्रोत्साहन दे रहे हैं । देश म 50 प्रतिशत चीनी का उत्पादन सहकारी क्षेत्र में होता है और हमारा विचार इस क्षेत्र की ओर भी प्रोत्साहन देने का है।

उत्तर प्रदेश सरकार के संबंध में कई प्रश्न किए गए हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय सरकार को कई बार लिखा । उनके पास संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए समुचित समय था लेकिन शायद वह उसे क्रियान्वित नहीं करना चाहते थे । जहां तक हमारी सरकार का संबंध है हमें केवल एक ही पत्र अप्रैल 1971 में प्राप्त हुआ । लेकिन इससे पहले कि हम उत्तर दे पाते वहां की सरकार अपदस्थ हो गई । दूसरी सरकार ने इसके लिए जोर नहीं डाला । हम किसी भी राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण हेतु, भेजे जाने वाले किसी भी प्रस्ताव के बारे में मना नहीं करेंगे राज्य सरकारों को भी चीनी के कारखानों के अधिग्रहण के संबंध में उतना ही हक है जितना कि केन्द्रीय सरकार को।

जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है पिछले आंकड़ों से हमें कुछ सहायता नहीं मिलेगी। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है । केवल तीन वर्ष पूर्व चीनी अन्तरष्ट्रीय मंडी में 700 पौंड प्रति टन बिक रही थी और आज इसका मल्य 100 पौंड प्रति टन से थोड़ा अधिक है। शायद किसी और वस्तु के मूल्य में इतनी भारी कमी नहीं हुई है । औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1976-77 के दौरान चीनी उद्योग की क्षति हुई है और अभी भी वह घाटे में जा रहा है । इस क्षति को रोकने के लिए उत्पादन शुल्क की दर में कमी की जा रही है । औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अनुसार चीनी की उत्पादन लागत 215 रुपए प्रति क्विंटल है और उत्पादित चीनी का 65 प्रतिशत भाग 168 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लिया जाता है । अपनी उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए उद्योग की बाकी बची 35 प्रतिशत चीनी 303 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर बेचनी चाहिए । इसी अन्तर को पूरा करने के लिए उत्पादन शुल्क में कमी की गई है । हमारे समक्ष चार विकल्प थे एक लेवी चीनी का मूल्य बढ़ाना, दूसरे खुले बाजार में मूल्य को बढ़ने देना, तीसरे गन्ने का दाम कम करना और चौथा उत्पादन शुल्क में कमी करना । हमने उपभोक्ताओं और गन्ना उत्पादकों को अछूता छोड़कर केवल उत्पादन शुल्क में कमी की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रति व्यक्ति खपत विश्व में सबसे कम क्यों है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : क्षेत्र में वृद्धि से यह पता चलता है कि अन्य वैकलिपक फसलों को उगाने से इसका उत्पादन करना अधिक लाभदायक है । कुछ सदस्य चाहते हैं कि हम

इन मिलों को अपने हाथों में लें । मैं इन मिलों में से कुछ मिलों का वर्णन करता हूं। बिहार में 30 मिलें हैं और इनमें से 29 मिलें तीस वर्ष पुरानी हैं। अतः इस कबाड़ को अपने अधिकार में लेकर उनमें पूंजी निवेश की बात करना बिल्कुल फिजूल है।

श्री चित्त बसु : मैं जानता हूं कि ये मिलें पुरानी हैं और 30 वर्ष पहले स्थापित की गई थीं। परन्तु उनका आधुनिकीकरण कैसे करने का सरकार का विचार है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप उन्हें पुस्तक मूल्य पर अपने हाथ में ले सकतें हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह : हमारे पास पुनर्वास का एक कार्यक्रम है । जो लोग अपने कारखानों का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है । हम इन मिलों में धन नहीं लगाना चाहते। नई मिलें स्थापित की जा रही हैं। हम उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं । जब तक चीनी उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है और सहकारीकरण संतोषजनक रूप में हो रहा है तब तक सरकार द्वारा इस उद्योग में दुर्लभ साधनों के निवेश का कोई औचित्य नहीं दीखता । सौभाग्य से हमारे यहां सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र दोनों प्रकार के कारखाने हैं । हम उनके कार्य की तुलना कर सकते हैं । उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है । उनका काम भी लगभग एक समान है। वास्तव में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का काम कुछ घटिया ही है।

चीनी की खपत के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया गया है । गन्ने के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत भाग का प्रयोग वैक्यूम पैन चीनी के लिए किया जाता है और 65 प्रतिशत भाग का प्रयोग गुड़ और खांडसारी के लिए किया जाता है । यदि सभी मिठास तत्वों को संकलित किया जाए तो पता चलेगा कि हमारे देश में मिठास तत्वों की प्रति व्यक्ति खपत विश्व की औसत से कम नहीं है। जहां तक खांडसारी का सम्बन्ध है, यह बड़े पैमाने के कारखाने अपनी उत्पादन लागत को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। इसीलिए उत्पादन शुल्क में कमी करके उन्हें कुछ राहत दी गई है ताकि वह अपनी उत्पादन लागत को पूरा कर सकें । जब तक खांडसारी एककों को खांडसारी की उत्पादन लागत से अधिक कीमत प्राप्त हो रही है तब तक उन्हें किसी किस्म की सहायता की आवश्यकता नहीं लेकिन जब खुले बाजार में दाम कम हो जायेंगे और वे एकक अपनी उत्पादन लागत को पूरा करने में असमर्थ होंगे हम निश्चय ही उनका ख्याल करेंगे।

सरकार ने दोहरी मूल्य नीति इस कारण अपनाई है क्योंकि हमने सोचा कि नियंत्रण हटा देने से खांडसारी उद्योग की सुरक्षा नहीं हो सकेगी जोकि उसके लिए अपेक्षित है और खांडसारी उद्योग स्वयं समाप्त हो जाएगा।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 दिसम्बर, 1977/28 अग्रहायण, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 19, 1977/Agrohayana 28, 1899 (Saka).